कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी ए ई एम)

कोर्स कोड: एईएम 104

पाठ्यक्रम शीर्षक: कृषि विकास के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग (3 क्रेडिट)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

हैदराबाद - 500 030, भारत. www.manage.gov.in

प्रकाशक

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत.

प्रथम संस्करण: 2021

@मैनेज, 2021

सभी अधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी भाग मैनेज से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी रूप में, अनुलिपि बनाकर अथवा किसी अन्य प्रकार से, पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

डॉ. पी. चन्द्रा शेखरा
महानिदेशक
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत.

कार्यक्रम समन्वयक

डॉ. विनीता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़), मैनेज

सहयोगी (2021)

डॉ. विनीता कुमारी, उप निदेशक (जेंडर स्टडीज़), मैनेज
डॉ. सबिता मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक (एई), आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए, भुवनेश्वर, ओडिशा
डॉ. एम. प्रीती, प्रोफेसर, ईईआई, हैदराबाद
डॉ. सूर्य राठौर, प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप-नार्म, हैदराबाद

हिन्दी अनुवादक व अनुवाद सहयोग

डॉ. के. श्रीवल्ली, वरिष्ठ अनुवादक, मैनेज

एईएम 104 : कृषि विकास के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग (3 क्रेडिट)

ब्लॉक / यूनिट की संख्या	यूनिट की नाम	पृष्ठ संख्या
ब्लॉक I:	**लिंग की मूल बातें और खेती में महिलाओं की भागीदारी**	
यूनिट 1	लिंग की अवधारणा और रूढ़िवादिता	5 - 17
यूनिट 2	कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका	18 - 28
ब्लॉक II:	**कृषि में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना**	
यूनिट 1	कृषि में लिंग संबंधी मामले और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु रणनीतियाँ	30 - 67
ब्लॉक III:	**लिंग विश्लेषण**	
यूनिट 1	कृषि में लिंग विश्लेषण के साधन	69 - 101
यूनिट 2	व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के खतरे और कठिन परिश्रम	102 - 127
यूनिट 3	लिंग संबंधी विभिन्न डाटा (आंकड़े) (GDD)	128 - 147

ब्लॉक IV – कृषि कार्यक्रम / महिलाओं हेतु नीतियाँ और कल्याणकारी कार्यक्रम

यूनिट 1	कृषि कार्यक्रम / महिलाओं हेतु नीतियाँ और कल्याणकारी कार्यक्रम	149 - 175

ब्लॉक I: लिंग की मूल बातें और खेती में महिलाओं की भागीदारी

यूनिट - 1: लिंग की अवधारणा और रूढ़िवादिता

"कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिला ने ही सबसे पहले घरेलू फसलोत्पोदन किया और इस प्रकार कृषि की कला और विज्ञान को प्रारंभ किया। जब पुरूष अन्न की खोज में शिकार करने निकलते थे, वहाँ महिलाओं ने देशी वनस्पतियों से बीज इकट्ठा करना प्रारंभ किया और अपनी रूचि अनुसार खाद्य पदार्थ अन्न, चारा, रेशा और ईंधन की दृष्ठि से उन्हें उगाना प्रारंभ किया।

डॉ. एस एस स्वामिनाथन

इस युनिट के मुख्य बिन्दु

- **उद्देश्य**
- **परिचय**
- **लिंग की अवधारणाएं**
- **निष्कर्ष**
- **सारांश**
- **अन्य अध्ययन**

1.0 उद्देश्य:

- ‘लिंग’ संबंधी आधारभूत शब्दों से आवेदकों को परिचति करना
- विभिन्न ‘लिंग की अवधारणाओं’ पर संकल्पनात्मक समझ विकसित करना

1.1 परिचय:

संवैधानिक नियमों के अनुसार महिलाएं और पुरूष समान स्तर प्राप्त किए हुए है। फिर भी समाज में महिलाओं और पुरूषों को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है। समाज ने ही लिंग की दूरी को जन्म दिया। स्त्री पुरुष होना समाज द्वारा निधारिरत लक्षण होने के नाते, लिंग के आधार पर कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों को सौंपा गया है। सभी क्षेत्रों में लिंग भेद गंभीर मुद्दा है और विकास के लिए इसका तुरंत समाधान करना होगा। लिंग संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हमें विभिन्न आधारभूत लिंग अवधारणाओं को समझना अनिवार्य है।

1.2 लिंग की अवधारणाएं:

यौन-क्रिया स्त्री पुरूष के लिए एक जैविक प्रक्रिया है। इसी के द्वारा सृष्टि होती है और समय के अनुसार या स्थान अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।

1.2.2 लिंग:

लिंग का अर्थ यहाँ स्त्री या पुरूष से जुड़े, लक्षण और अवसरों से है अैर स्त्री-पुरूषों लड़के और लड़कियों के बीच समाज-सभ्यता के अनुसार संबंधों और महिला समूहों या पुरूषों समूहों के बीच संबंधों से जुड़ा हुआ है। ये लक्षण, अवसर और संबंध समाजिक रूप से निर्मित और समाजिक क्रिया के द्वारा सीखे गए है। वे संदर्भ विशेषक एवं परिवर्तनशील होते है। स्त्री/पुरूष में विभिन्न संदर्भों में क्या प्रत्याशित है, स्वीकार्य है और क्या मूल्यवान है का निर्धारण करता है।

सामन्य उपयोग में, 'लिंग' शब्द का उपयोग कर और मादा के बीच अंतर दिखाने के लिए किया जाता है। सामान्य शब्दों में, लिंग शब्द एक समाज में विशिष्ठ समय पर स्त्री और पुरूषों के बीच के संबंध बोध कराता है।

यौन और लिंग के बीच अंतर

लिंग	यौन
समाज निर्मित	जैविक रूप से प्ररिभाषित
संस्कृतियों के बीच और एक ही संस्कृति में भिन्न-भिन्न होता है।	जन्म से निर्धारित
भूमिका, उत्तरदायित्व, अवसर, आवश्यकता और बाधाओं के बीच अंतर को पहचानने वाले कारकों को समाहित करता है।	सार्वभौमिक
परिवर्तनशील है।	अपरिवर्तनशील है।

1.2.3 लिंग - अंधापन:

लोगों के बीच बातचीत में लिंग को नजर अंदाज करने की प्रक्रिया को लिंग-अंधापन या यौन अंधापन में गिना जाता है। लिंग-अंधापन नीति विभिन्न परिस्थितियों, भूमिकाओं, आवाश्यकताओं और महिलाओं, पुरूषों, लड़कियों और लड़कों की कमि को अनदेखा करता है।

1.2.4 लिंग जागरूकता:

लिंग जागरूकता वह समझ है कि सीखे गए आचरण के आधार पर और पुरूषों के बीच भिन्नताएं समाजिक रूप से निर्धारित किए जाते है जो उन्हें संसाधनों की प्रति नियंत्रण करने की दक्षता और वहाँ से इकट्ठा होने वाले लाभों को प्रभावित करते है। इस जानकारी को लिंग विश्लेषण के माध्यम से परियोजनाएं, कार्यक्रमों और नीतियों के लिए लागू करना चाहिए।

उदाहरण: समान्यतया जनता में यह समझ है कि "भू-स्वामित्व" के संबंध में स्त्री-पुरूष के बीच सामाजिक भेद भाव है।

1.2.5 लिंग - संवेदीकरण:

लिंग संवेदीकरण विद्यमान लिंग संबंधी भेदभाव मुद्दे और असमानताओं को समझना और उजागर करना और उन्हें रणनीतियों व कार्यों में समाहित करने की दक्षता है।

उदाहरण: उपर्युक्त के अनुसार उदाहरणार्थ यदि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यदि विधि अनुसार प्राप्त भूमि में पत्नी का नाम अनिवार्यत: जोड़ने का निर्णय लेता है जिससे किसान योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठा सके तब संवेदीकरण का उदाहरण बनता है।

1.2.6 लिंग वीक्षण (जेन्डर लेन्स):

जेन्डर लेन्स जाँच वह अभ्यास है जहाँ महिलाओं के लाभ के ध्यान में रखते हुए वित्त प्राप्ति के लिए निवेश करना है जिसके द्वारा महिलाओं और लड़कियों के आर्थिक अवसर बढ़ने के साथ-साथ समाजिक कल्याण भी होता है। जेन्डर जेन्स जाँच में स्त्री-स्वामित्व व्यापारों का वित्तीयन, महिलाओं को रोजगार देने के कार्य निष्पादन रिकार्ड रखने वाले व्यापार या अपने उत्पादों और सेवाओं के द्वारा महिलाओं और लड़कियों की जिन्दगी में सुधार लाने वाली कंपनियाँ है।

1.2.7 लिंग रूढ़िवादिता:

एक व्यकित को स्त्री या पुरूष के सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर उनके गुण, लक्षण औ भूमिकाओं को पढ़ने का यह अभ्यास है। पूर्व कल्पना किए गए विचार जिनके द्वारा स्त्री व पुरूष को मनमाने ढंग से गुण सौंपना और भूमिकाओं निर्धारण करना और उन्हें लिंग आधार पर सीमित रखना है।

उदाहरण: पुरूष परिवार का कमाऊ सदस्य है।

महिलाओं के घर का काम करना है।

1.2.8 लिंग पक्षपात:

लिंग पक्षपात का अर्थ एक जेंडर के व्यक्ति पर दूसरे की प्राथमिकता या तरफदारी है। यह पक्षपात जानबूझकर या अनजाने में और कई तरह से दिखाई दे सकता गुढ़ या प्रकटित भी हो सकता है।

उदाहरण: जन्म देते समय लड़कियों से अधिक लड़कों का प्राथमिकता देना।

1.2.9 लिंग भेदभाव:

लिंग रूढ़िवादिता के आधार प किसी भी व्यक्त को पक्षपात की दृष्टि से देखना (आम तौर पर लिंग भेदभाव से जाना जाता है।)

उदाहरण: कुछ धार्मिक स्थानों में महिलाओं को आने नहीं देना।

1.2.10 लिंग समानता:

लिंग समानता का अर्थ है स्त्रीयों और पुरूषों को बीच फायदों और जिम्मेदारियों को बाँटने में निष्पक्षता और न्याय का प्रावधान करना है। यह अवधारणा स्त्री और पुरूषों की आवाश्यकताओं और अधिकारों को पहचानता है साथ ही इन भिन्नताओं को पहचान कर दोनों के बीच समानता का निवारण करता है।

उदाहरण: सुविधाहीन किसानों में सापेक्षता के आधार पर महिला एवं पुरूष किसानों में, महिला एवं पुरूष के लक्ष्य अनुसार भूमि, ऋण, विस्तार सेवाएं आदि संसाधनों का अधिक आवंटन।

1.2.11 लिंग भूमिकाएं:

एक विशेष समाज/समुदाय में या अन्य विशेष समूह जहाँ स्त्री या पुरूष के क्रियाकलाप, लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है। ऐसे व्यवहारों को जेंडर भूमिकाएं कहते है। जेन्डर

भूमिकाएं आयु, वर्ग, जाति, जतीयता, धर्म और भौगोलिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण से प्रभावित या राजनैतिक परिस्थियों, जिसमें विकासात्क प्रयास भी सम्मिलित है के प्रक्रिया परिस्थितियों, जिसमें विकासात्मक प्रयास भी सम्मिलित है के प्रतिक्रिया के रूप में होता है। जेंडर भूमिकाएं चार प्रकार की होती हें - उत्पादक, प्रजनक, समुदाय प्रबंधन और समुदाय राजनीति।

1.2.12 उत्पादक की भूमिका :

यह वस्तुओं का उत्पादन और सेवा प्रदान करने बेचने या आदन-प्रदान के लिए या पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए स्त्री और पुरुषों द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का संदर्भ लेता है।

उदाहरण के लिए कृषि में, उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ जिसमें कृषि, पशुपालन, पिछवाड़े में बागवानी इत्यादि सम्मिलित है; इन्हें किसान अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए उपयोग करता है।

1.2.14 प्रजन भूमिका :

यह समाज के कार्मिकों में प्रजनन के आश्वासन हेतु आवश्यक गतिविधियों का संदर्भ ग्रहण करता है। इसमें बच्चे को रखना और बच्चे, वयस्कों और कार्मिकों के परिवारों के सदस्यों की देखभाल करना समाहित है। ये कार्य लगभग महिलाएं ही करती है।

उदाहरण स्वरूप एक रसोई के काम की यदि कोई महिला अपने परिवार के लिए पका रही है तो वह प्रजनन भूमिका में आएगा और यही अगर रसोईया किसी के घर में पका रहा है तो वह उत्पादन की भूमिका होगी।

1.2.15 समाज प्रबंधन भूमिका:

प्राथमिक रूप से समाज स्तर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य उनके प्रजनन कार्यों के अलावा पानी, स्वास्थ्य और विद्या जैसे सामूहिक उपयोगी पर अप्राप्त संसाधनों का

रखरखाव भी उन्हीं से किए जाते है। ये काम उनके द्वारा स्वैच्छिक अवैतनिक रूप से खाली समय में किए जाने वाले कार्य है।

उदाहरण: पानी और ईंधन की लकड़ियों का जंगलों से संचयन

1.2.16 समाज की राजनीतियों की भूमिका :

समाज स्तर पर पुरूषों द्वारा प्राथमिक रूप से दिए जाने वाले कार्य जो औपचारिक राजनैतिक स्तर प आयोजित है और राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेख के अंतर्गत है। यह कार्य आम तौर पर पुरूषों द्वारा किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम होता है या इसका परिणाम बढ़ी शक्ति और ओहदा होगा।

उदाहरण: समुदाय या समुदाय की संपत्ति आदि के संबंध में गाँव की बैठक या निर्णय लेना।

उदाहरण: समुदाय या समुदाय की संपत्ति आदि के संबंध में गाँव की बैठक या निर्णय लेना।

1.2.17 तिगुनी भूमिका :

इस शब्दा का संदर्भ उस तथ्य से है कि महिलाएं अधिक समय तक और दिन के अधिक अंतरों में पुरूषों से अधिक काम करते है चूँकी वे तीन लिंग संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते है: प्रजनन, उत्पादन और समाज प्रबंधन कार्य इसका संदर्भ "बहु-भूमिका" या 'तिगुना उत्तरदायित्व' से भी लिया जाता है।

1.2.18 लिंग आधारित कार्य का आबंटन:

लिंग आधारित कार्य का आबंटन का अर्थ (स्त्री या पुरूष युवा या वृद्ध) कौन क्या करेगा इसका संदर्भ कार्य के विभिन्न प्रकारों जैसे कारखानों में उत्पादकता कार्य, कार्यालय या भूमि पर; पुनरूत्पादन कार्य जैसे खाना बनाना, साफ-सफाई और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना सामाजिक क्रियाकलाप जैसे सामाजिक बैठकों में भाग लेना आदि से है।

1.2.19 लिंग आवश्यकताएं:

लिंग आधार पर महिला और पुरूषों के भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्व होते है इस तथ्य पर निर्भर होकर महिलाओं और पुरूषों की आवश्यकताएं भी भिन्न-भिन्न होती है। इन आवश्यकताओं को प्रायोगिक या रणनीतिक आवश्यकताओं के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

1.2.20 प्रायोगिक लिंग आवश्यकताएं (PGNs):

प्रायोगिक लिंग आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं है जो समाज में सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिकाओं को निभाने में मदद करती है। श्रमिकों का लिंग आधार पर विभाजन और समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के बावजूद पी जी एन चुनौतीपूर्ण नहीं होती। पी जी एन एक विशेष संदर्भ में पहचानी गयी तुरंत एवं कथित आवश्यकता की प्रतिक्रिया है। वे प्राकृति रूप से प्रायोगिक होते है और अपने जीवन की परिस्थितियों में कमियों जैसे पानी की उपलब्धता स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर चिंता व्यक्त करता है।

1.2.21 रणनीतिक लिंग आवश्यकताएं: (SGNs)

रणनीतिक लिंग आवश्यकताएं विशेष संदर्भ, लिंग आधारित श्रमिक विभाजन, शक्ति और नियंत्रण के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। इनमें न्याचिक अधिकार, प्रजनन अधिकार, घरेलू हिंसा, समान वेतन, भू-स्वामित्व अधिकार, इत्यादि मुद्दे सम्मिलित है। एस जी एन महिलाओं को समानता प्राप्त करने और विद्यमाना भूमिकाओं में परिवर्तन प्राप्त करने में सहायता देते है, तददवारा महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति पर चुनौती देती है। प्रायोगिक लिंग आवश्यकताओं की तुलना में ये अधिक दीर्घकालिक एवं कम दृष्टि गोचर होती हे।

1.2.22 लिंग संबंधी मामले:

लिंग संबंधी मामले लिंग के आधार पर चिंता जताई जाने वाले मद और या स्त्री व पुरूष के बीच लिंग आधारित भिन्नताएं है। स्त्री या पुरूषों का जीवन संबंधी सभी विषय और सामाजिक परिस्थिति, उनका अत: संबंध, संसाधनों का उपयोग व उपलब्धता में उनकी

भिन्नताएं, उनकी गतिविधियाँ और परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, मध्यस्यता और नीतियाँ लिंग मामलों में समाहित है।

1.2.23 लिंग को मुख्यधारा में लाना:

विशेष कार्यक्रमों के द्वारा लिंग को विशेष मद को रूप में सेबोधित करने स्थान पर नीतियों, योजनाएं, बजट में कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन और परिवीक्षण में लिंग पर विचार करना ही लिंग को मुख्य धारा में लाना है।

लिंग को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया स्त्री पुरूषों को समान रूप से संसाधनों की उपलब्धता व नियंत्रण, विकास के लाभ और निर्णय आदि सभी विकास प्रक्रियाओं का अश्वासन करना है।

1.2.24 लिंग विश्लेषण:

लिंग विश्लेषण महिलाओं और पुरूषों, लड़कियाँ और लड़कों की परिस्थिति एवं उनके बीच संबंधों को विश्लेषित करना है। लिंग विश्लेषण अन्य सामाजिक आयामों पर भी विचार करता है जैसे अमीर और गरीब, जाति वएं धर्म, शहरी एवं ग्रामीण, शिक्षित एवं अल्पशिक्षित और इनका प्रभाव महिलाओं और पुरूषों के बीच संबंध पर कैसे रहेगा। यह लिंग संबंधी सूचना को इक्ट्ठा करेन और प्रसंस्करण की विधि है।

यह लिंग आधार पर पृथक की गयी डैटा और लिंग की भूमिकाओं का सामाजिक निर्माण की समझ, श्रमिक का वर्गीकरण कैसे किया गया और उसका मूल्य की डैटा प्रस्तुत करता है। लिंग विश्लेषण विकास के लाभ और स्त्री-पुरूषों के बीच संसाधनों को प्रभावी एंव समान विभाजन और सफलता पूर्वक किसी भी नकारात्मक प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना और टालना। महिलाओं या लिंग के बीच संबंधों पर होगा। जिससे कि विकास का प्रभाव

1.2.25 लिंग आधार पर विभाजित डैटा:

लिंग विश्लेषण के लिए सभी आँकड़ों को लिंग के आधार पर पृथक करना चाहिए ताकि स्थीयों और पुरूषों पर अलग से पड़ने वाली प्रभाव को पहचान सके और उसे माप सके।

1.2.26 संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण:

संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण अधिकार से संबंधित है। स्त्री और पुरूष के बीच असमानता का विशेष परिणाम है।

इस अवधारणा के तीन भाग है : संसाधन, पहुँच और नियंत्रण पहला संसाधन का संदर्भ माध्यम और वस्तुओं से है जिससे आर्थिक (घरेलू आय) या उत्पादकता (भूमि, यंत्र उपकरण, कार्य ऋण), राजनैतिक (नेतृत्व की दक्षता, सूचना और समायोजन और समय समाहित है। पहुँच और नियंत्रण के अर्थ में कुछ अंतर है।

पहुँच का संदर्भ विशेष संसाधनों को उपयोग और उससे लाभ वस्तुगत, वित्तीय, मानवीय, समाजिक प्राप्त करने की दक्षता है। जबकि संसाधनों पर नियंत्रण का अर्थ संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण लेने की दक्षता है। उदाहरण के लिए भूमि पर महिलाओं के नियंत्रण का अर्थ भूमि को उपयोग करपान, स्वामित्व (न्यायिक रूप से हक्दार) और भूमि को बेचने या भाड़े पर देने हेतु निर्णय ले पान है। संसाधनों की उपयोगिता और नियंत्रण महिला सशक्तीकरण के मुख तत्व है उसके द्वारा लिंग समानता को प्राप्त किया जा सकता ।

1.2.27 लिंग बजटिंग (जेन्डर बजटिंग):

विकास के लाभ जितना पुरूषों को प्राप्त होंगे उतने ही महिलाओं को प्राप्त हाने के लिए जेन्डर मेनस्ट्रीमिंग की प्राप्ति के लिए जेन्डर बजटिंग एक प्रभाव उपकरण है। यह केवल लेखाकर्म का अभ्यास एक प्रभावी उपकरण है। यह केवल लेखाकर्म का अभ्यास ही नहीं परंतु नीति/कार्यक्रम तैयारी, उसका क्रियान्वयन और समीक्षा में जेन्डर का दृष्टिकोंण कायम रखने की निरंतर प्रक्रिया है। जेन्डर का दृष्टिकों कामयम रखने की निरंतर प्रक्रिया है। जेन्डर बजटिंग जेन्डर संबंधी भिन्नताओं के प्रभाव तथा जेन्डर संबंधी प्रतिबद्धता को बजट की प्रतिबद्धता में

परिवर्तित करने के आश्वासन हेतु सरकारी बजटों का मूल्यांकन करना है। जेन्डर बजटिंग के तीन संघटक है नीति मूल्यांकन, जेन्डर बजटिंग और जेन्डर लेखा परीक्षण।

लिंग उत्तरदायी बजट, लिंग संवेदी बजट, लिंग बजट और महिला बजट आम तौर पर एक के बदले एक प्रयुक्त होने वाले शब्द है।

लिंग बजटिंग (जेन्डर बजटिंग)

- इसका संदर्भ लिंग संवेदी तरीके से बजट की कल्पना, नियोजन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निरीक्षण, विश्लेषण तथा लेखापरीक्षण करने से संबंधित है।
- पुरूष एवं लड़कों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों पर वास्तव में किया गया व्यय तथा राजस्व का विश्लेषण सम्मिलित है।
- सरकार को नीति कैसे तैयार समायोजन और पुन: प्राथमिकता देना है पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।
- प्रभावी नीति कार्यान्वयन यह अच्छा उपकरण है जहाँ पर यह जाँच किया जा सकता है कि क्या आबंटन नीति प्रतिबद्धताओं के अनुसार किया गया है और उसमें प्रत्याशित प्रभाव है।

1.2.28 लिंग लेखापरीक्षा (जेन्डर ऑडिटिंग):

लिंग लेखापरीक्षण लिंग बजेटिंग प्रक्रिया का एक भाग है। जेन्डर लेखापरीक्षण की प्रक्रिया बजट कार्यान्वयन के बाद किया जाता है। यह वित्तीय आबंटनों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ परिवर्तनों, शेयरों की प्रतिशतता इत्यादि पर विचार करता है। विश्लेषण और अपनायी गयी वास्तविक व्यवस्थाओं, अपनायी गयी क्रिया, परिणाम और योजनानुसार बजट आबंटनों का प्रभााव इन सभी को जेन्डर की दृष्टि से देखना है।

1.2.29 लिंग (जेन्डर) नियोजन:

लिंग नियोजन का संदर्भ विकासात्मक कार्यक्रमें के नियोजन की प्रक्रिया से है और यह बदलती जेन्डर की भूमिकाओं लक्ष्यगत समाज की महिलाओं और पुरूषों की लिंग संबंधी बदलते प्रभावों पर विचार करता है।

1.2.30 लिंग तस्थता:

जेन्डर तटस्थ्य नीति किसी को भी और किसी परिस्थित, भूमिकाओं, आवश्यकताओं और पुरूषों, महिलाओं लड़का और लड़कियें की रूचि से प्रभावित नहीं होता और किसी को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में, बहुत कम नीतियाँ जेन्डर तटस्थ होती है। जब कोई नीति निर्माता किसी नीति को जेन्डर तटस्था होने का दावा करता है तो वे सामान्य तथा जेन्डर बेखबर होते है।

1.3 उपसंहार:

विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिंग एंव संबंधित शब्दों की आधारभूत अवधारणाओं और परिभाषाओं को समझने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण शब्दों की अवधारणात्मक समझ अध्ययन कर्त्ता को आगे आने वाले विषयों को समझने और सैद्धांतिक पक्ष के अंत संबंध को जानने में सहायता करता है।

1.4 सारांश:

- जेन्डर शब्द एक समाज में विशेष समय पर स्त्री और पुरूष के बीच संबंध का संदर्भ ग्रहण करता है।
- जेन्डर संबंधी जागरूकता को जेन्डर विश्लेषण के माध्यम से, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में लागू करने की आावश्यकता है।

- लिंग संवेदीकरण वर्तमान लिंग भिन्नताएं, मामले और असमानताओं पर प्रकाश डालेन की दक्षता पर जोर देता है और इन्हें रणनीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करता है।
- तीन भूमिकाएं महिलाएं तीन विभिन्न भूमिकाओं में सम्मिलित रहेंगी यथा उत्पादन, प्रजनन और समुदाय प्रबंधन।
- लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरूष की भूमिकाओं में भिन्नता होती है। साथ ही लिंग के आधार पर उनकी आावश्यकताएं अलग होती है। ये आवश्यकताएं प्रायोगिक या रणनीतिक होती है।
- जेन्डर मेनस्ट्रीमिंग स्त्री एवं पुरूषों का संसाधनों की समान उपलब्धता और उन नियंत्रण को आश्वासन देने की प्रक्रिया है। इसके अलावा विकास की प्रक्रिया के हर स्तर पर विकास के लाभ और निर्णायन का आश्वासन देना है।
- जेन्डर विश्लेषण सूचना के विश्लेषण का वह प्रक्रिया है जिससे कि विकास के लाभ और संसाधन प्रभावी व स्त्री-पुरूषों में समान रूप से लक्ष्य किए गए है।
- लिंग को मुख्य धारा में लाने के लिए जेन्डर बजटिंग शक्तिशाली उपकरण है जिससे कि यह आश्वासन हो सके कि विकास के लाभ जितना पुरूषों को पहुँचता है उत्तना ही महिलाओं के पहुँच सके।
- जेन्डर नियोजन का संदर्भ लिंग संवेदी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विकास नियोजन की प्रक्रिया है और वह लिंग आवश्यकताएं और लिंग भूमिकाओं की भिन्नता के प्रभाव।

1.5 अपनी प्रगति जाँचे:

1. 'यौन' और लिंग में अंतर क्या है?
2. कृषि महिलाओं की 'ट्रिपल बर्डन' भूमिका क्या है?

3. उपयुक्त उदाहरणों के साथ लिंग रूढिवाद की व्याख्या करें।

सही उत्तर को पहचाने:

1. 'यौन' स्त्री या पुरूष होने का .... रूप देना है (   )

(अ) सामाजिक (ब) जैविक (स) मानसिक (ड) प्रतीयमान

2. .... का संदर्भ सामाजिक रूप से निर्मित लक्षण, अवसर और संबंध और सामाजीकरण की प्रक्रिया से सीखे गए है (   )

(अ) पुरूष (ब) यौन (स) लिंग (ड) प्रौढ़ता

3. .... शब्द पुरूषों की तुलना में महिलाओं का लंबे समय तक और अधिक विभाजित दिनों में काम करने तथ्य का संदर्भ ग्रहण करता है।

4. जेन्डर .... शब्द लिंग संवेदी विकासात्मक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के नियोजन की प्रकिया से संबंधित है।

(अ) नियोजन (ब) कार्यान्वयन (स) अज्ञानता (ड) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

5. .... लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए प्राप्त शक्तिशाली उपकरण है ताकि विकास के लाभ पुरूषों को जितना मिल रहे हैं उतने ही महिलाओं को प्राप्त करने का आश्वासन करना है।

(अ) जेन्डर बजटिंग (ब) लिंग सेवेदिता (स) लिंग विशलेषण (ड) इनमें से कोई नहीं ।

1.6 अन्य अध्ययन

1. Agarwal, Bina (2016). Gender Challenges- Agriculture, Technology and Food Security, Vol. 1; Oxford University Press, India.
2. Gender Mainstreaming in Agriculture and Rural Development- A Reference Manual for Governments and Other Stakeholders; Commonwealth Secretariat.
3. World Bank; Food and Agriculture Organization; International Fund for Agricultural Development (2009). Gender in Agriculture Sourcebook. Agriculture and Rural

Development; Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6603 License: CC BY 3.0 IGO."

यूनिट - II: कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका

"लिंग समानता अपने आप में लक्ष्य से अधिक है। गरीबी हटाने की चुनौतियों, सततत विकास को बढ़ावा देना और अच्छे शासन का निर्माण की पूर्ती के लिए यह पूर्वापेक्षा है।

(कोफी अन्नान)

यूनिट की मुख्य विशेषताएं:

- उद्देश्य
- परिचय
- कृषि में महिलाओं की भूमिका
- पशुपालन में महिलाएं
- कोशकीट पालन में महिलाएं
- बागवा ानी में महिलाएं
- मत्स्यपालन में महिलाएं
- वानिका में महिलाएं
- ग्रामीण उत्पादकता में महिलाएं
- खाद्य सुरक्षा में महिलाएं
- प्राकृति संसाधन प्रबंध में महिलाएं

- घर प्रबंधन में महिलाएं
- सारांश
- अपनी प्रगति जाँचे:
- अन्य अध्ययन

2.0 उद्देश्य

- कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में कृषक महिलाओं के योगदान के संबंध में अध्ययन कर्त्ता को संवेदी बनाना।
- अध्ययन कर्त्ताओं में कृषि में महिलाओं के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करना।

2.1 परिचय

भारतीय कृषिक महिलाओं पर दुगुना उत्तरदायित्व के साथ अधिक कार्यभार है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अपकर्ष, प्राकृतिक आपदाएं, पुरूषों का प्रभाव और बदलते कृषि तकनीकियों के कारण उनका कार्य कठिन होता जा रहा है। महिलाएं व्यापक रूप से फसलोत्पादन, बागवानी, पशुधन प्रबंधन, फसलोत्तर परिचालन, मत्स्िकी, कृषि-वानिकी और धरेलू कार्यों से व्यस्त रहती है। उनका अधिकांश समय लकड़ी जमा करने, चारा और पानी, घर में गुजर जाता है। वे घरेलू आय में कृषि वेतन अर्जक तथा कुटीर उद्योग के स्तर पर अपना योगदान देती है।

2.2 कृषि में महिलाओं की भूमिका

वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 1000 पुरूषों के लिए 943 महिलाओं का अनुपात है, राष्ट्रीय साक्षरता दर 74 प्रतिशत है परंतु कार्य करने वालों के दर में 52.26 प्रतिशत पुरूषों के विपरीत 25.51 प्रतिशत महिलाएं है। महिलाएं भारतीय कृषि श्रमिकों की रीढ़

है, वैश्विक कृषि श्रमिकों में 43 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। वे अपना समय में से 45.50 प्रतिशत कृषि क्रियाकलापों के लिए व्यतीत करती है, 63 प्रतिशत पुरूषों के विपरीत 79 प्रतिशत महिलाएं कृषि व तत्संबंधी क्षेत्रों के कार्यों में व्यस्त रहती है। (सौजन्य: जेन्डर रेफरेन्स मैन्युअल, 2016, आई सी ए आर - सी आई डब्ल्यू ए)। कृषि में उनकी भागीदारिता पर विचार करते हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कुल महिलाओं में से 87.5 प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्यों में सम्मिलित है और लग-भग 70 प्रतिशत कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। भारत अनाज, दलहन, कदन्न, तिलहन, नकदी फसल, वृक्षारोपण फसल और बागवानाी फसल क्षेत्र आधार पर उगाए जाते है जहाँ महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है। नामी कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन का कहना है कि महिलाओं ने ही सबसे पहले पौधों को घरों में उगाना शुरू किय और कृषि की कला और विज्ञान को प्रारंभ किया। महिलाएं प्रकृति संपदा जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधों के संरक्षण में मुख्य भूमिका निभा रही है। हाल ही में महिला एंव जनसंख्या प्रभाग, एफ ए ओ ने बताया कि विकासशील देशों में महिलाएं कृषि श्रमिकों में 70 प्रतिशत घरेलू खाद्य उत्पादन के श्रमिक में 60-80 प्रतिशत आधारभूत पदार्थों के प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत खाद्य संरक्षण और 90 प्रतिशत जल एवं ईंधन की लकड़ी के संचालन में अपना योगदान रखते है। खाद्य उत्पादन करती है और वे विश्व के खाद्य उत्पादन में आधे उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। महिलाएं अपने आप को कृषि संबंधी सभी प्रक्रियाओं यथा बुवाई, रोपण, निराई, अन्य अंत: सांस्कृति क्रियाओं में, कटाई, मूल्यजोड़ और विपणन में सम्मिलित करती है।

2.3 महिलाएं

2.4 कोशकीट पालन में महिलाएं:

भारत में, मुख्य नकदी फसलों में कोशकीट पालन भी एक है, जो आवश्यक रूप से ग्रामीण आधारित उद्योग है जहाँ मुख्यत: काम करने वाले महिलाएं ही होगी। विश्वस्तर पर कुल रेशम उत्पादन में से 95 प्रतिशत उत्पादन आसिया में होने के कारण असिया को मुख्य रेशम उत्पादक माना जाता है। पूरे विश्व में भारत को रेशम उत्पादन द्वितीय स्थान पर है और वार्षिक रेशम उत्पादन के साथ वैश्विक रेशम उत्पादन में 18 प्रतिशत का योगदान रखता है। भारत के कुल 6.39 लाख गाँवों में से लगभग 69,000 गाँव रेशम उत्पादन का काम करते है (केन्द्रीय रेशम बोर्ड, 2002), गीता और इंदिरा, 2001, लक्ष्मणन और अन्य 2001) जो रेशम उत्पादन के कुल श्रमिकों में से 60 प्रतिशत महिलाओं को कार्य पर लेते है। मलबरी बागानों में, वे रेशम कीट के खाद्य पौधों को उगाना, अंतर फसल, निराई, खेतों में फार्म की खाद डालने, पत्ते तोड़ने और उनका परिवहन, छँटाई और रेशम कीट के लार्वे को रॉ सिल्क उत्पादन के लिए पालने में व्यस्त रहती है। ककून-उपरान्त तकनीक में, महिलाएं सिल्क फिलमेंट में से बहुत ही मुलायम और नाजुक रेशम को निकालकर कौशलपूर्वक रील बनाने में सम्मिलित होती है। घरों में भी, पत्तों की कटाई, बेड को साफ करना, रेशम कीटों को खाना खिलाना, साफ-सफाई का रख रखाव परिपक्व कीटों का चयन कर उन्हें मोंटेज पर रखना जैसे रेशम कीट उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों में महिलाओं का एकाधिकार है।

2.5 बागवानी में महिलाएं:

उत्पादन, फसलोत्तर प्रसंस्करण और मूल्य जोड़ सहित बागवानी में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फल वृक्षों की खेती में, वे निराई, सिंचाई, एकत्रीकरण, चयन और ग्रेडिंग में

सम्मिलित होती है। सब्जियों के उत्पादन में महिलाएं खेत को तैयार करना, बीज साफ करना, बीज बोना, अंकुरों को रोपण, निराई, कटाई, छंटाई और सब्जियों का श्रेणीकरण में भाग लेती है। कभी-कभी वे खाद डालने भी जाती है। फार्म कार्य जिनमें 100 प्रतिशत महिलाओं की भागिदारिता है वे है - उपज को साफ करना, कटाई, चयन, संरक्षण और प्रसंस्करण क्रियाकलाप है। महिलाओं को चुने गए सब्जियों, फलों और औषधीय पौधों की जैवी खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मशरूम खेती, वर्मि कम्पोस्ट, प्रसंस्करण के माध्यम से वे उच्च आय वाले रोजगार का सृजन करते है।

2.6 मत्स्यपालन में महिलाएं:

भारत में, कुल 5.4 मिलियन सक्रिय मछुआरों में से, 3.8 मिलयन मछुआरे और 1.6 मिलयन मछुआरिन है। एफ ए औ (2015) के अनुसार 70 प्रतिशत वैश्विक मत्स्यपालन श्रमिक महिलाएं है। विकासशील और विकसित देशों में महिलाएं अधिक संख्या में फसलोत्तर, उत्पादन बदलाव क्रियाकलापों में सम्मिलित होती है। (एफ ए ओ 2017). मलेशिया में कुल मत्स्यपालन के क्षेत्र में 10 प्रतिशत महिलाएं है, वे मुख्य रूप से स्वच्छजल मत्स्यपालन में और हैचरी के क्रियाकलाप करती है और श्रीलंका में महिला श्रमिकों में 5 प्रतिशत श्रिम्प फार्म और 30 प्रतिशत सजावटी मत्स्यपालन में सम्मिलित है। अधिकतर भारतीय महिलाएं मत्स्य उत्पादन मछली पकड़ना, साफ करना, प्रसंस्करण छीलने, सुखाने, विपणन और जालों का मरम्मत करने में सम्मिलित होती है। कभी कभी वे झींगा पालन, समेकित मत्स्यपालन, बैकयार्ड हैचरीस, फिस-फीड तैयारी, फिश हारवेस्टिंग, पैकेजिंग, मूल्य जोड़, जालों का मरम्मत और सजावटी मत्स्यपालन में व्यस्त रहती है। मिहलाएं समुद्री जालों से ज्यादा स्वच्छ जल तालाबों से अधिक मछली उतपादन करती है। स्वच्छ जल और ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में महिलाएं कार्प संवर्धन और नर्सरी तैयारी, कार्प पॉली कल्चर, कैटफिश का संवर्धन बौर बैकयार्ड हैचरी में स्वच्छ जल

झींगा संवर्धन करती है। वे मछलियों का दाना तैयार करने और दाना डालने, तालाबों की सुरक्षा करने, तालाबों का रखरखाव करने और हार्वेस्टिंग का काम करती है। व्यावसायिक मछलीपालन के क्षेत्र में, महिलाएं दैनिक मजदूरी पर डि-हेंडिंग, छिलना, ड्रेसिंग, साफ करना, धोना और आइस में रखना। स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से महिलाएं सजावअी मछलियों का प्रजनन और देखभाल विशेष रूप से गप्पी, प्लाटी मोली और स्वपर्ड टेल की करती है। लघु उद्योग एक्वाकल्चर में महिलाएं, परिवारिक तालाब या टैंक, में मछलियों को बढ़ाने के लिए प्रोटिन, आय और रोजगार प्रदान करती है।

2.7 वानिकी में महिलाएं:

भारत में ग्रामीण एवं आदिवासी जनता वनों पर अत्यधिक निर्भर करते है। भारत में सामाजिक - सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण, महिलाएं ही गैर-वानिकी उत्पादों को संकलित एवं उपयोग करते है। वे फलों, बादाम आदि नट्स, जड़, कंद, सब्जियों, मशरूम, रस, गम, औषधि, बीज, घरेलू वस्तु, निर्माण समाग्री, सींग, अंडे, शहद, फर, जंगली पत्ते और फार्म उपयोगी वसतुओं को इकट्ठा करते है क्योंकि वे इन चीजों वे लक्षण तथा उनकी उपयोगिता को भली भाँती जानते है। अफ्रीका में ईंधन लकड़ी जमा करने का कार्य प्रधान रूप से महिलाओं और लड़कियाँ ही करतही है (सन्डरलैंड एट अल, 2014) सामान्यत: महिलाएं पौध रोपण कर कृषि वानिकी चारा घास का प्रबंधन करती है। महिलाएं वानिकी और कृषि-वानिकी मूल्य जोर के लिए विशेष योगदान देती है। विशेष रूप से एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और घरेलू खाद सुरक्षा के लिए एन टी एफ पी का विपणन। इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा इन क्रियाकलापों से सृजित आय घरेलू खरीदारी क्षमता को स्पष्टत: बढ़ा देता है।

2.8 ग्रामाीण उत्पादन में महिलाएं:

फार्म पर गैर कृषि भारत की ग्रामीण महिलाएं दैनिक मजदूरी पर आय प्राप्त कार्यों पर लगाती है। मुख्यत: वे पशुपालन लघु उद्योगों, कृषि प्रसंस्करण और घर के बगीचों रस्सी और मैट की

तैयारी, रेशम की ककूनों को पालन, बॉक्स के काम, रबड़ कल्टीवेशन, तेल निकालन, पत्तल बनाना इत्यादि। महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणात्मक और सामाजिक परिवर्तनों को गति प्रदान करती है। महिलाएं यू एन महिला कार्यक्रमों में और भारत की एम जी एन आर ई जी ए (MGNREGA) के कार्यक्रमों में अपने परिवार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भाग लेती है। इन सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का उद्देश्य गरीबी और बेररोजगारी को हटाना, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर में सुधार लाना और ग्रामीण जनता के आवास और कपड़े जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ती करना है।

2.9 खाद्य सुरक्षा में महिलाएं:

खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा के आश्वासन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मुख्य धान और कदन्नों के उत्पादकों के रूप में और पशुधन व मत्स्य संबंधी उत्पादों के प्रसंस्करण कर्त्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी भूमिकाएं प्रबंधकों से लेकर भूमि हीन मजदूरों तक होती है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माँए, बुजुर्ग व अस्वस्थ्य, बच्चे और अन्य सहित परिवार के सदस्यों को उचित भोजन प्रदान करने पर निर्णय लेने वाली महिलाएं ही होती है। वे सामान खरीदकर भोजन तैयारी करती है। सबिता व अन्य (2005) के अनुसार कृषक महिलाएं हरे पत्ते, सब्जियाँ व फल, गायों को पालकर दूध और उसके उत्पाद; कुक्कुट पालन से अंडे, स्थानीय रिजर्वायरों से स्थानीय मछली और झींगा, स्थानीय रूप से वर्षा ऋतु में मशरूम संकलन, मधुमक्खी पालन से शहद की आपूर्ती करती है। वैश्विक समाज में खाद्य एवं पौषणिक सुरक्षा महत्वपूर्ण विकास एजेन्डा के स्तर पर निरंतर रहती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable development goals SDGs) में स्पष्टत: प्रतिविंबित हुए है।

2.10 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाएं:

भूमि का उपयोग एवं उसके प्रबंधन में महिलाओं का अत्याधिक योगदान होता है। वे जंगलों में कई वस्तु इक्ट्ठा कर खाद तैयार कर मिट्टी में डालती है। भारतीय महिलाएं चिपको और अप्रिकों जैसे कई वन संरक्षण और उसके गुणवत्ता के रखरखाव को जानती है। पहाड़ी इलाकों में महिलाएं पशु पारिस्थितिकी पर ज्ञान रखती है। वे अपने घर के आस-पास उपलब्ध संसाधनों से भली भाँती परिचति है।

2.11 घर प्रबंधन में महिलाएं:

महिलाएं पत्नी, माँ, दोस्त, संरक्षक, आया आदि कई पारम्परिक भूमिकाएं निभाती है। कई मामलों में वे खुद रोजीरोटी कामने वाली होती है और कई रिपोर्ट नहीं की जाने वाली और पहचान नहीं पाने वाली घरेलू कार्य करती है। महिलाएं अधिकतर घर के कामों में व्यस्त रहती है। ग्रामीण महिलाएं संसाधन प्रबंधक होने के नाते, प्रभावी घरेलू प्रबंधन के उत्तरदायी होंगे। वे इंधन लकड़ी को विवेकपूर्ण उपयोग, चारा और पेय जल का उपयोग वे बहुत अच्छी तरह से जानती है। वे स्थानीय संसाधनों को इकट्ठा करना, संरक्षण, पुन: उपयोग और रिसाइकिल करना जानती है। बच्चों का पालन पोषण, खाना बनाना, साफ-सफाई, बर्तन-कपड़ों को साफसुथरा रखना, बच्चे एवं बड़े-बुजुर्गों का ख्याल रखने के प्रति उनका अधिक उत्तर दायित्व है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर आय सृजन के क्रियाकलाप करने और घरेलू आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु अपन योगदान देना का उत्तरदायित्व है। इसके लिए, वे लगातार प्रयास करती है और आगे की सोच कर योजना बनाती है साथ ही परिवार के सदस्यों का भी देखभाल करती है।

निष्कर्ष:

कृषि में कृषक महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग संबंधी चुनौतियों को ध्यान रखते हुए, महिलाओं की दृष्टि से कार्यक्रम/योजनाएं, उपकरण व यंत्र, तकनीक और अनुसंधान परियोजनाओं का विकास किया जाना चाहिए। उपजाऊ संसाधनों का महिलाओं द्वारा उपयोग एवं नियंत्रण को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। महिलाओं

द्वारा उपयोग एवं नियंत्रण को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। महिलाओं द्वारा वर्ष भर किए जाने वाले कृषि कार्यों को उनके लिए ही आरक्षित कर रखना चाहिए ताकि उन्हें वर्ष भर रोजगार प्राप्त हो सके। महिला साधिकारिता उनकी मानसिक एवं बौद्धिकता के आधार पर घरों से ही प्रारंभ होना चाहिए। दूसरे तरफ महिलाओं को भी अपना एक दृढ़ नेवटर्क स्थापित कर लेना चाहिए जिससे कि वे अपने साधिकारिता के कारण प्राप्त होने वाले लाभों को दुगना कर सके और सभी विषयों में आत्म-निर्भर बन सके जो लिंग असमानता को दूर कर जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखेगा।

2.12 सारांश

- महिला कृषि कर्म की रीढ़ है और वैश्विक कृषि श्रमिकों में 43 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है। वे अपने 45-50 प्रतिशत समय में से कृषि गतिविधियों में लगाती है। 63 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में 79 प्रतिशत महिलाएं कृषि एंव कृषि संबंधी कार्यों में लगातार व्यस्त रहती है।

  (सौजन्य: जेन्डर रिफरेन्स मैन्युअल, 2016, आई सी ए आर - सी आई डब्ल्यू ए)

- ग्रामीण क्षेत्रों में कुल नियोजित महिलाओं में से 89.5 प्रतिशत कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यों में कार्यरत है और लगभग 70 प्रतिशत कृषि कार्य महिलाओं द्वारा ही किए जाते है। भारत कई प्रकार के अनाज, दलहन, कदन्न, तिलहन, नकदी फसल, रोपण फसल और बागवानी फसल क्षेत्र के आधार पर उगाती है, जहाँ महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है।

- पशुपालन में महिलाओं की भूमिका पशुधन प्रबंधन और उत्पादन, चारा प्रबंधन, पशुओं का देखभाल, ईंधन के लिए पशु अपशिष्टों का प्रसंस्करण, चारा इकट्ठा करना सब में रहती है।
- कोशकीट पालन के कुल श्रमिकों में से लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं ही है। मलबरी बागों में वे रेशम कीटों के चारा पौधों को बढ़ाना, निराई, फार्म यार्ड खाद डालना, पत्तों को तोड़ना और उनका परिवहन, छटाई और रेशम कीट लार्वो को रॉ सिल्क तैयार करने के लिए बढ़ाने में सम्मिलित होती है।
- उत्पादन, फसलोत्तर कार्य और मूल्य जोड़ सहित बागवानी में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है।
- एफ ए ओ (2015) के अनुसार, वैश्विक मत्स्यपालन श्रमिकों में से 70 प्रतिशत महिलाएं ही है। विकासशील एवं विकसित देशों में, फसलोत्तर एवं उत्पादन परिवर्तन गतिविधियों में अधिक संख्यक महिलाएं ही है। (एफ ए ओ, 2017)
- भारतीय महिलाएं अधिकतर मत्स्यपालन में प्रसंस्करण, छिलना, सुखाना, विपणन और जल के रखरखाव में सम्मिलित है। कभी कभी वे झींगा पालन, सकेकित मत्स्य पालन, बैकयार्ड, हैचरीस, मत्स्य फीड उत्पादन, मछली हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, मूल्य जोड़ जाल का रखरखाव और सजावटी मछली पालन में सम्मिलित होती है।
- महिलाएं वानिकी एवं कृषि वानिकी वैल्यू चैन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से इकट्ठा करने, और अपने घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए एन टी एफ पी का प्रसंस्करण और विपणन में।

- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के आश्वासन में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है। कृषिक महिलाएं हरी सब्जियाँ, सब्जियाँ और फल; गाय पालन से दूध और दूध के अन्य उत्पादों, मुर्गी/बत्तख पालन से शहद इत्यादि की आपूर्ती करती है।
- महिलाओं पर शिशुपालन की, खाना बनाने, साफ-सफाई, बर्तन माँजने व कपड़े धोने का, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार सदस्यों के देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही वे इंधन की लकड़ी, चारा और जल का संचयन व पशुओं का देखभाल भी करती है।

2.13 अपनी प्रगति जाँचे

1. कृषि में महिलाएं कौन कौन सी भूमिकाएं निभाती है?
2. कृषि संबंधी क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है?
3. 'प्राकृति संसाधन प्रबंध' से महिलाएं कैसे जड़ी हुई है?

सही विकल्प चुनिएं:

1. विश्व के परिदृश्य में दुग्ध उत्पादन में भारत की संख्या .... है।
2. पहला (ब) दूसरा (स) तीसार (ड) चौथा
3. एफ ए ओ (2015) के अनुसार वैश्विक मत्स्यपालन श्रमिकों में से .... महिलाएं है।

(अ) 50% (ब) 30% (स) 70% (ड) 80%

4. जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में प्रति 1000 पुरूषों के लिए .... महिलाएं है।
5. महिलाएं कृषि की रीढ़ बनी रहेगी और वैश्विक कृषि श्रमिकों में .... प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

(अ) 80 (ब) 94 (स) 22 (ड) 43

6. भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की लाईफ लैन है, जो .... प्रतिशत जी डीपी में अपना योगदान देती है।

(अ) 10 (ब) 28 (स) 25 (ड) 33

2.14 अन्य अध्ययन

1 Women in Sustainable Agriculture, (2014), C. Satapathy and Sabita Mishra, New India Publishing Agency, New Delhi.

2 Women in Agriculture: A Guide to Research (2012), Second Edition, Marie Maman, Thelma H. Tate, eBook, New York.

3 The State of Food and Agriculture (2010-2011): Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development, Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.

4 Women in Agriculture and Rural Development (2009), Sridhara, Shakuntala: eds. New India Publishing Agency, New Delhi.

5 Gender in Agriculture Sourcebook (Agriculture and Rural Development Series) (2008), World Bank, Food , Agriculture Organization (FAO) and International Fund for Agriculture Development (IFAD).

Block II: Mainstreaming women in Agriculture

यूनिट - I: कृषि में लिंग संबंधी मामले और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु रणनाीतियाँ

“सब के जागरूक बनाने के लिए महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। जब वे आगे बढ़ेगी तभी परिवार आगे बढ़ेगे, गाँव आगे बढ़ेगे, देश आगे बढ़ेगा” - पंडित जवाहरला नेहरू

इस यूनिट की मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य
- परिचय
- कृषि में लिंग को मुख्यधारा में लाना
- लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए आधारभूत सिद्धांत
- जेन्डर चैकलिस्ट - मुख्य मुद्दे
- चैकलिस्ट का उपयोग
- कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न लिंग संबंधी, मामले
- इन मामलों से निपटने के अप्रोच और विधियाँ
- लिंग को मुख्य धारा में लाने के नमूने
- सफल कहानियाँ

- निष्कर्ष
- सारांश
- अन्य अध्ययन

1.0 उद्देश्य

- लिंग को मुख्धारा में लाने के महत्व पर समझ का विकास करना
- कृषि में लिंग मुद्दों और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त रणानीति पर आवेदकों को जानकारी प्रदान करना और
- केस स्टडीज के माध्यम से सफल कृषिक महिलाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

1.1 परिचय

महिलाएं विश्व के कार्य घंटों में से दो/तिहाई घंटे काम करती है, फ‍िर भी उन्हें संसाधनों की कमी है और अधिकार के पदों में उनका बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है। विकासशील देशों की अधिकांश निम्न-आय वाली महिलाएं प्राथमिक रूप से कृषि में ही कार्य करती है, परन्तु कई साहित्य यह दर्शाते है कि पुरूष ही कृषि तकनीकियों को सर्वप्रथम अपनाने एवं उसे एक रूप देने वाले होते है। इस प्रकार की असमानता पूरे विश्व में देखने को मिलती है। लिंग असमानताओं पर विचार किए बिना, आर्थिक विकास और वैश्वीकरण संभव नहीं है लिंग पक्षपात वैश्विक तथ्य है और कृषक महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

3.1.1 कृषि में लिंग को मुख्यधारा में लाने का महत्व

भारतीय महिलाएं खाना बनाना और बच्चों का देखभाल करना सहित घरेलू कार्यों पर महिलाएं प्रतिदिन 354 मिनट लगाती है जो पुरूषों की तुलना 36 मिनट ज्याद है। (बड़लेंडर, 2010)

विकासशील देशों में, लग-भग 75-80 प्रतिशत महिलाएं कृषि में सम्मिलित है। वे भू-स्वामित्व, क्रेटिड प्राप्त करने, बाजार, तकनीक, बीज, जल, सूचना, शिक्षा अन्य सेवाओं में लिंग संबंधी समस्याओं से निपटना पड़ता है। एस एस एस ओ (2010) के सर्वेक्षण से पता चला कि 40 प्रतिशत पुरूष किसान लाभ प्राप्ति कम हाने के कारण कृषि कर्म को छोड़ना चाहने है। धीरे धीरे पुरूष गैर कृषि कार्यों की ओर प्रस्थान कर रहे है। इन परिस्थितियों में, महिलाओं को कृषि कार्यों की ओर प्रस्थान कर रहे है। इन परिस्थितियों में, महिलाओं को कृषि कार्यों के साथ साथ घरेलू कार्यों को भी संभालना पड़ता है। भारत के 36 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में से, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के कार्य दर को 15 से घटती रवैये को दर्शाया है जबकि 21 ने बढती रवैये को भारत के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राज्यों से नागालैंड, (44.74 प्रतिशत), सिक्किम (39.57 प्रतिशत), मणिपुर (38.44 प्रतिशत) ने कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारिता में बढ़ोत्तरी को दर्शाया है।

(दाश और सरकार, 2014) अत: कृषि का भविष्य कृषक महिलाओं के हाथ में होगा। भारतीय समाज में, अभी तक, महिला कृषकों को ‘‘किसानों’’ के रूप में पहचान नहीं मिली परंतु किसानों की पत्नियाँ ही रही है। उनके योगदान को पहचान नहीं मिला है इसलिए वे विकास कार्यक्रमों से दूर रहती है। मेमीमाह और अन्य (2013) के अनुसार, भारत में 38.3 प्रतिशत महिलाएं कृषि इनपुट तत्पश्चात विस्तार सेवाएं (23.3 प्रतिशत), ऋण सुविधाएं (17.3 प्रतिशत) और आऊटपुट बाजार (14.3 प्रतिशत) इन सब ने कृषि उत्पादकता को कम किया है।

इस मोड़ पर, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संसाधनों, सेवाओं, तकनीकियों, ऋण तथा सूचना के ऊपर नियंत्रण और उपलब्धता के साथ महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए लिंग को मुख्यधारा में लाना और समानता दिखाना आवश्यक हो जाता है। आगे, सभी स्तरों के हितधारकों को जेंडर के प्रति जागरूक बनाना होगा, जिससे कि वे लिंग संवेदी नियमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विकास कर सके। यदि महिलाओं को भी उत्पादक संसाधनों को उपलब्ध कराएंगे

तो वे पैदावार को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ाकर विकासशील देशों के कुल कृषि उत्पादन को 2.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकते है। उत्पादन में यह बढ़ोत्तरी सारे विश्व में 12-17 प्रतिशत तक भूखे लोगों की संख्या में कमी ला सकते है।

लिंग संवेदी कैम्पस के आश्वासन हेतु स्त्री एवं शिशु कल्याण मंत्रालय के संस्तुतियों के अनुसार "जैंन्डर चैम्पियन्स" को नियुक्त कने हेतु विश्व विद्यालयों को सुझाव देते हुए एक अधिसूचना जारी करने को वरीयता दी है। ये चैम्पियन्स खुद के महाविद्यालयों में सभी स्तरों पर लिंग पक्षपात को हटाकर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता लाने की दिशा में वे कार्य करेंगे।

(स्रोत : नेशनल करन्ट एफेयर्स, डेक्कन क्रॉनिकल, 25 जून, 2018, हैदराबाद)

3.2 लिंग को मुख्यधारा में लाने के आधारभूत सिद्धांत

- मूल्यांकन एवं संवीक्षण के लिए एक सक्षम तंत्र को सथापित किया जाना चाहिए। लिंग समानता उत्तरदायित्वों को निश्चित करना चाहिए। प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारी लिंग समेकित नीतियों तथा संगठन के भीतर उनके अभ्यासों का ख्याल रखना चाहिए।
- एक ही तरह के संस्थानों की निष्पादन की तुलना करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए और सांख्यिकी आँकड़ो, अभ्यासों और नीतियों के शेयरिंग को इस तंत्र के द्वारा होना चाहिए। इससे संस्थाओं को लिंग संबंधी आवश्यकताओं, शिकायतों, मूल्यांकन व कर्मचारियों का प्रोफाईल, विभिन्न समितयों में महिलाओं की भागीदारिता पर जानकारी मिलेगी साथ ही महिलाओं के व्यावसायिक प्रगति को सरल बनाएगा।
- महिलाओं के सम्मिलित होने के सभी क्षेत्रों में लिंग आवश्यकताएं, वरीयताएं, मदों और समस्याओं को पहचानना चाहिए।

- लिंग को मुख्यधारा में लाने से संबंधित विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रमाणित उपकरणों के उपयोग के माध्यम से हमेशा लिंग विश्लेषण करवाया जाना चाहिए।
- लिंग समता, समानता और अंतत: मुख्यधारा में लाने के लिए निर्णयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारिता अत्यावश्यक है। बीजिंग प्लैटफार्म पर एक्शन के अनुसर महिलाओं के सक्रिय भागीदारिता के बिना और निर्णयन के सभी स्तरों पर महिलाओं के बारे में सोचे बिना, समानता, विकास एवं शांति के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते है।
- नीति एवं कार्यक्रमों के उचित अनुपालन के लिए पर्याप्त बजट और मानव संसाधन का आबंटन किया जाना चाहिए।
- एप्रोच हमेशा लिंग समानता लक्ष्य के साथ टॉप-डाऊन के बजाय 'बॉटम-अप' होना चाहिए।
- सांस्कृतिक मूल्यों के सिद्धांतों को आचरण किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं को पुरूषों की तुलना में अधिकतर नियंत्रित किया जाता है। अत: लिंग का परिवर्तन किए बिना, नीतियों एवं कार्यक्रमों को रूपरेखित, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।
- लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए नए एप्रोच, विधियाँ और कार्यक्रमों द्वारा लिंग असमानताओं का समाधान देने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान को नवीकृत करने हेतु कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना चाहिए।
- जेन्डर बजटिंग के सिद्धांतों का लक्ष्य जेन्डर परिदृष्य के अनुसार बजटों और नियमों का विश्लेषण होना चाहिए।

- लिंग असंकलित आँकड़ों को ग्रासरूट स्तर विशेषज्ञों से संकलित करना चाहिए जिससे महिलाओं के मामले समाधान करने के लिए नीति संस्तुतियों की जा सके।

3.3 जेन्डर चैकलिस्ट - मुख्य मुद्दे

चैक लिस्ट आंकड़े संक्लन की एक विधि है जिसमें गतिविधियों की सूची के लिए उपयोग किया जाता है। चैकलिस्ट का उद्देश्य फसलोत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि कार्यों में लिंग मदों को मुख्यधारा में लाने को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रायोगिक उपकरण है। चैकलिस्ट को संगठन के नेताओं, नीति निर्माताओं, विस्तार कर्मियों और अनुसंधान कर्त्ताओं की सहायता के लिए तैयार करना चाहिए तकि वे संगठन के परिवेश में, विस्तार विधियों, विकासात्मक कार्यक्रमों, अनुसंधान परियोजनाओं इत्यादि में लिंग दृष्टिकोण को समाहित कर सके। इसे सभी क्षेत्रों में लिंग दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक योजना मार्गदर्शक के रूप में,/पुनरीक्षण के लिए/ एक कसौटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

कुछ लिंग संवेदी चैकलिस्ट के उदाहरण निम्नानुसार है।

3.1 संस्थागत परिवेश में लिंग संवेदीकरण के मूल्यांकन हेतु चैकलिस्ट:

मानव समाज और भौतिक परिवेश का संबंध स्त्री एवं पुरूषों पर अलग-अलग रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक कार्य परिवेश अपने कर्मचारियों को कार्य पर आने में उत्साह प्रदान करता है साथ ही दिनभर वहाँ रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। लिंग संवेदी कार्य परिवेश महिला कर्मचारियों को संरक्षित एवं सुरक्षित कार्य स्थल प्रदान करता है। कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के लिए लिंग शोषण/अलगाव से मुक्त और साफ पर्यावरण वाला परिवेश होना चाहिए। कार्यस्थलों में यह भी आश्वासन करना चाहिए कि महिला कर्मियों के लिए स्वास्थ्य एवं संरक्षण की सुधार होना चाहिए।

चैकलिस्ट का उपयोग कैसे करें?

संस्थागत परिवेश में लिंग सेवेदी विश्लेषण करते समय चैक के रूप में 23 कथन/विषय रहेंगे। चैकलिस्ट में प्रत्येक कथन/विषय को समान महत्व दिया गया है। संस्था प्रधान द्वारा इन चैकलिस्ट कथनों का पालन दो मुद्दों पर हमेशा करन चाहिए हाँ या नहीं और 1 से 10 तक के अंक लगातार होना चाहिए। कुल उच्चतम और न्यूनतम अंक क्रमश: 23 और 0 होंगे। इस प्रकार लिंग आंकलन मूल्य प्रत्येक प्रतिवाद/कथन के लिए 0 से 1 तक होगा क्रमश: न्यूनतम और उचतम/उच्च लिंग आकलन मूल्य संस्थागत परिवेश में अधिक लिंग संवेदिता को सूचित करता है। इसे निम्न फार्मुला द्वारा परिकलित किया जाता है:

$$\textbf{लिंग आकलन मूल्य} = \frac{\textbf{प्राप्त अंक}}{\textbf{उच्च संभाव्य अंक}} = \frac{\textbf{23 में से}}{\textbf{23}}$$

संस्थागत परिवेश में लिंग संवेदी मूल्यांकन के लिए निम्न चैकलिस्ट का उपयोग करें:

क्र.सं.	कथन	अंक	हाँ	नहीं
1	क्या संस्थान के अधिदेश में कोई लिंग संबंधी संघटक है?	1/23		
2	क्या यह संस्थान, अपने संस्थागत प्रक्रियाओं में लिंग समानता का समर्थन देती है?	1/23		
3	संस्थान के प्रबंध समिति में क्या लिंग समानता को प्रतिनिधित्व है?	1/23		
4	क्या संस्थान का डिजाईन और इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों स्त्री एवं पुरूष दोनों को सामान रूप की सुविधाएं उपलब्ध होती है?	1/23		

5	क्या आपका संस्थान स्त्री एवं पुरूष दोनों को आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है?	1/23		
6	क्या संस्थान बिना किसी लिंग पक्षपात के सभी कर्मचारियों को समान अवसर एवं उत्तरदायित्व सौंपता है?	1/23		
7	क्या संस्थान में सक्रिय महिला शिकायत सेल उपलब्ध है?	1/23		
8	क्या यह संस्थान महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटे प्रदान करता है?	1/23		
9	क्या संस्थान में सक्रिय क्रेच उपलब्ध है?	1/23		
10	शहर के बाहर नियुक्त करते या बाहर कार्य सौंपते समय क्य प्राधिकरण महिलाओं की समस्याओं पर विचार करता है?	1/23		
11	लिंग संबंधी मामलों एंव प्रयोजनों के बारे में कर्मचारियों को संवेदी बनाने के लिए आवधिक रूप से गतिविधियाँ / कार्यक्रम चलाने की कोई नीति है?	1/23		
12	संस्थान में लिंग संवेदी व्यवहार के लिए क्या कर्मचारियों को कोई दिशानिर्देश दिए गए है?	1/23		
13	किसी परियोजना की योजना तैयार करते समय लिंग संबंधी मामलों को ध्यान में रखने के लिए कर्मचारियों को क्या कोई सुझाव या दिशानिर्देश दिए गए है?	1/23		
14	क्या संस्थान लिंग संबंधी अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव करता है?	1/23		
15	क्या संस्थान लिंग संबंधी कमियों और असमानताओं को पहचानता है और इन्हें कम करने के समर्थन में गतिविधियाँ चलाता है?	1/23		
16	क्या स्त्री व पुरूष कृषकों को हितधारकों, भागीदारों या परिवर्तन के एजेंटों के रूप में देखा जाता है?	1/23		
17	क्या प्रशिक्षण योजना तैयार करते समय लिंग विशेष की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है?	1/23		

18	लिंग संवेदी अभिमुखता के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्या कोई विशेष दिशानिर्देश उपलब्ध है?	1/23		
19	क्या संस्थान में महिला और पुरूष प्रशिक्षार्थियों/किसानों के लिए समान और पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त है?	1/23		
20	क्या संस्थान में पर्याप्त महिला अधीनस्त कर्मचारी है जिससे कि महिला प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके?	1/23		
21	क्या संस्थान अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग संवेदीता को ध्यान रखते हुए जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा को समेकित करता है?	1/23		
22	क्या यह आश्वासन कर लिया गया है कि सारे स्थान महिला एवं पुरूष दोनों के लिए सुरक्षित है?	1/23		
23	क्या महिला एंव पुरूष किसान संस्थान से आसानी से संपर्क कर सकते है?	1/23		

3.2 संस्थागत कार्यक्रमों में लिंग संवेदीता का आंकलन करने के लिए चैकलिस्ट:

यह समझा जाता है कि, कृषि अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रक्रिया अनुकूलन हेतु और नवीन तकनीकियों, ज्ञान और अभ्यासों को विकसित करने के लिए लिंग आधारित इनपुट प्रदान करने के लिए संस्था तक सीमित करने के बजाय कृषि में लिंग अनुसंधान को दृढ़ बनाना चाहिए। अत: वर्तमान में लिंग संवेदी संस्थागत अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं संबंधी मामलों एवं चिंताओं का समाधान करेन की आवश्यकता है।

चैकलिस्ट का उपयोग कैसे करें?

संस्थागत कार्यक्रमों में लिंग संवेदिता के परीक्षण के समय 26 कथनों को चैक के रूप में उपयोग किया जाता है। चैकलिस्ट के प्रत्येक कथन/मद को समान अंक दिए जाते है। चैकलिस्ट कथनों को कार्यक्रम संचालकों को कसौटी के दो मदों हाँ या नहीं को देखने के लिए दिया जाता है जिसके अंक एक और शून्य क्रमश: है। कुल उच्चतम और न्यूनतम अंक क्रमश: 26 और 0 है। अत: लिंग परीक्षण मूल्य प्रत्येक प्रतिवाद/कथन के लिए 0 से 1 होगा, जो क्रमश: अत्यल्प

और अत्यधिक है। अधिक लिंग परीक्षण मूल्य संस्थागत कार्यक्रमों में अधिक लिंग संवेदिता को दर्शाता है। इसकी गणना निम्न फार्मुला के द्वार किया जता है।

लिंग परीक्षण मूल्य = प्राप्त अंक / उच्चतम संभाव्य अंक = 26 में से / 26

संस्थागत कार्यक्रमों में लिंग संवेदिता का परीक्षण करने के लिए निम्न चैकलिस्ट का उपयोग करें :

क्र.सं.	कथन	अंक	हाँ	नहीं
1	क्या किसी परियोजन के उद्देश्य लिंग समस्याओं पर चचिर्तत है?	1/26		
2	क्या निम्न में से कोई लिंग संबंधी मदों का समाधान परियोजन के माध्यम से हुआ है उत्पादन/उत्पादकता	1/26		
	>संसाधनाोें के साथ साथ लाभों पर नियंत्रण एवं पहुँच	1/26		
	>सामाजिक स्तर	1/26		
	>निर्णायन में भागीदारिता	1/26		
	>स्वास्थ्य एवं पौष्ठिकता	1/26		
	>कठिन परिश्रम	1/26		
3	क्या परियोजना दल में कोई महिला वैज्ञानिक/तकनीकी व्यक्ति है?	1/26		
4	परियोजना कर्मचारी/दल में कोई लिंग की अवधारणा से परिचित है?	1/26		
5	लिंग सूचकांक के मापन के लिए आप किसी विधि का उपयोग/विकास करते हैं?	1/26		
6	महिला एवं पुरूष कृषकों से प्रत्यक्ष बात-चीत के माध्यम से क्या आप विद्यमान आवश्यकताओं और अवसरों को पहचान सकते है?	1/26		
7	क्या आप परियोजन लाभार्थियों में दोनों महिला एवं पुरूष किसानों को लक्ष्य बनाते है?	1/26		

8	क्या आप किसी परियोजना में महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को समान रूप से चयन करते है?	1/26		
9	क्या आप उनके लिए कोई लिंग जानकारी कार्यक्रमों को आयोजन करते है?	1/26		
10	क्या आप परियोजना गतिविधियों को लिए महिला एवं पुरूष दोनों किसानों के लिए वैयक्तिक, समय एवं स्थान की पहुँच पर विचार करते है?	1/26		
11	क्या आप महिला एवं पुरूष किसानों को अपने परियोजना गतिविधियों में भागीदारिता का आश्वासन करते है?	1/26		
12	महिला एवं पुरूष किसान दोनों की आवश्यकताओं को अनुसार क्या आप फार्म तकनीक प्रदाना करते है?	1/26		
13	क्य संवितरित फार्म तकनीकियाँ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल है?	1/26		
14	क्या आप लिंग संबंधी अलग-अलग आंकड़ों का संकलन करते है?	1/26		
15	क्या आप संकलित आंकड़ों को लिंग की दृष्टिकोण से विश्लेषण करते है?	1/26		
16				

3.3 विस्तार विधियों में लिंग संवेदनशीलता आंकने के लिए चैकलिस्ट:

पुरूषों की तुलना में महिलाओं की पहुँच कृषि संबंधी संपत्ति, इनपुट एवं सेवाओं में बहुत कम है। भारत में महिला और पुरूष विस्तार कर्मियों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर है। भारत में 80 प्रतिशत से अधिक विस्तार कर्मी पुरूष ही है, जिनके साथ महिला किसान बहुत कम बातचीत करते है। उत्पादक संसाधनों की समान पहुँच लिंग संवेदी विस्तार विधियों के माध्यम से ही संभव है।

चैकलिस्ट चीजों की वह सूची है अर्थात किए जाने वाले कार्य/विचार किए जाने वाले मद या किसानों के लिए विस्तार गतिविधियाँ चलाते समय याद दिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विषय है। अत: मुख्य और संबंद्ध क्रियाकलापों या विस्तार सुपुर्दगी के दौरान नियोजन,

कार्यान्वयन और फैलोअप जैसे प्रत्येक चरण में लिंग संवेदिता को आश्वासन हेतु विशेष क्रम में किए जाने वाले कार्यों की समग्र सूची तैयार करने के प्रयास किए गए है।

चैकलिस्ट का उपयोग कैसे करें?

विस्तार विधियों में उपयोग किए जाने के लिए लिंग संवेदिता का मूल्यांकन करते समय चैक के रूप में उपयोग किए जाने वाले 14 कथन/मद समाहित है चैकलिस्ट के प्रत्येक कथन/मद के लिए समान अंक है। चैकलिस्ट के मदों को विस्तार कर्मियों को दो बिन्दुओं को कसौटी यथा हाँ या नहीं के साथ 1 और शून्य क्रमश: होगा। संपूर्ण उच्चतम और न्यूनतम अंक 14 और 0 है। इस प्रकार प्रत्येक कथन/प्रतिवाद के लिए लिंग परीक्षण मूल्य 0 से 1 क्रमश: न्यूनतम और उच्चतम होगा। उच्च लिंग परीक्षण मूल्य अधिक लिंग संवेदिता को उपयोग किए जाने वाले विस्तार विधियों में सूचित करता है। इसकी गुणना निम्न फार्मुला के साथ किया जाता है।

$$\text{लिंग परीक्षण मूल्य} = \frac{\text{प्राप्त अंक}}{\text{उच्चतम संभाव्य अंक}} = \frac{\text{14 में से}}{14}$$

विस्तार विधियों में लिंग संवेदिता का परीक्षण करने के लिए निम्न चैकलिस्ट का उपयोग करें :

क्र.सं.	कथन	अंक	हाँ	नहीं
1	क्या आप पुरूष एवं महिला किसान दोनों को दर्शकों के रूप में देखते है?	1/14		
2	संपर्क करने से पहले, गाँव से मुख्य संपर्क करने वाले के रूप में क्या आप ने पुरूष एवं महिला किसानों का चयन किया है?	1/14		
3	क्या आप संपर्क करने के विषयों को पुरूष और महिला किसानों की रूचि के अनुसार चुनते है?	1/14		
4	क्या आप पुरूष एवं महिला किसानों से संपर्क करने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग करते है?	1/14		

5	क्या आप संपर्क करने के लिए लिंग दल का चयन करते है?	1/14		
6	प्रभावी संपर्क हेतु क्या आप लिंग स्नेही दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग करते है	1/14		
7	तकनीकी विस्तार से पहले कृषक पुरूष एवं महिलाओं के संसाधन आधार पर विचार करते है?	1/14		
8	क्या विस्तार गतिविधियों के दौरान महिला और पुरूष किसान दोनों के द्वारा कार्मिकों, समय एवं स्थान तीनों पर विचार किया जाता है?	1/14		
9	विस्तार गतिविधियों में क्या आप महिला एवं पुरूष किसानों की भागीदारिता का आश्वासन करते है	1/14		
10	क्या आप कार्यक्रम के दौरान महिला एवं पुरूष दोनों किसानों को अपनी समस्या को बताने के लिए खड़े होने और बोलने देते है?	1/14		
11	क्या आप महिला और पुरूष दोनों किसानों की सफलता की कहानियों को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रेलेखित करते है?	1/14		
12	क्या आप महिला एवं पुरूषों के संबंध में अलग-अलग आँकड़े का रख रखाव?	1/14		
13	क्या आप अनुसंधान संस्थानों को पहचानी गई लिंग समस्याओं को बारे में कहते है?	1/14		
14	भावी गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के लिए क्या अप उन्हें प्रोत्साहित करते है?	1/14		

3.4 महिला स्नेही कृषि तकनीकियों के परीक्षण हेतु चैकलिस्ट:

कई रचनाओं से पता चलता है कि विकासशील देशों में कृषि तकनीकियों को प्राथमिक रूप से अपनाने वाले और तैयार करने वाले पुरूष ही है। कृषि नवोन्मेशनों को विशेष रूप से पुरूषों की उपयोगिता के लिए ही तैयार किए गए है। परिणामत: महिलाएं परंपरागत, अधिक श्रम-प्रधान विधियों का ही उपयोग करती है और उनकी कृषि उत्पादन को अवमूल्यन करती है।

चैकलिस्ट का उपयोग कैसे करें?

चैकलिस्ट में 14 कथन/मद है जो कृषि तकनीकियों में महिला स्नेही होने के परीक्षण के समय चैक के रूप में उपयोग की जाती है। चैकलिस्ट के प्रत्येक कथन/मद के लिए समान अंक दिए गए है। चैकलिस्ट कथनों को किसी भी कृषि तकनीकी नवोन्मेशन के लिए दो बिन्दुओं की कसौटी यथा हाँ या नहीं पर क्रमश: 1 और 0 अंकों के साथ लागू किया जाता है। कुल उच्चतम ओर न्यूनतम अंक क्रमश: 14 और 0 है। इस प्रकार प्रतिवाद/मद का महिला स्नेही होने का मूल्य 0 से 1 होगा, जो कि न्यूनतम और उच्चतम है। उच्च महिला स्नेही मूल तकनीक का अधिक महिला स्नेही होने को सूचित करता है। उसे निम्न फार्मुले के साथ गणना किया जाता है।;

$$\text{महिला स्नेही होने का मूल्य} = \frac{\text{प्राप्त अंक}}{\text{उच्चतम संभावित अंक}} = \frac{\text{14 में से}}{14}$$

कृषि तकनीक को महिला-स्नेही होने के परीक्षण के लिए निम्न चैकलिस्ट का उपयोग करें :

क्र.सं.	कथन	अंक	हाँ	नहीं
1	क्या इसे पुरूष एवं स्त्री दोनों की वरीयताओं पर विचार कर बनाया गया है?	1/14		
2	क्या ये स्त्री-पुरूषों की भौतिक मानदण्डों पर विचार करता है?	1/14		
3	क्य ये दोनों की स्थान विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ती करते है?	1/14		
4	क्य यह वर्तमान समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल है?	1/14		

5	क्या यह स्त्री व पुरूष दोनों के लिए प्राप्य और वहन करने योग्य है?	1/14		
6	क्या यह स्त्री व पुरूष दोनों किसानों को समझने के लिए आसान है?	1/14		
7	क्या स्त्री व पुरूष किसानों के लिए उसे चलाना आसान है?	1/14		
8	क्या कृषक महिला और पुरूष के श्रम को कम करने के लिए दक्ष है?	1/14		
9	क्या यह महिलाओं के कार्यभार को कम करता है?	1/14		
10	क्या यह महिला और पुरूष दोनों की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाता है?	1/14		
11	क्या यह कम और आसानी से मिलने वाली इनपुट्स के साथ काम करती है?	1/14		
12	क्य यह विद्‌यमान कौशलों के साथ दोनों महिला एवं पुरूषों के द्‌वारा अनुकूलित किया जाता है?	1/14		
13	क्या यह स्त्री एवं पुरूषों की अवश्यकताओं के अनुसार बदलने के लिए लचीला है?	1/14		
14	क्या इसमें पुरूष एवं महिला किसानों के लिए कोई आजीविका संघटक में योगदान देने के लिए क्षमता है?	1/14		

3.5 कृषि विस्तार अनुसंधान परियोजना में लिंग दृष्टिकोण को समेकित करने के लिए चैकलिस्ट:

भारतीय कृषि में वर्तमान में विद्‌यमान मुख्य लिंग की कमियों में कृषिक महिलाओं द्‌वारा भूमि का असमान पहुँच और अन्य उत्पादक संसाधन जैसे ऋण, प्रधान कृषि इनपुट, फार्म तकनीक इत्यादि से एक्सिस है। इस कारण महिलाओं द्‌वारा उगाए जानाी वाली फसलों की उत्पादकता में कम हुई है। सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों में तकनीकी अंतरण एक आंतरिक संघटक है परंतु अनजाने में महिला कृषिकों को नजरअंदाज किया जाता है। इस प्रकार, सभी अनुसंधान संस्थानों में लिंग संवेदीकरण अनुसंधान कर्त्ताओं को लिंग पर समझ को बढ़ाएगा और वर्तमान

में उसकी संबद्धता को भी बढ़ाएगा, जिससे लिंग स्नेही फार्म तकनीकों को सत्री एवं पुरूष दोनों किसानों के लिए तैयार करने में सहायक होगा। इस चैकलिस्ट को विस्तार अनुसंधान परियोजनाओं में लिंग दृष्टिकोण को लाने और विस्तार अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगती में पुनरवलोकन प्रक्रिया के रूप में और पूरे हुए विस्तार अनुसंधान परियोजनाओं मं लिंग परीक्षण के मापदण्ड बनाने में एक योजना मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया ता सकता है ।

चैकलिस्ट का उपयोग कैसे करें?

इसमें 28 कथन/मद है जो विस्तार अनुसंधान परियोजनाओं में लिंग दृष्टिकोण को समाहित करते समय चैक के रूप में उपयोग किया जाएगा। चैकलिस्ट के प्रत्येक कथन/मद को समान अंक दिए गए है। चैकलिस्ट के कथनों को परियोजना जाँचकर्त्ता द्वारा दो बिन्दुओं की कसौटी यथा हाँ या नहीं पर जिसके अंक क्रमश: 1 और 0 है से उपयोग किया जाता है। कुल उच्चतम और न्यूनतम अंक क्रमश: 28 और 0 से है। इस प्रकार लिंग परीक्षण कूल्य प्रत्येक प्रतिवाद/मद '0' से '1' होगा जो कि क्रमश: उच्चतम ओर न्यूनतम अंक है। लिंग परीक्षण के उच्च अंक परियोजना के अधिक लिंग संवेदिता को सूचित करेगा। इसकी गणना निम्न फार्मुला को साथ किया जाता है।

$$\textbf{लिंग परीक्षण मूल्य} = \frac{\textbf{प्राप्त अंक}}{\textbf{उच्चतम संभाव्य अंक}} = \frac{\textbf{28 में से}}{\textbf{28}}$$

कृषि विस्तार अनुसंधान परियोजना में लिंग दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए निम्न चैकलिस्ट का उपयोग करें :

क्र.सं.	कथन	अंक	हाँ	नहीं

1	क्या स्त्री पुरूषों की आय सृजन गतिविधियों एवं श्रमिकों का लिंग आधारित विभाजन पर निर्णय लिया गया है?		1/28		
2	क्या स्त्री एवं पुरूष किसानों की वर्तमान आवश्यकताओं की पहचाना गया है?		1/28		
3	क्या सीधे महि लाएवं पुरूष किसानों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में परामर्श किया गया?		1/28		
4	क्य निम्न में से किसी लिंग संबंधी मद को केन्द्र बनाकर विचार किया?	>उत्पादन/उत्पादकता	1/28		
		>संसाधन एवं लाभों पर नियंत्रण एवं पहुँच	1/28		
		>लिंग संबंध	1/28		
		>स्वास्थ्य एवं पौष्ठिकता	1/28		
		>परिश्रम	1/28		
5	क्या जन्डर संतुलित और लिंग संवेदी परियोजना दल का चयन किया गया?		1/28		
6	क्या परियोजना उद्देश पहचानी गई लिंग आवश्यकताओं और मदों पर विचार करते है?		1/28		
7	क्या विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए माप योग्य लिंग सूचियाँ बनायी गयी है?		1/28		
8	तैयार की गयी विविध लिंग आँकड़ों को संकलित करने के उपकरण उपलब्ध है?		1/28		
9	क्या आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए विकसित विधि को लिंग दृष्टिकोण से विकसित किया गया है?		1/28		
10	जेन्डर के लिए कार्यरत और जो परियोजना में योगदान देते है इसे संगठनों की पहचान/परामर्श किया गया?		1/28		
11	क्या परियोजना लाभार्थियों को चुनते समय लिंग संतुलन का आश्वासन किया गया है?		1/28		

12	क्या लक्ष्यगत लाभार्थी कमजोर सामाजिक समूह के है?	1/28		
13	क्या महिला एवं पुरूष द्वारा परियोजन में भाग लेने में आनेवाली अड़चनों को पहचाना गया है?	1/28		
14	क्या परियोजन गतिविधियों के लिए निर्धारित श्रमिक समय तथा स्थान महिला एवं पुरूष किसानों के लिए संबंद्ध एवं उपयोग के योग्य है?	1/28		
15	क्या परियोजना गतिविधियों में महिला एवं पुरूष किसानों की भागीदारिता को सरल बनाने के रणनीतियों की योजना बनाई गयी है?	1/28		
16	परियोजना की विस्तार सुपुर्दगी तंत्र को स्त्री एवं पुरूष किसानों तक पहुँचाने के लिए आश्वस्त करने की योजना बनायी गई है?	1/28		
17	क्या इन रणनीतियों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है?	1/28		
18	ये पहचाने गए आविकसित फार्म तकनीकों का स्त्री एवं पुरूष किसानों की अवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए है?	1/28		
19	कृषक समुदाय में वर्तमान लिंग अभिधान के समान है?	1/28		
20	क्या निम्न में से किसी परिवर्तन की अपेक्षा है?	>उत्पादन/उत्पादकता	1/28	
		>संसाधन एवं लाभों पर नियंत्रण एवं पहुँच	1/28	
		>लिंग संबंध	1/28	
		>स्वास्थ्य एवं पौष्ठिकता	1/28	
		>परिश्रम	1/28	

3.4 कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न मामले:

3.4.1 संसाधनों की प्राप्ति और नियंत्रण

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि महिलाएं बीज से लेकर धान तक सभी कृषि गति विधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य उत्पादन में मुख्य भूमिका निभने के बावजूद महिलाओं को कइ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योकि वे भूमि हीन और उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं होना है। यदि उनके नाम पर जमीन है भी तो उनके लिए उत्पादन आवश्यक धन और संसाधनों की समस्या होती है (इनपुट और तकनीकी ज्ञान)। कृषि विकास कार्यक्रम सामान्यत: पुरूषों द्वारा नियोजित और उन्हें लक्ष्य कर ही बनाए जाते है। यांत्रिकीकरण, बहुत सारे मामलों में, परंपरागत रूप से पुरूषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भार को कम करते है, और महिलाओं की कार्यभार को नजरअंदाज किया जाता है। यदि वे पुरूषों को दिए जाने वालों संसाधनों जैसे संसाधन प्राप्त कर लेती है तो वे पैदारवार में 20-30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर सकती है। विकासशील देशों में कुल कृषि इनपुट में 2.5-4.0 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी। उत्पादकता में यह बढ़ोत्तरी विश्व के 12-17 प्रतिशत भूखे लोगों को कम करता है। साथ में महिलाओं की आय को भी बढ़ाता है। (एफ ए ओ, 2011)

3.4.2 मूजदूरी में अंतर

पुरूष सहकर्मियों की तुलना में यह देखा गया है कि महिलाओं को औसतन 30-40 प्रतिशत कम मजदूरी दिया जाता है, अत: उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते है। अंतर्रारष्ट्रीय श्रमिक संगठन के एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि औसतन रूप से महिलाओं को 34 प्रतिशत पुरूषों से कम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी का यह अंतर वर्ष 2015-16 के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा जब महिला किसान 25.37 प्रतिशत काम मजदूरी पुरूषों की तुलना में पाने लगे है। 'डऊन टु अर्त' में 18 सितंबर, 2018 को किरण

पाण्डेय जी द्वारा प्रकाशित आँकडों से पता चलता है कि महिला किसान अपने पुरूष साथियों की तुलना में 22 प्रतिशत कम कमाते है।

मजदूरी के दरों में लिंग अनुसार अंतर का दर कृषि मजदूर (रू./दिन) के लिए निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

उदाहरण 1. कृषि मजदूरी का गतिविधि अनुसार दर

गतिविधि	पुरूष	महिला
जोताई	263.98	182.81
बुआई, निराई, रोपाई	218.45	175.45
चुनना	208.19	174.52
ओसाई, थ्रेशिंग और कटाई	212.11	178.11

Source: NSSO, Nov 2013

उदाहरण 2. अखिल भारतीय औसतन मजदूरी की दर (रू.में)

2006-07	82	62
2007-08	91	70
2008-09	108	82
2010-11	124	95
2011-12	149	115
2012-13	183	134
2013-14	214	158
2014-15	229	178
2015-16	168	200

2016-17	281	218

स्रोत: आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशालय

नोट : 1. अखिल भारतीय औसत की गणना 20 मुख्य राज्यों के लिए की गयी है

2. कृषि मजदूरी का औसत पाँच कार्यों को औसत से लिया जाता है यथा

1) जोताई 2) बोआई 3) निराई 4) कटाई 5) रोपाई

3.4.3 मौसमी मजदूरी

मौसमी/बेरोजगारी/निम्न रोजगार के कारण अपने पुरूष सहकर्मियों की तुलना में महिलाओं को ही कठिनाइयाोें का सामना करना पड़ता है। पुरूषों की तुलना में उन्हें पार्ट-टाइम वर्क में आति -प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश महिलाओं को अधिक समय तक रोजगार नहीं मिलती और उनका रोजगार अस्थिर है। थ्रेसिया (2004) ने देखा कि मजदूरों को औसतन एक साल में तीन महीने और पन्द्रह दिन का काम मिलता है। मिश्रा सबिता (2005) ने देखा कि ओडिशा की सिचांई परिस्थितियों में महिला कृषि मजदूरी ग्रीष्म ऋतु में असिंचित क्षेत्र की तुलना में कुछ अंतर है। उन्हें (4 से 8 प्रतिशत) रोजगार गन्ना काटने (30 दिन), बाँन्ड काम (20 दिन), पाना के फार्म में (10 दिन), सिंचित क्षेत्र में मुँगफली और दालों की कटाई में (15 दिन), रोजगार मिला परंतु केवल एक महिला को भी गैर सिंचित जिलों में एक दिन का भी रोजगार नहीं मिला है। कुछ हद तक, उनमें से 60 प्रतिशत (20-30 दिन) इंधन की लकड़ी चुनने में, 50 प्रतिशत बीड़ी बनाने के केन्दु पत्ते चुनने (20-45 दिन), 20 प्रतिशत पॉम के पत्ते को चुनना (10-12 दिन), मैट तैयार करने, 10 प्रतिशत पीतल के हस्तशील (50-60 दिन), वर्ण आधारित व्यवसाय में और 10 प्रतिशत घरेलू उपयोग के लिए गोबर के उपले बनाने में (20-25 दिन) व्यस्त रही।

3.4.4 विस्तार सेवाएं

कृषि सेवा प्रदान करने में आज भी लिंग पक्षपात दिखाई देता है। विस्तार कर्मियों, अनुसंधानकर्त्ताओं और निर्माताओं को महिलाओं का योगदान दिखाई नहीं देता। अत: महिलाओं के बहुकार्यों के लिए उपयुक्त तकनीकियों पर अनुसंधान एवं विस्तार समर्थन सीमित रहता है। यह माना जाता है कि पुरूष ही परिवार का मुखिया है और इसलिए घर परिवार के स्तर पर उन्हीं को विस्तार सूचना की आवश्यकात है। हालॉकि धीरे-धीरे पुरूषों का प्रवास बढ रहा है, जिसके कारण महिलाएं घर का प्रधान होने वाले परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु अब भी आवश्यक मात्रा में तकनीकी समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। अधिकतर गाँवों में, सामूहिक विचार विमर्श और बैठकों में पुरूषों को सम्मिलित कर ही आयोजित किए जाते है। साथ ही स्थान व समय भी मीहिलाओं के अनुकूल नही होता है। विस्तार कर्मी अपने कार्य और प्रयासों को प्राथमिक रूप से पुरूषों को लक्ष्य बनाकर ही करते है। वे महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जिनका कारण संसाधनों की कमी, समय, कार्यभार, सांस्कृतिक कारण, बच्चों की जिम्मेदारी, जो महिलाओं को डेमॉन्स्ट्रेशन और प्रशिक्षणों में भाग लेने से रोकती है को नजर अंदाज कर देते है।

3.4.5 ऋण

महिलाओं को भू स्वामित्व की प्रतिशतता: बहुत कम (लगभग 11 प्रतिशत) होने और जमानत के रूप में दिखा नहीं सकने के कारण ऋण सुविधाएं बहुत कम मिलती है। ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में सही व्यक्ति तक पहुँचने में महिलाओं की अशिक्षण, बाहर न जाना, बैंकों के कायदे और समाजिक संबंधों की कमी अड़चन बन जाती है। उत्पादक संसाधन जैसे भूमि,

तकनीक और वित्तीय सेवाएं (एफ ए ओ, 2006) की पहुँच और नियंत्रण महिलाओं के लिए बहुत कम होती है।

3.4.6 दक्षता निर्माण

महिला किसानों के ज्ञान के स्तर में वृद्धि करने और उनके द्वारा नवीन तकनीकियों के अनुकूलन के लिए उनका दक्षता निर्माण करन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षता निर्माण महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय कमाने के लिए लाभप्रद सूक्ष्म उद्यम सतत चलाने में मदद करता है। परंतु यह अनुभव किया गया है कि महिलाओं को हमेशाा प्रशिक्षणों के दौरान विस्तार कर्मियों द्वारा नजरअंदाज किया गाया है। अधिकतर वे पुरूष प्रतिभागियों को वरीयता देते है जिसके कारण महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, कई बार इसका महिलाओं की प्रगति और सफलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अत: महिला किसानों को मशरूम खेती, पुष्पोत्पादन, पिछवाड़े में मुर्गी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, नर्सरी बढ़ाना, मूल्य जोड़ (गौण कृषि), मत्स्य पाालन, फिश फ्राई उत्पादन, मधुमक्खाी पालान, डेरी फार्मिंग, बकरी पालन इत्यादि स्थापित करने के लिए कौशल उन्मुख प्रशिक्षण सम्मिलित करना चाहिए।

3.4.7 एक्सपोजर

कृषि तकनीकियों में वर्तमान विकास से परिचित कराने के लिए कृषक महिलाओं को एक्सपोजर अतिमहत्वपूर्ण है, जिसके द्वार फार्म और घरेलू उत्पादों में बढ़ोत्तरी लाने में परिणामित तकनीकी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। कृषि के सभी क्षेत्रों में कृषक महिलाओं ने अपनी उपस्थिति को अनुभूत करवाया है, फिर भी, कई बार, सामाजिक सांस्कतिक नियम उन्हें फील्ड विजिट, जनसंपर्क माध्यम, सूचना, फार्म प्रकाशन, तकनीकी, हितधारक, संगठन इत्यादि से प्राप्त होने वाले बाहरी जान की मंजूरी नहीं देती है।

3.4.8 सामाजिक सांस्कृतिक

हालाँकी महिलाओं पर सांस्कृतिक प्रतिबंध कम हुए है, फिर भी वे पुरूषों की तरह आजाद नहीं है। प्रबंल सामाजिक ढाँचों की उपस्थिति से महिलाओं की तीन भूमिकाओं के कारण संघर्ष और तनाव उत्पन्न होते है। लगभग सभी जगह उत्पादन संगठनों में भाग लेते समय पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक कठिनाइयों का सामना करती है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता और सांस्कृतिक घरेलू व प्रजनन कारणों से वे ज्यादा बाहर नहीं जाती है। (एफ ए ओ, 2011), इसी प्रकार, महिलाओं की कृषि में भूमिका उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार बदल जाती है। यह पता चला है कि कृषि में महिलाओं के कार्य का भाग छोटे किसानों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब जमीन ज्यादा है, तब महिलाएं या तो क्षेत्र में काम करना बंद करेगी या पर्यवेक्षण के काम करेगी। भूमि हीन महिलाएं जिनके पास भूमि है उन महिलाओं की तुलना में कृषि में मजदूरी के लिए ज्यादा समय बिताती है। जब पुरूष फसल बेचने बेचकर पैसे कमाते है, तब महिलाएं उन पैसों को अधिक उत्पादकता के लिए पुन: निवेश करेगी या व्यक्तिगत चीजों पर खर्च करेगी। उनके आय से उनके परिवारों के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। परंतु जब महिला किसान पैसे कमाते है, हलॉकि बहुत कम फिर भी वह घर खाने के लिए खर्च कर देते है। कई संस्कृतियों में परंपरागत लिग भूमिकाएं सार्वजनिक होती है। महिलाओं की भूमिका केवल घर तक ही सीमित होती है। महिलाओं को बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्य, इंधन की लकड़ी व जल संचयन जैसे कार्यों की ही उत्तरदायी माना जाता है जबकि पुरूषों को उत्पादन कार्यों व आया सृजन के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है (एफ ए ओ 2010-11, 2005, तनवीर और सफदर, 2013)

3.4.9 बाजार एक्सिस

महिलाओं के लिए विपणन सुविधाओं और सेवाओं की बहुत कम पहुँच होती है जिसके कारण वे अपने आया सृजन कार्यों को अधिक व्यापक नहीं बना पाती। हालाँकि महिलाएं व्यापारी, फेरीवालों और सड़क विक्रेताओं के रूप में अपना योगदान दे रहे है, फिर भी विपणन के क्षेत्र में उपस्थित लिंग मदों का प्रभावी समाधान नहीं किया जा रहा है। मिश्रा, सबिता और द्वारा, एच के (2012) द्वारा ओडिसा के कोरापुट जिले पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि आदिवासी महिलाएं खुद के कृषि अत्पादनों के साथ-साथ गौर लकड़ी के जंगली उत्पादनों को खरीदने एवं बेचने में मुख्य भूमिका निभाती है। परंतु उन्हें सौदा करने, दर का निर्णय करने और लेखाकरण जैसे विपणन कौशलों को प्राप्त करने से सबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। इसके अलावा वे परिवहन की कमी, खराब सड़कों, अपर्याप्त भंडारण क्षमता, गाँवों में विपणन सुविधाओं की कमी, निम्नतम खरीदी दर को तय करने के द्वारा स्थानीय विपणन व्यवस्था के परीक्षण में महिलाओं की निम्न/शून्य भागीदारिता जैसे चुनौतियों का समाना करना पड़ता है।

3.4.10 शिक्षा

विश्वस्तर पर, लगभग 98 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। अशिक्षित होने के कारण उन्हें जबरन अकुशल श्रमिकों के रूप में काम करन पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कारणों जैसे उच्च शिक्षा से खारिज किये जाने से जिसकी वजह प्रोढ़ता, लड़कों को पढ़ाने की वरीयता, आर्थिक सीमाएं, निवेश के रूप में लड़कों को पढ़ाने की और माँ बाप का अधिक झुकाव और लड़कियों को शिक्षा देना पैसों की बरबादी समझना, दहेज का व्यय इत्यादि से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की अशिक्षा अधिक दिखने लगती है। भारत में एक कहावत है कि "लड़कियों को पालना दूसरों के बगीचे को सिंचित करने के बराबर है"। पैदा होने से लेकर लड़कियों को आर्शीवाद के बजाय बोझ समझा जाता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं में साक्षरता का दर बहुत कम होता है। विश्व बैंक द्वारा किए गए लागत-लाभ विश्लेषण से पता चलता है कि यदि

महिलाएं भी पुरूषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करती है तो, फसलोत्पादन दर 7 से 22 प्रतिशत तक बढ़ेगा, केवल महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा बढ़ाने से कृषि उत्पादन में 24 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी। इसके द्वारा महिलाएं उच्च मजदूरी भी प्राप्त कर पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघटन (ILO) के हालय ही के रिपोर्ट से पता चलता है कि स्कूल के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष महिलाओं की आमदनी में 15 प्रतिशत पुरूषों की 11 प्रतिशत की तुलना में बढ़ी है।

3.4.11 नितियाँ

महिलाओं का कार्य न दिखने और उनके काम को अवैतनिक होने से उन्हें उत्पादकों के रूप में नहीं बल्कि "ग्राहकों" के रूप में देखा जाता है। इसलिए विकासात्मक नीतियाँ असंतुलित और महिलाओं को पक्ष में नहीं होती। पुरूष एवं महिला दोनों को अपनी आजीविका बनाने के समान अवसर प्रदान किए बिना कोई भी समाज सफल रूप से विकसित नहीं हो सकता। कई लिंग संबंधी कमियाँ कम होती जा रही है फिर भी वास्तविक असमानताएं विद्यमान है, विशेषकर निम्न आया वाले और सुविधा हीन वर्गों में। अत: सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य लिंग समानता को समाहित करना, नीति निर्माण प्रक्रिया, रणनीतिक योजना, परियोजना डिजाईन और कार्यान्वयन, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन में लिंग मदों को समाहित करना चाहिए। दूसरे तरफ यह लाभ एवं संसाधनों पर नियंत्रण और उनके पहुँच में लिंग असमानताओं को कम करती है।

3.4.12 पुरूषों का प्रवास

पुरूषों को प्रवास जाने से महिलाओं को कार्यभार दुगना होने के साथ साथ आजीविका संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का पीछे छोड़कर पुरूषों का प्रवास चले जाने से महिलाओं का कार्य और जटिल हो जाता है। उन्हें अकेले ही पूरा कृषि कार्य, बच्चों औ घर परिवार को संभालना पड़ता है। लिंग संबंधी भूमिकाओं में परिवर्तन आता है। जिन घरों की

मुखिया महिलाएं है वे अधिकांश मजदूरी के लिए कृषि में काम करती है क्योंकि उनके पास अन्य महिलाओं की तुलना में संसाधन कम होते है। यह देखा गया है कि विस्तार सेवाएं, सहकारिताएं और ऋण समर्थन पुरूषों की तुलना में महिला प्रधान घरों के लिए बहुत कम पाया जाता है। दूसरे तरफ, पतियों की अनुपस्थिति में, महिलाएं निर्णय लेने में, गतिशीलता और राजनैतिक गतिविधियों में भागीदारीता में अपनी दक्षता दिखा रही है।

3.4.13 भू-स्वामित्व

महिलाओं के पास भूमि नहीं रहना ही उनके योगदान और कृषि से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों के लिए अड़चन बना हुआ है। जिन महिलाओं को पास भूमि नहीं है वे अधिकतर अपना समय और संसाधन सिंचाई या ड्रइनेज व्यवस्था, वृक्षा रोपण और मृदा हीन महिलाओं को सामान्यत: कृषि समर्थन सेवाएं जैसे ऋण, प्रशिक्षण, सिंचाई इत्यादि प्रदान करने से इन्कार करते है।

3.4.14 अति कार्यभार

महिलाएं तीन-तीन उत्तरदायित्वों यथा कृषि उत्पादन, प्रजनन और पोषण को निभाती है। महिलाओं द्वारा समय बिताने की विधि पर किये गए अनुसंधान से पता चलता है कि औसतन महिलाएं रोज 15 से 16 घंटे काम करती है, जिसमें से मुख्य सीजन में 7 से 8 घंटे और कम सीजन में 5 से 6 घंटे फार्म में काम करती है। वे अधिकतर हस्तचालित कार्य, श्रम साधन, एक ही प्रकार के आवर्तित, संकटपूर्ण और अकिध परिश्रम वाले कार्य करती है। महिला कृषि श्रमिकों के लिए, समय और कार्य समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अन्य घरेलू काम और पशुओं का देखभाल आदि करना पड़ता है। जिन कार्यों को लिए मजदूरी नहीं दी जाती है उसका मूल्य लगभग 16 बिलियन माना जा रहा है, जिसमें से 11 बिलियन केवल महिलाओं की अनगिनत योगदान को प्रतिनिधित्व करता है। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में मित्रा सबिता (2005) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि अच्छे सीजन में महिला श्रमिक (28

प्रतिशत) प्रतिदिन क्रमशः सुबह 4.00 बजे से रात के 9.00 बजे तक और कभी सुबह 4.00 बजे से रात के 10.00 बजे तक काम करती थी। जबकी सीजन न होने पर अधिकांश उत्तरदाता (27.50 प्रतिशत) कुछ देर से उठती थी और जल्दी सो जाती थी। कार्य भार के कारण मुख्य सीजन में वे 14 से 18 घंटे के काम के कुछ देर आराम भी करती है।

3.4.15 परिश्रम

ग्रामीण महिलाओं को दैनिक कार्य अत्यंत माँगपूर्ण और परिश्रमी है। महिलाओं के अधिक परिश्रम युक्त कार्य है: रोपण, निराई, पोहा बनाना, कटाई, फसल उत्पादनों को सर पर उटाना, पशुओं के मल को साफ करना, पशु एंव परिवार वालों के लिए पानी भरना, चूल्हों की धुँआ में खाना पकाना वे पूर्ण खाद्य पदार्थों में 59 प्रतिशत का उत्पादन करते है परंतु अपर्याप्त एवं असंपूर्ण हाथ से चलाने वाले उपकरणों का ही उपयोग करते है। इसका कारण यह तथ्य है कि, ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जानो वाले कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त उपकरण तैयार कर उन्हें व्यापक बनाने की ओर बहुत कम प्रयास किए गए है। साथ ही, कृषि उपकरण व मशीन बनाने वाले अधिकतर पुरूष ही है, जो पुरूष अनुकूल उपकरण एवं मशीन बनाने के पक्षपाती है। दूसरे तरफ, कम आमदनी, ऋण सुविधा की कमी, प्रशिक्षण की कमी और सामाजिक - सांस्कृतिक अड़चनों महिलाओं को अपनाने से रेाकती हे।

3.4.16 नकदी फसलों की ओर मुड़ना

नकदी फसलों की ओर मुड़ने से परंपरागत खाद्य उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। घरेलू विधि में यह परिवर्तन है जहाँ महिला श्रमिक का कार्य परंपरागत फसलों से फसलों की ओर परिवर्तित हो रहा है, जो परिवार के पुरूष सदस्यों के दबाव में हो रहा है। जब महिलाओं से फसलों के लिए कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तब उन्हें परंपरागत फसलों के लेने की दक्षता खो बैठती हैं। नकदी फसलों से प्राप्त आमदनी सीधे पुरूषों के नियंत्रण में जाती है, जिन्हें वे परिवार

कल्याण पर खर्च करने के लिए तुरन्त तैयार नहीं होते जिसका कारण व्यय की विभिन्न पद्धतियाँ है। नकदी फसलों को प्रारंभ घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव होता है जो बच्चों की खाद्य आपूर्ती और पोषण स्तर पर अपना प्रभाव दिखाता है।

3.4.17 महिला कृषि मजदूरों के मुद्दे:

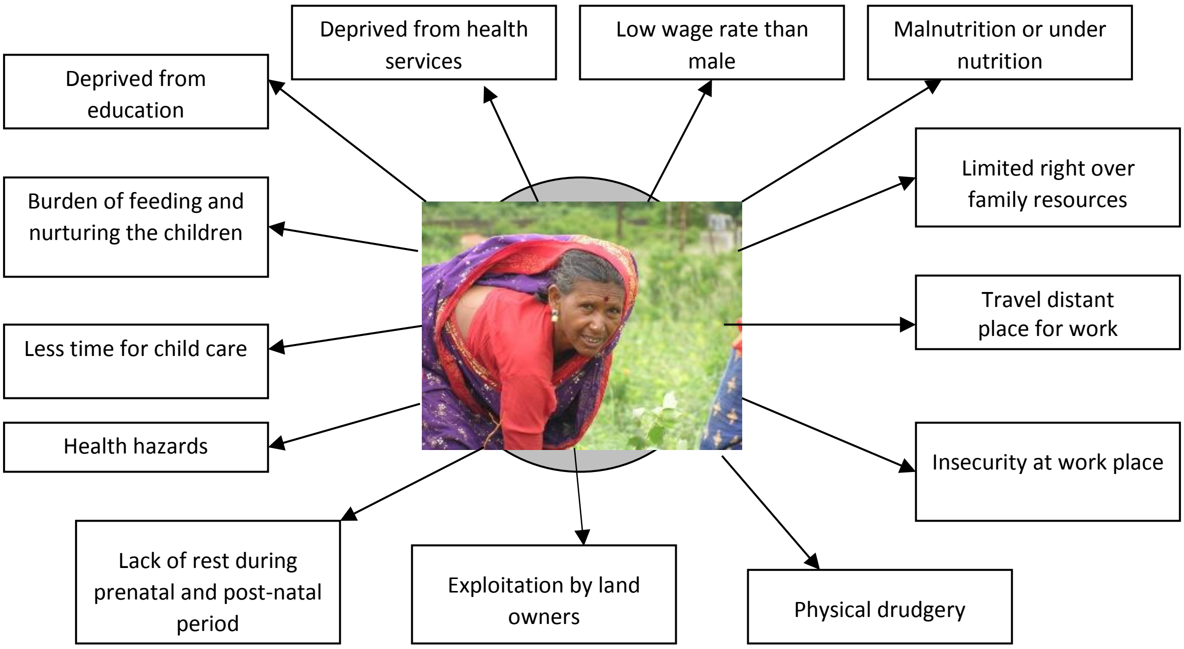

3.5 मामलों के समाधान के लिए अप्रोच और विधियाँ:

कृषि में लिंग मदों के समाधान के लिए रणनीतियाँ, अप्रोच और विधियाँ निम्नानुसार है: विभिन्न कार्यों, महिला अनुकूल कृषि उपकरणों की रूपरेखा तैयार करने, भागीदारी अनुसंधान अभिगम का अनुसरण, करने के द्वारा इन उपकरणों की उपयुक्ता को जाँचने के लिए कृषक महिलाओं पर कृषि विज्ञान के आँकड़ों को सांकलित किया जाना चाहिए।

- अनुसंधान और विस्तार आवश्यकताओं के बीच संबंधों को दृढ़ बनाना चाहिए। इससे स्थानीय ज्ञान और अभ्यासों को रीसर्च डिजाईन में समाहित करने के आश्वासन को आसान बनाता है।

- कृषक महिलाओं की आवाश्यकताओं को उचित रूप से पहचानने के लिए अधिक महिला विस्तार कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- महिलाओं की आवश्यकताएं और समस्याएं, वरीयताएं और अवसरों पर पुरूष विस्तार एजेन्टों का संवेदीकरण किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए तकनीकी पैकेज का आश्वासन हो सके।
- पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिला किसानों का दक्षता निर्माण उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण संबंधी प्रशिक्षण विधियाँ, विषयवस्तु, प्रशिक्षक, संदेश, भाषा, समयावधि, स्थान (इत्यादि) महिला किसानों की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए।
- कार्यभार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों को बाँटने के संबंध में महिला व पुरूषों का समान्तर जुड़ाव होना चाहिए।
- जन-सामान्य, निजी एजेन्सियों, नीति निर्माताओं, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने वाले नियोजकों में लिंग संवेदीकरण होना चाहिए।
- भागीदारी लिंग संवेदी नीति निर्माण; वर्तमान नीति और योजना अभिलेखों का पुनरवलोकन, लिंग चैकलिस्ट और दिशानिर्देरशों को विकास किया जाना चाहिए।
- लिंग अवधारणों और लिंग प्रयोजनों के ज्ञान की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के ज्ञान कौशल और अभ्यास के मूल्य को पहचानना और विभिन्न समाज आर्थिक समूहों में उकनी भूमिका, उत्तरदायित्व और योगदान को पहचानना।
- महिलाओं के पक्ष में नीति निर्माण करने के लिए नीति निर्माताओं के समर्थन के लिए अलग-अलग रूप में प्रस्तुत लिंग संबंधी आँकड़ों का अभिलेखीकरण।

- सभी शैक्षिक पाठ्यांशों में जेन्डर अप्रोच का समेकन।
- कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान
- आंतरिक और बाह्य लिंग नेटवर्कों की स्थापना।
- लिंग संवेदी ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सृजन।
- लिंग मामलों से जूझने के लिए विभन्न संगठनों में लिंग सेल/एककों की स्थापना।
- जन संचार माध्यमों के द्वारा लिंग अवधारणाओं का प्रचार और लिंग संबंधी शब्दावली का विश्लेषण।

3.5.1 लिंग को मुख्यधारा में लाने के नमूने

लिंग संवेदी विस्तार नमूना - 1

लिंग में महिलाओं को केन्द्रीय संस्थान ने विस्तार में गाँव स्तरीय पैरा विस्तार कर्मियों के समूह का सम्मेलन पर केन्द्रित हो कर लिंग संवेदी विस्तार नमूने के परीक्षण का प्रयास किया है। राज्य एवं केन्द्र सरकार के विद्यमान संस्थागत ढाँचे में लिंग अवधारणा को स्थान देने के प्रयास किए गए है। गाँव वाला मुख्य स्तम्भ माना जाने वाल नमूना।

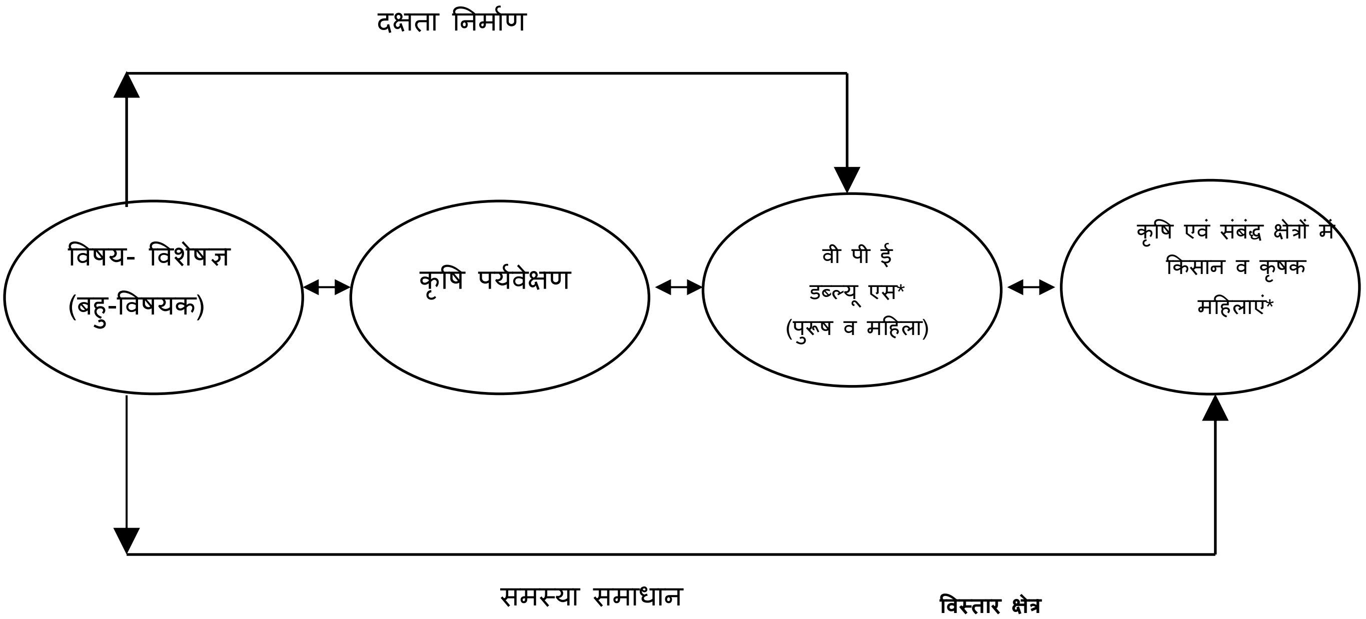

विस्तार क्षेत्र

- लिंग संदेवी
- स्थान विशेषक
- समस्या समाधान
- व्यापक आधार
- लागत प्रभावी

* विलेज लेवल पैरा एक्सटेन्शन वर्कर्स

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुए, सरकारी - निजी भागीदारिता पर आधारित विस्तार नमूने का विकास किया गया जो लिंग संवेदीकरण, लागत प्रभावशालिता, कृषक महिलाओं में नेतृत्व विकास, स्थान विशेषक तकनीक और विशेषज्ञों से विषय-वस्तु समर्थन को संबोधित करेगा।

3.5.1 लिंग संवेदी बहु-एजेन्सी भागीदारी विस्तार नमूना 2

इस परियोजना को कार्य अनुसंधान विधि के रूप में तैयार किया गया ताकि संसाधन हीन कृषक महिलाओं को सम्मिलित कर पिछवाड़े में मुर्गीपालन की सततता पर नमूने के प्रभाव का मूल्यांकन कर सके। यूथ कोर ग्रूप (वाई सी जी - एक पुरूष और एक महिला संहित) को चार प्रयोगात्मक गाँवों के ग्रामीणों और एजेन्सियों के बीच ब्रिज का कार्य करने के लिए कुछ मापदण्डों के आधार पर चयन किया गया है। पहचाने गए बहु-एजेन्सियों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को सौंपा गया है। गाँवों में एक दिन की चूज़ों से लेकर एक महीने की आयु के चूज़ों में मृत्यू दर को कम करने के लिए एक मातृ एकक की अवधारणा प्रारंभ की गयी है। मासिक मानदेय/सेवा शुल्क वाई सी जी यों को देने का प्रावधान किया गया है। यूथ कोर ग्रूप और कृषक महिलाओं के दक्षता निर्माण प्रशिक्षणों डेमॉन्स्ट्रेशनों, शिक्षण दौरों, साहित्य द्वारा किया जाता है। यूथ कोर ग्रूप्स को सलाहकारी सेवा, अधिवक्तृता और बैठकों व डेमॉन्स्ट्रेशनों को आयोजित करना प्रदान किया जाता है। फिडबैक और संपर्क संबंधी समाधान टेलीफोन कॉल और दौरों के द्वारा किया जाता है।

पर्यवेक्षण, वर्तमान मूल्यांकन, केस स्टडीज, समस्या विश्लेषण, उत्पादकता विश्लेषण और समूह आयाम परियोजान कार्यान्वयन के दौरान किया जाता है।

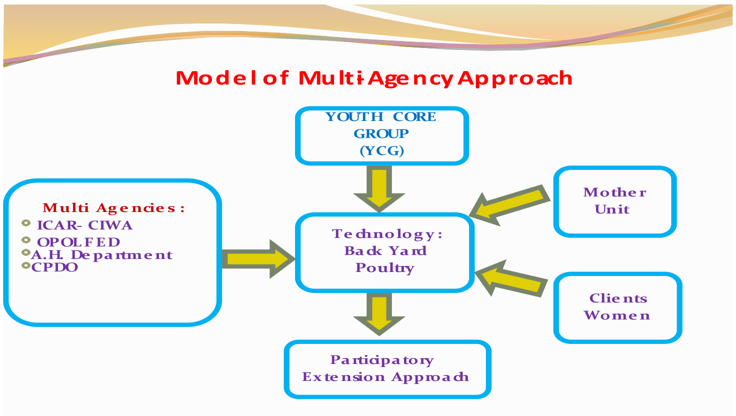

3.5.2 सफलता की कहानी 1: पिछवाड़े में मुर्गीपालन: महिलाओं के लिए लाभ पाने का स्रोत

नाम : श्रीमती पुष्पलता पल्टासिंह

पति का नाम : श्री प्रताप पल्टासिंह

वर्ण : सामान्य

गाँव : हरिदामदा

ब्लॉक : भुबनेश्वर

जिला: खोरदा

शिक्षा : गैर-मैट्रिक

संपर्क सं.: 7077902245

कृषि में अनुभव : 15 वर्ष

संगठन की सदस्यता : महिला स्वयं सेवक संघ की सदस्य

श्रीमती पुष्पलता पल्टसिंह को यूथ कोर ग्रूप (वाई सी सी) के महिला सदस्य के रूप में हरिदामदा गाँव, ब्लॉक भुबनेश्वर, खोरदा जिला में पहचाना गया जो संस्थान की परियोजना ''बहु एजेन्सी भागीदारी विस्तार नमूना'' के तहत किया गया था। पिछवाड़े में ग्रामीण महिलाओं द्वारा आजीविका में सुधार हेतु एम ए सी इ एम, वाई सी जी और मदर यूनिट की अवधारणा पर मुर्गी पालन के क्षेत्र में कृषक महिलाओं के लिए दक्षता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार, श्रीमती पुष्पलता ने एक दिन की चूजों (आर आई आर) को मदन यूनिट में एक महीने तक उचित रोशनी, तापमान, पीने का जल, चारा, वार्ड आदि के साथ पाला। उसके बाद उन्होंने एक महीने के चूजों को चुनी गई महिला लाभार्थियों को दिया और आवश्यक सलाहकारी सेवा भी प्रदान की। धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वे अकेली ही एजेन्सियों से बात करने लगी कि वे केन्द्रीय कुकुक्ट विकास संस्थान संगठन (सीपीडीओ) से पोल्ट्री के चूजों को प्राप्त कर सके, चारे के लिए उन्होंने ओडिसा राज्य मुर्गीपालन उत्पाद की कोऑपरेटिव विपणन फेडरेशन लि. (OPOLFED) से और स्वास्थ्य समर्थन पशुपालन विभाग ने किया। विभिन्न एजेन्सियों के साथ लिंकेज स्थापित करने के बाद, उन्होंने पिछवाड़े में पोल्ट्री यूनिट खोलने का निर्णय लिया।

मार्च 2015 में 200 आर आई आर चूजें चारा सहित खरीदने के लिए रू. 6,000/- का निवेश लगाया और मदर यूनिट में चूजों को पालने के लिए वैज्ञानिक विधियों को अनुसरण किया। उन्होंने 20 दिन की आयु के 60 चूजों को रू.40 हर एक (रू.2400) में बेचा, 2.5 महीनों की आयु वाले 50 नर पक्षियों को @ रू.300 (रू.15000) और अपडे रू.5 (150 अंडे/पक्षी X 40 पक्षी X रू.5 = रू.3000)। इस प्रकार उन्होंने रू.46,800 कमाया और रू. 40,800 लाभ पया। अब श्रीमती पुष्पलता ने यह उद्यम चालू रखा है और 25 अन्य अनुसूचित जाती की फार्म महिलाओं जो आस पास के कस्बों से है ने इस विधि को अपनाया है। उनका कार्य पोल्ट्री

चलाने वाली महिलाओं में खुशी लाया है। क्योंकि व न केवल पौष्ठिक सुरक्षा को परंतु उनके खाली समय का उपयोग कर आय कमाया है।

3.5.2 सफलता की कहानी 2: संकल्प किस प्रकार अपने पारिवारिक आय में वरिवर्तन लाता है

नाम : श्रीमती ममता मोहन्ती

पति का नाम : श्री क्षितिश मोहन्ती

वर्ण : सामान्य

गाँव : सबलपुर

ब्लॉक : सदर ब्लॉक

जिला: कटक

शिक्षा : गैर-मैट्रिक

संपर्क सं.: 87639270895

कृषि में अनुभव : 20 वर्ष

श्रीमती ममता मोहन्ती (50 वर्ष), पति श्री क्षितिश मोहन्ती, सबलपुर गाँव, सदर ब्लॉक, कटक जिले के आई सी ए आर - सी आई डब्ल्यू परियोजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया। सामाजिक वातावरण सृजन के लिए, कृषक महिलाओं में प्रेरणा और जागरूकता लाने के लिए, समय समय पर कइ बैठकों का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने घर के जमीन में पुदीना बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। तीन गुन्टों (0.8 एकड़) में पुदीना बढ़ाना शुरू किया जिसमें वैज्ञानिक विधियों जैसे समय पर बोना, निराई, जैविक खाद डालना, समय पर सिंचाई करना, महिलाओं की परिश्रम को कम करने वाले उपकरणों का उपयोग, कटाई इत्यादि को अपनाया/अब वे सफलता पूर्वक पुदीने की खेती कर रही है और आर्थिक रूप से सक्षम है, प्रतिदिन लगभग रू.300 कमाती है। एक वर्ष के भीतर एक ही फसल से उन्होंने रू. 1.2 लाख कमाया अपने घरेलू कार्यों में बाधा नहीं आने दी। उन्होंने स्थानीय बाजारों के साथ भी दृढ़ लिंकेज स्थापित

किया साथ ही के आई आई टी और के आई एस एस संस्थान, भुबनेश्वर के होटल, ओडिसा को पोष्ठिक एवं जाईकेदार पदार्थ बनाने के लिए पुदीने की सप्लाई कर रही है।

3.5.3 सफलता की कहानी 3: 'गौरी' ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए एक रोल मॉडल

नाम : श्रीमती गौरी पहापात्रा

पति का नाम : श्री अभेय महापात्रा

वर्ण : सामान्य

गाँव : नौसाहि

ब्लॉक : सखी गोपाल

जिला: पूरी

शिक्षा : गैर-मैट्रिक

संपर्क सं.: 7873962461

कृषि में अनुभव : 20 वर्ष

सी आई डब्ल्यू ए के वैज्ञानिकों ने श्रीमती गौरी को प्रेरित किया और पुनराभिमुख किया कि वे मशरूम की खेती को अपने आजीविका को श्रोत बनाया। तकनीक पर यकीन कर, उन्होंने 50 बेड 2010 में मशरूम की खेती को अपनाया। प्रारंभ में उन्होंने प्रतिदिन 10-15 बेड के साथ शुरू किया। दो साल बाद उन्होंने 50 बेड प्रतिदिन तक इसे बढ़ाया। उनके परिश्रम, कर्मठता और सफलता को देखकर गौरी को मशरूम के प्रशिक्षक के रूप में ई सी ओ आर सी टी प्रमुख बैंक पूरी द्वारा दस आवेदकों में से साक्षात्कार के माध्यम से चुना गया। तब से, वे पूरी के विभिन्न खण्डों के कृषक महिलाओं को मशरूम पर प्रशिक्षण दे रही है। 50 भागीदारों की एक बैच की छ: दिनों की प्रशिक्षणों के लिए वे रू.3000/- प्राप्त करती है। 16 प्रशिक्षण बैचों के

साथ उन्होंने 800 कृषक महिलाओं में मशरूम की खेती का प्रसार किया और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से रू.48000 कमाया है। फलत: श्रीमती गौरी ने अपने लिंकेज को वित्तीय संगठनों तक व्यापक बनाया। उनके नेतृत्व एवं दिशानिर्देश में, उच्चपुर पंचायत के तहत तीन गांवों से 185 कृषक महिलाओं को (एरूडा, चन्दापुर और नौसाही) मशरूम खेती के लिए बैंक ऑफ इंडिया, नौसत्ता, पुरी द्वारा ऋण की राशि रू.92.5 लाख प्रत्येक के लिए रू.0.5 लाख के दर से प्रदान किया गया। श्रीमती गौरी के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्रापत 50 कृषक महिलाएं मशरूम की खेती को जारी रखा है। औसतन वे प्रत्येक बेड में 30 के दर से हर दिन 1500 बेड लगाती है और 12 क्विन्टल उपज प्राप्त करती है जिसे गाँवों में बेचती है। इन गरीब महिलाओं को अपने समूदाय में एक पहचान प्राप्त हुआ है। वे अपने परिवारों को उचित पौष्ठिकता, शिक्षा प्रदान करने एवं संपत्ति तैयार करने के द्वारा सहायता करती है। श्रीमती पहापात्रा ने अपने घर में कई संपत्तियों जैसे मोटार साईकल, बोरिंग पम्प, स्ट्र सटेरलाइजिंग टैंक, कटर, स्प्रेयर, टिन हाऊस इत्यादि को रू.2.5 लाख निवेश कर मशरूम की खेती के द्वारा अर्जित किया है। महिलाएं मशरूम पैकेट को उपहार के रूप में देकर खुश होती है और सामाजिक बंधनों को बनाए रखती है। अत: आई सी ए आर - सी आई डब्ल्यू ए महिला नेतृत्त्व को विकसित करने तथा मशरूम तकनीक के प्रसार हेतु एक रास्ता दिखाने में श्रीमती गौरी माहापात्रा एक रोल मॉडल है।

निष्कर्ष

कृषि एक गतिशील क्षेत्र है जो पर्यावरण, वातावरण और तकनीकियों में त्वरित परिवर्तन लाने के साथ साथ परिवारिक ढाँचे में सामाजिक परिवर्तनों को प्रभाव प्रवासन और वेश्वीकरण व विमुखीकरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुसंधान और विस्तार के रणनीतियों में भी परिवर्तन की अवश्यकता है। लगभग 48 प्रतिशत

भारत के स्वरोजगार प्राप्त किसान महिलाएं ही है। (एन ए एस ओ 2010) भूमिकाओं, आवश्यकताआं, बाधाओं, अवसरों, संसाधनों की पहुँच और कृषि में लाभ की कमियों को विश्लेषण करने में लिंग एक सिद्ध परिवर्ती है। अत: लिंग संवेदीकरण एक मुख्य कार्य बिन्दु है जो कृषि में लिंग संबंधी मदों को संबोधित करता है, क्योंकि कृषि उत्पादन पर लिंग असामनता का प्रभाव पड़ता है।

3.6 सारांश

- महिलाएं विश्व के कार्य घंटों में से दो-तिहाई कार्य करने के बावजूद, वे साधन विहीन और अधिकारिक पदों पर बहुत कम प्रतिनिधित्व करती है। आधिकांश विकासशील देशों की कम आय वाली महिलाएं प्राथमिक रूप से कृषि में ही काम करती है परन्तु कई साहित्यों से पता चलता है कि पुरूष ही कृषि तकनीकियों के प्राथमिक अनुकूलक और तैयार कर्त्ता है। इस प्रकार की असमानताएं विश्व के सभी जगह पर दिखाई देते है।
- चैकलिस्ट आँकड़े इक्ट्ठा करने की एक विधि है जिसमें गतिविधियों या चरणों की सूची होती है जिसका उपयोग लक्ष्य की संगतता और पूर्णता का आश्वासन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग नियोजन दिशानिर्देशक/पुनरावलोकन/सभी क्षेत्रें में लिंग दृष्टिकोण को लाने की प्रक्रिया मापदण्ड के रूप में उपयोग किया जाता है।
- कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में कई समस्याएं है यथा संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण, वेतन में अंतर, मौसमी रोजगार, विस्तार सेवाएं, ऋण सुविधा, दक्षता निर्माण, जागरूकता, समाज सांस्कृति बाजार तक पहुँच, शैक्षिक नीति, पुरूषों का प्रवास जमीन पर स्वामित्व, अतिभार, अधिक परिश्रम और नकदी फसलों की ओर झुकाव।
- कृषि में लिंग समस्याओं को संबोधित करने वाली रणानीतियाँ, अभिगम और विधियाँ है; महिला उपयोगी कृषि उपकरणों की रूपरेखा तैयारी, विस्तार और अनुसंधान के बीच

संबंध का दृढ़ीकरण, अधिक संख्या में महिला विस्तार कर्मियों की नियुक्ति या काम पर लगाना, पुरूष विस्तार एजेन्टों का संदेवीकरण, पर्याप्त कौशल प्रशिक्षणों के साथ महिला किसानों का दक्षता विकास, सामान्य जनता में लिंग संवेदीकरण निजी एजेन्सियों, नीति निर्माताओं द्वार लिंग को मुख्यधारा में लाना, लिंग की अवधारणा और लिंग संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने हेतु जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन, महिलाओं के ज्ञान के मूल्य की पहचान, उनके कौशल और अभ्यास और उनकी भूमिकाएं विभिन्न समाजिक आर्थिक समूहों में उनका उत्तरदायित्व और योगदान।

- लिंग संबंधी अलग-अलग आँकड़ों का अभिलेखीकरण जो नीति निर्धारण को महिला उपयोगी नीतियाँ तैयार करने में नीति निर्माताओं का समर्थन और सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों अभिगम को छोड़ना।
- अनुसंधान और विस्तार को भी अपनी रणनीतियों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बलना चाहिए।
- कृषि में लिंग संबंधी समस्याओं का मुख्य समाधान लिंग संवेदीकरण कार्य ही है।

3.7 अन्य अध्ययन:

1. Bina Agarwal, Gender Challenges, **Oxford University Press, 2016.**
2. Promoting Gender Equality and Women's Empowerment in Fisheries and Aquaculture, FAO, 2016.
3. Turkey, Duban, E., Gender in Climate Smart Agriculture, World Bank Group, FAO and International Fund for Agricultural Development, 2015.
4. Gender and Food Security, BRIDGE Development-Gender, The Institute of Development Studies, 2014.

5. Gender and Climate Change Research in Agriculture and Food Security for Rural Development, FAO, 2013.
6. The State of Food and Agriculture- Women in Agriculture Closing the Gender Gap for Development, FAO, 2011.
7. Gender in Agriculture Sourcebook, World Bank, World Bank, 2009.

3.8 अपनी प्रगति जाँचे

(1) 'लिंग को मुख्यधारा में लाने' के महत्व पर प्रकाश डालें।

(2) कृषि में मुख्य लिंग संबंधी समस्याएं क्या है? उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाएं।

(3) कृषि में लिंग संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कौन कौन विस्तार अभिगमों का उपयोग किया जा सकता है।

दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें:

1. विस्तार पर, लगभग .... लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती ।

(a) 98 मिलियन (b) 50 मिलियन (c) 20 मिलियन (d) इनमें से कोई नहीं

(2) एम एस एस ओ 2010 के अनुसार, भारत के लगभग ....स्वरोजगार युक्त किसान ही है

(a) 30% (b) 10% (c) 48% (d) 5%

(3) यह देखा गया है कि औसनत रूप से महिलाओं को .... % कम वेतन उनके साथी पुरूष कर्मियों की तुलना में दिया जाता है।

(a) 10-20% (b) 30-40% (c) 5% (d) 25%

(4) नकदी फसलों से प्राप्त आय सामान्यता .... के नियंत्रण में आता है, जिनके द्वारा परिवारों की आवश्यकताओं के लिए खर्च करने की कम संभावना होती है।

(a) पुरूष (b) महिला (c) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

(5) यह पता चलता है कि कृषि में महिलाओं की कार्य भूमिका छोटे किसानों में .... है

(a) बहुत कम (b) अदृश्य (c) अत्याधिक (d) इनमें से कोई नहीं

ब्लॉक III: लिंग विश्लेषण

यूनिट - I: कृषि में लिंग विश्लेषण के साधन

इस यूनिट की मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य
- परिचय
- कृषि में लिंग विश्लेषण क्यों
- लिंग विश्लेषण साधन व रूपरेखा
- हारवर्ड विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क
- मोसर (तीन भूमिकाए) फ्रेमवर्क
- लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स
- समानता और सशक्तीकरण फ्रेमवर्क (लॉगाने)
- दक्षताओं और परिवर्तनशीलता फ्रेमवर्क (सी वी ए)
- सामाजिक संबंध फ्रेमवर्क्स (एस आर एफ) एस ई ए जी ए अप्रोच एफ ए ओ का
- जेन्डर बजटिंग और लेखा परीक्षण
- भारत के विभिन्न राज्यों में जेन्डर बजटिंग के प्रारंभिक कार्य
- निष्कर्ष
- अन्य अध्ययन

1.0 उद्देश्य

- लिंग विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों से छात्रों को परिचित कराना।
- जेन्डर बजटिंग और जेन्डर लेखापरीक्षण पर अवधारणात्मक समझ विकसित करना।

1.1 परिचय

लिंग प्रतिक्रियावादी योजना और कार्य विधि की ओर प्रथम व अत्यंत महत्वपूर्ण कदम लिंग विश्लेषण है। इसमें लिंग संबंधी अलग-अलग आँकड़ों की सूचना का संकलन और विश्लेषण समाहित है। यह स्त्री पुरूषों के बीच भिन्नताएं, समानताएं और संपर्क की जाँच करता है। लिंग विश्लेषण महिला और पुरूष की विशेष गतिविधियाँ, परिस्थितियाँ, आवश्यकताएं, संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण विकासात्मक लाभों की प्राप्ति और निर्णयनों का परीक्षण करता है।

1.1.1 लिंग विश्लेषण क्या है?

लिंग विश्लेषण विशेष और अधिकांश अलग-अलग दक्षताएं, परिवर्तरनशीलता, रणनीतियों को स्पष्ट करती है और प्रभावी रणनीतियों के स्थान को स्पष्ट करती है और प्रभावी रणनीतियों के लिंग असमानता और अनौपचित्य को पहचाना जा सकता है, और संबोधित किया जा सकता है। यह अधिक लिंग समान संबंधों को बनाने व उन प्रयासों को समर्थन देने वाले कार्यक्रमों को विकसित करने के अवसर प्रदान करते है।

1.1.2 आवश्यक लिंग विश्लेषण

यह स्त्री एवं पुरूषों की जिन्दगी में भिन्नताओं की जाँच करता हे, जिसमें महिला की सामाजिक और आर्थिक असमानता में बदलने वाली भी सम्मिलित है और इस समझ को विकास और सेवा सुपुर्दगी के लिए उपयोग करता है।

- इन असमानताओं के अंतर्निहित कारणों से यह संबद्ध है।
- इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त करना है।

1.1.3 लिंग विश्लेषण में विचार योग्य कारक

(a) प्राकृतिक: भूमि, जल, वन, नदी इत्यादि

(b) आर्थिक: कार्य अवसर, पगार और मजदूरी, भेजा हुआ धन, ऋण और उत्पादन इनपुट

(c) सामाजिक: औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा और सामाजिक सेवा- धार्मिक और सांस्कृतिक नियम जैसे महनावा, निजि और सार्वजनिक स्थानों की परिभाषा।

(d) इनफ्रास्ट्रक्चर - ब्रिज, रोड और मार्केट

(e) राजनैतिक - प्राप्ति एवं भागीदारिता, संगठन के अवसर और समुदाय क्षेत्र और राष्ट्र स्तर पर निर्णयन।

(f) समय: कार्य समय और खाली समय

(g) वैयक्तिक: स्वाभिमान क्षमता, संप्रेषण दक्षता और वैयक्ति स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता

1.1.4 लिंग विश्लेषण दिशानिर्देश

क्या पूछना चाहिए

- प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम या परियोजना का लक्ष्य (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) कोन है?
- मध्यस्ताओं में क्या महिलाओं से विचार विमर्श किया जाता है?
- क्या मध्यस्यताएं विद्ययमान श्रमिों की लिंग आधारित विभाजन, लक्ष्य, उत्तरदायित्व और अवसरों को चुनौती देती है?
- मध्यस्ताएं और अन्य गतिविधियाँ और संगठन - (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के बीच संबंध क्या है?
- परंमपरागत भूमिकाओं के होते हुए भी नीति/कार्यक्रम/परियोजनाओं में भाग लेने हेतु अपनी पत्नियों को भेजने के लिए पुरूषों को निम्न विशेष प्रकारों से प्रोत्साहित करने को प्रयास किया जा सकता है।
- अपने स्वयं की जिन्दगियों की जिमेदारी लेने तथा समस्या समाधान के लिए सामूहिक कार्य लेने में महिलाओं में बढ़ी दक्षता के संबंध में उसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा?

1.1.5 लिंग विश्लेषण

क्या करना है

(a) लिंग संबंधों, श्रमिकों का विभाजन और किसे संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण प्राप्त है।

(b) कार्य विवरणों वर्क प्रोफाईल में घरेलू/प्रजनन और समुदाय कार्यों को भी समाहित करें।

(c) पुरूष और महिलाओं द्वारा अर्थ व्यवस्था तथा अपने परिवार के लिए किस प्रकार को योगदान दे सकेते है उसे पहचानिए।

(d) भागीदारी प्रक्रियाओं का उपयोग करें और सरकारी स्तर पर महिलाओं संगठनों और लिंग समानत्व विशेषज्ञों सहित नागरिक समाज से महिला एवं पुरूष हितधारकों की व्यापक फैलाव को समाहित करें।

(e) समय पर उपस्थित होने, वे वहाँ कैसे आएंगे या आपको उनके पास जाना होगा, क्या वे पुरूष आधिक्य बैठकों में बात कर सकेंगे या प्रारंभ में महिलाओं से अलग से बात करना उचित होगा, पुरूष समूह के पास अपने इनपुट रखना, महिलाओं, के योगदान पर जागरूकता उत्पन्न करना जो कि आगे चलकर मिश्रित समूह परिणामित होगा इन सभी में महिलाओं की दक्षता पर विचार करना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसे तुरंत होने के लिए दबाव डाला नहीं जा सकता।

(f) महिलाओं की प्रायोगिक और रणनीतिक आवश्यकताओं को समझना और दोनों को समर्थन देने के लिए अवसरों को पहचानना है।

(g) स्त्री एवं पुरूषों पर प्रारंभिक कार्यो ा के अलग-अलग प्रभाव पर विचार करना है और संबोधित किए जाने वाले परिणामों को पहचानना है।

(h) प्रत्याशित खतरे की रूपरेखा और उन खतरों को कम करने की रणना ीतियाँ

इस प्रकार लिंग विश्लेष्ज्ञण स्त्री व पुरूषों की विभ्न्नि गतिविधयों और उत्तरदायित्वों को, संसाधनों पर उनकी पहुँच एवं निर्णयन को समझने की प्रक्रिया है। लिंग विश्लेषण स्त्री व

पुरूषों की भूमिकाओं और संबंधों को समझने में सहायता करता है। कौन कब, क्या और क्यों के बारे में प्रश्न तैयार करता है। इस विश्लेषण में कारक जैसे स्तर (सामाजिक स्तर, संपत्ति), आयु और शिक्षा भी लिंग की भूमिकाओं को प्रभावित करता हे। अंतत: यह भूमिकाएं स्त्री और पुरूषों की विशेष आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिकार व संसाधनों पर उनकी पहुँच को पारिभाषित करने व निर्धारण करने का मुख्य कारक है।

1.2 कृषि लिंग विश्लेषण क्यों

कृषि में महिलाओं की भूमिका को मुख्य हितधारकों के रूप में पहचान नहीं मिल रहा है। उत्पादक संसाधनों (भूमि, सेवाएं, बाजार और विपणन सुविधाएं और व्यापार विकास सेवाओं जल, ऋाण, कृषि इनपुट, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं के प्रति सीमित पहुँच होती है। कृषि में महिलाओं की सहभागिता और घरों में उनका स्थान उनके और उनके बच्चों के लिए अन्न प्रदान करने से इनका संबंध जुड़ा रहात है, क्योंकि महिलाएं घरेलू खाद्‌य सुरक्षा और पौष्ठिकता दोनों के बीच मुख्य द्‌वार है।

बदलते कृषि परिदृश्य और समाजिक - सांस्कृतिक आधार में, लिंग संबंधी अलवा अलग विवरण होना आवाश्यक है और संपूर्ण कृषि मूल्य श्रुखंला में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए। कृषि मूल्य श्रृंखला में संकलन से फसल उत्पादन तक विपणन और उपभोग; पशुपालन, मत्स्यिकी और डेरी सम्मिलित है। इन परिवर्तनों का महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और इस प्रकार के विश्लेषण कृषि में महिलाओं की मुख्य समस्याओं, अवसरों और अड्चनों को पहचानने में मदद करता है।

फार्म में उनके वैतनिक कार्य तथा घर और समाज में उनके अवैतनिक कार्य दोनों तरफ से अर्थव्यवस्था में महिलाएं मुख्य योगदानकर्त्ता होती हुई भी उन्हें एक व्यवस्थित ढंग से निर्णय लेने की प्रक्रिया और मुख्य संसाधनों और सेवाओं से निकाल दिया जाता है।

लिंग संबंधी मामलों पर विचार करने और महिलाओं की प्रतिभागिता परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों एवं की सततता और सफलता को प्रभावित करता है। विचार एि जाने वाले मुद्दों में कृषि में स्त्री और पुरूषों की विभिन्न भूमिकाओं, आवश्यकताओं और बोध, महिलाओं को भी समाहित करना है। संसाधनों की उचित पहुँच महिलाओं को आया सृजन क्रियाकलापों के लिए समय निकालने और उनके और साथ-साथ उनके बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ती को सरल बनाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर या समाज की आर्थिक लाभ में परिणामित होतो है।

1.3 लिंग विश्लेषण उपकरण और रूपरेखा

विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं की दृष्टि से कई उपकरणों का विकास किया गया है। हर एक उपकराण कुछ न कुछ फायदे के साथ भिन्न है। कुछ अन्य सामाजिक लक्षण और कारकों से बेहतर है, तो कुछ अधिक भागीदारी है। सामान्यत: उपयोग किए जानो वाले उपकरण निम्न रूप से है।

1.3.1 हारवर्ड विश्लेषणात्मक रूपरेखा

हारवर्ड विश्लेषणात्मक रूपरेखा को जेन्डर रोलस फ्रेमवर्क या जेन्डर एनालिसिस फ्रेमवर्क भी कहते है। इसका आधार "विकास में महिलाएं" (Women in Development WID) दक्षता अभिगम है। यह शुरूवादी लिंग विश्लेषण और नियोजन फ्रेमवर्क में से एक है। इस रूपरेखा में माइक्रो स्तर पर (समूदाय और घर) विवरण संकलित करने के लिए मैट्रिक्स उपलब्ध है। इसमें चार अंत:संबंधित संघटक है।

1.3.1.1 गतिविधि प्रोफाईल - जो प्रश्नों का जवाब देता है, "कौन क्या करेगा" इसमें लिंग, आयु, व्यतीत समय, गतिविधि का स्थान सम्मिलित है।

गतिविधि प्रोफाईल चार्ट

गतिविधि के प्रकार कौन (लिंग /आयु)	कब बारंबारता कहाँ कैसे	यह गति विध क्यों (लिंग /आयु)

उत्पादकता		
प्रजनन		
सामुदायिक		

कौन - पुरूष वयस्क, महिला वयस्क, लड़का, लड़की

क्या - चलाई गई गतिविधियाँ

कब - वर्ष/ दिन का समय

कहाँ - गतिविधि का स्थान, अर्थन घर पर घर से दूर

कैसे - गतिविधि करने का माध्यम, मानव द्वारा या मशीनों द्वारा

बारंबारता - एक अवधि के समय में कितने बार यह गतिविध की गई

क्यों - यह गतिविधि करने के लिए प्रत्येक लिंग को औचित्य दर्शना वाला कारण

1.3.1.2 पहुँच और नियंत्रण प्रोफाईल

गति विधि प्रोफाईल में पहचाने गए कार्य को करने के लिए संसाधनों को पहचानता है और लिंग उकनी उपयोगिता को नियंत्रित करता है।

पहुँच और नियंत्रण पोफाईल चार्ट किसके पहुँच है

	किसके पहुँच है	**कौन नियंत्रित कर सकता है**
संसाधन लाभ		

1.3.1.3 प्रभावकारी कारकों का विश्लेषण - उपर्युक्त दोनों प्रोफाईलों में लिंग भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक

प्रभावकारी कारकों का चार्ट

प्रभावित करने वाले कारक	**प्रभाव**	**कठिनाइयाँ**	**अवसर**
राजनैतिक			

जनांकिक

आर्थिक

सांस्कृतिक

शैक्षिक

पर्यावरणीय

न्यायिक

अंतर्राष्ट्रीय

नीतियाँ

अन्य

1.3.1.4 परियोजना चक्र - लिंग संबंधी अलग-अलग विवरणों के प्रकार में किसी परियोजना या मध्यस्यता का विश्लेषण या परीक्षण। सबसे पहले गतिविधि प्रोफाईल व पहुँच और नियंत्रण प्रोफाईल के लिए सूचना का संकलन किया जाएगा।

हारवर्ड रूपरेखा की क्षमताएं

- एक विवरण इक्ट्ठा करलेने के बाद, कौन कौन क्या करेगा, कब और किस संसाधन से करेगा पर स्पष्टता आएगी। यह महिलाओं की भूमिका और कार्य को दर्शाएगी।
- यह संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण के बीच अंतर समझाएगा।
- कई प्रकार के समायोजन और परिस्थियों में असानी से अपनाया जा सकता है।

1.3.2 मोजर (तीन भूमिकाएं) फ्रेम वर्क

इस रूपरेखा का विकास कैरोलीन मोअर द्वारा किया गया है और यह लिंग भूमिकाओं और लिंग आवश्यकताओं की अवधारणाओं और नीति अभिगम से लिंग व विकास योजना पर आधारित है।

1.3.2.1 लिंग भूमिकाएं

I. उत्पादकता भूमिकाएं (वैतनिक कार्य, स्व-रोजगार और आद्य उत्पादन)

II. पुनरूत्पादन भूमिकाएं (घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और अस्वस्थ व बुजुर्गोंां की देखभाल)

III. समुदाय की भागीदारिता /स्वयं सेवा (स्वैच्छिक कार्य समुदाय की भलाई के लिए)

IV. समुदाय राजनीति (निर्णयन / प्रतिनिधित्व पूरे समुदाय के तरफ से)

1.3.2.2 लिंग आवश्यकताएं

I. "प्रायोगिक" लिंग आवाश्यकताएं (वर्तमान लिंग भूमिकाओं और संसाधनों के संदर्भ में जैसे महिलाओं का समय एवं शक्ति की बचत के लिए अधिक सुविधाजनक जल प्राप्त स्थान)

II. "रणनितिक" लिंग आावश्यकताएं (अवसरों और लाभों की अधिक समानता सृजित करने के लिए वर्तमान लिंग भूमिकाओं और संसाधनों में परिवर्तन की आवश्यकता है

उदाहरण: महिलाओं भू-स्वामित्व

मोजर रूपरेखा की सक्षमता

- लिंग नियोजन की परिवर्तन शील दक्षता की पहचान।
- तीन भूमिकाओं की अवधारणा के माध्यम से सभी कार्यों को दृश्यमान और नियोजकों के लिए मूल्यवान बनाना।
- असमान लिंग संबंधों को चुनौती देने तथा महिला सशक्तीकरण को समर्थन करने के लक्ष्य से संकल्पनाओं को बनाना।

- लिंग आवश्यकताओं के प्रकारों को अलग करना: महिलाओं की दैनिक जीवन से संबंधित (प्रायोगिक लिंग आवश्यकताओं) और वर्तमान लिंग परधीनता को सशक्त रूप से परिवर्तित करने वाले (रणनीतिक लिंग आावश्यकताएं)
- नीति एप्रोच को वर्गीकृत करता है।

1.3.3 लेवी (संस्थानीकरण का तंत्र) फ्रेमवर्क

कैरेन लेवी फ्रेमवर्क (1996) या "वेब फर इन्स्टिट्यूशनाइलेजेशन" लिंग को मुख्यधारा में लाने पर विश्लेषण करने के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया उपकरण है। यह उपकरण कर्मचारियों को (और भागीदारों को) सूक्ष्म लिंग दृष्टि के माध्यम से संगठनात्मक ढांचे व अभ्यासों को देखने तथा वहाँ कहाँ क्षमताएं है और कहाँ सुधार की जरूरत है को पहचानने को सरल बनाने वाल उपकरण है।

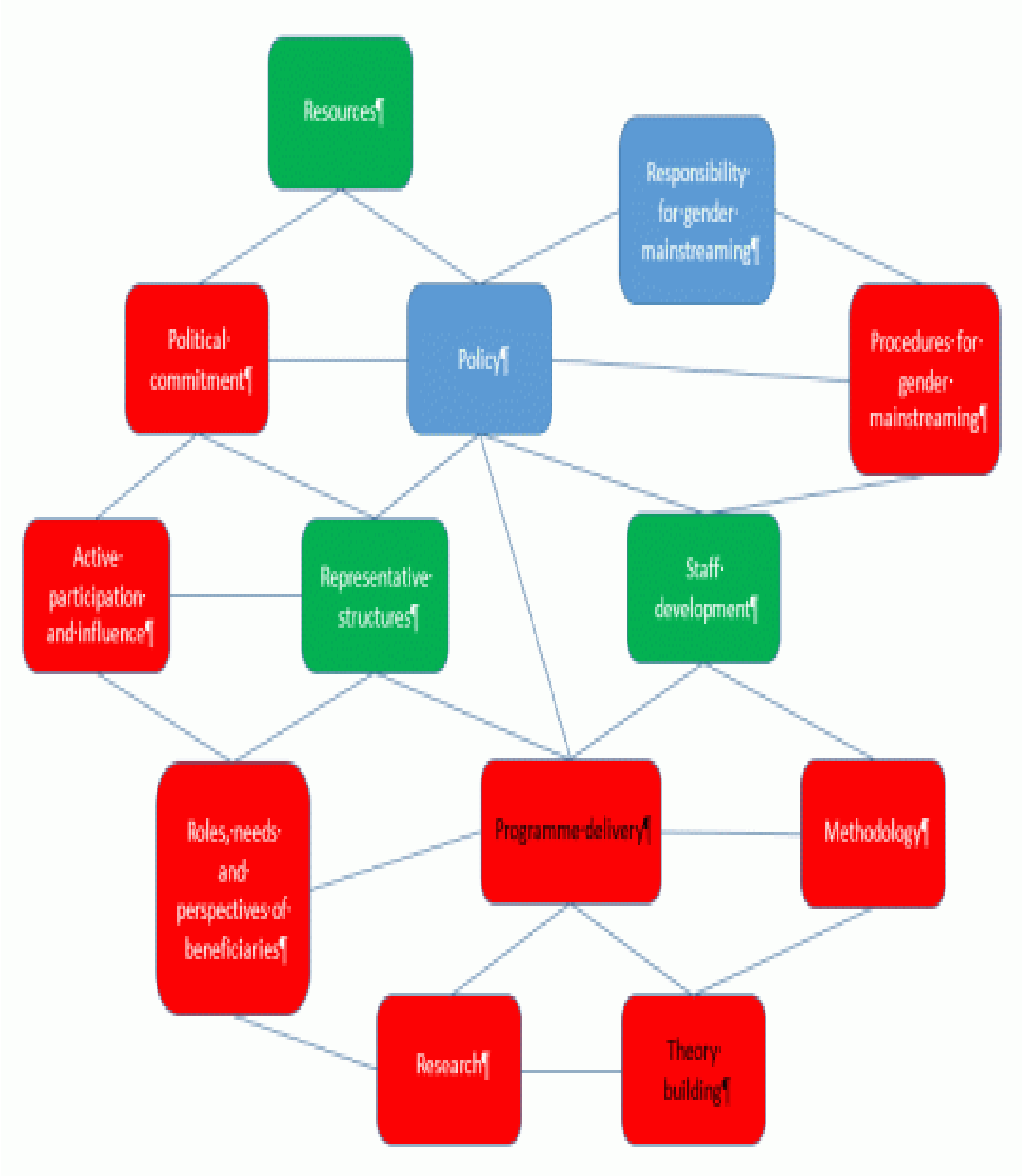

विश्व खाद्य कार्यक्रम के देशी कर्यालयों में से एक में लिंग मुख्यधारा को प्रतिनिधित्व करने वाल चित्र

विधि

लेवी की रूपरेखा में प्रभावी रूप से लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों संबंद्ध 13 कारक है।

इन्हें चार क्षेत्रों में आयोजित किया गया है।

1. **लाभार्थी क्षेत्र:** भूमिकाएं, आवश्यकताएं और दृष्टिकोण, प्रतिनिधि ढाँचे, सक्रिय भागीदारिता और प्रभाव
2. **नीति क्षेत्र:** संसाधन, राजनैतिक प्रतिबद्धता, नीति
3. **संगठनात्मक क्षेत्र:** लिंग को मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी, उससे संबंधित प्रक्रिया, कर्मचारी विकास
4. **सुपुर्दगी क्षेत्र :** कार्यक्रम व परियोजनाओं की सुपुर्दगी, विधि, अनुसंधान, सिद्धांत निर्माण

लिंग को मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में प्रत्येक क्षेत्र के कारक दृढ़, मध्यम और दुर्बल है या नहीं पर चर्चा करने हेतु दिशानिर्देशक प्रश्नों को उपयोग करते हुए प्रतिभागी समूहों में काम करते है। ये समूह दृढ़ लिंग आयामों के लिए नीले रंग को, मध्यम स्तर के लिए हरे रंग को कमजोरा वर्ग के लिए लाल रंग का उपयोग करते है। यदि समय की कमी है तो प्रत्येक समूह केवल एक क्षेत्र पर ध्यान लगाते है, परंतु जब पर्याप्त समय है, तब वे सारे ढ़ाँचे पर विचार विमर्श कर सकते है।

प्रतिभागी तब अपने अंतर्निहित विचारों को व्यक्त करने लगते है।

1.3.4 लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स (GAM)

पहचानने और इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य लिंग विभेदों को पहचानने और विश्लेषण करने के लिए समुदाय आधारित तकनीक प्रदान कर स्त्री एवं पुरूष पर विकास कार्यों के अलग-अगल प्रभावों को पहचानना है। निर्मात्मक विधि में लिंग भूमिकाओं पर उनकी पूर्व धारणा की पहचान और चुनौती देने में समुदाय की मदद करता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा

सकता है, उदाहरण के लिए परिवर्तनीय लिंग प्रशिक्षण या प्रतिभागी नियोजन उपकरण के रूप में उपयोग। यह विश्लेषण समाज के चार स्तरों पर किया जाता है। यथा 5 महिला, पुरूष, परिवार और समुदाय/ जी ए एम चार संसाधन में प्रभाव का परीक्षण करता है; श्रमिक, समय, संसाधन और समाजिक सास्कृतिक कारक।

लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स (GAM) वर्कशीट

परियोजना उद्देश्य	श्रमिक	समय	संसाधन	संस्कृति
महिला				
पुरूष				
परिवार				
समुदाय				

स्रोत: मार्च, सी, स्मित, आई. मुखोपाद्याय, (1999) गईड टु जेन्डर विश्लेषण फ्रेमवर्क्स, ऑक्सफाम, आक्सफोर्ड

उपयोग और संभाव्य सीमाएं

- यह सरल, व्यवस्थित और जानी पहचानी अवधारणाओं का उपयोग करता है।
- यह समुदाय प्रतिभागिता के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है।
- यह अपनाने के लिए परिवर्तनीय और तकनीकी है, प्रोयोगिक कौशलों को विकास के साथ लिंग असमानताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ जोड़ा जाता है।
- यह पुरूषों को वर्ग के रूप में समाहित करता है और इसलिए पुरूषों को लक्ष्य बनाने वाली मध्यस्ताओं में उपयोग किया जा सकता है।

1.3.5 समानता और सशक्तीकरण फ्रेमवर्क (लॉगवे)

महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण फ्रेमवर्क का लक्ष्य नियोजकों के प्रश्न में सहायता करना है यथा वास्तव में महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण का अर्थ क्या है और किस सीमा तक विकास कार्य सशक्तीकरण का समर्थन करते है। महिला सशक्तीकरण को महिलाओं को पुरूषों के समान स्थान प्राप्त करने और विकास प्रक्रिया में पुरूषों के समान भाग लेने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि पुरूषों के समान उत्पादन कारकों पर समान नियंत्रण प्राप्त करना है।

लॉगवे फ्रेमवर्क पाँच स्तरों पर समानता की अवधारणा को परिचित कराता है जिसके द्‌वारा किसी भी आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण स्तर का आकलन किया जा सकता है।

समानता के स्तर

- नियंत्रण
- प्रतिभागिता
- कर्मनिष्ठा
- पहुँच
- कल्याण

समानता के ये स्तर पद के अनुसार है, इनका सुझाव है कि उच्च स्तरों पर केंद्रित होने वाली विकास की मध्यस्थताएं निम्न स्तर पर केन्द्रित होने वाली मध्यस्यताओं की तुलना में महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ाता है। भूमि जैसे संसाधनों पर समान नियंत्रण ऊँचे स्तर पर (नियंत्रण) है जो कि भूमि की पहुँच इसकी तुलना में निम्न स्तर (कल्याण) पर है। यह अभिगम विचार करता है कि, यह अपने आप महिला सशक्तीकरण के स्वाभाविक परिणाम को लाता है जो पुरूष एवं महिलाओं का विकास के बीच समानता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों को दूर

करने का माध्यम है। इस फ्रेमवर्क का सुझाव है कि, महिलाओं का विकास समानता के पाँच स्तरों पर विचार करने से समझा जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर अगले स्तर पर पहुँचने हेतु महिलाओं के लिए हर स्तर पर विकास प्रक्रिया के आवश्यक अवधारणों का सशक्तीकरण और उसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने से पुरूषों के साथ समान स्तर के माध्यम से बढना आवश्यक है।

1.3.5.1 कल्याण:

इसे महिलाओं की भौतिक कल्याण (आय, खाद्य आपूर्ती, स्वास्थ्य संरक्षण) का स्तर पुरूषों की तुलना के साथ देखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.3.5.2 पहुँच:

इसे भूमि, ऋण, श्रम, प्रशिक्षण, बाजार सुविधाएं और सभी सार्वजनिक सेवाओं और लाभों जैसे उत्पादन कारकों का पुरूषों के समान महिलाओं की भी पहुँच के रूप में समझा जा सकता है। पहुँच की समानता को समान अवसर के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए सामान्यत: महिलाओं के विरूद्ध जितने भी प्रकार के भेदभाव है उन्हें दूर करने के लिए सुधार की आावश्यकता है।

1.3.5.3 अंतर विवेकशीलता:

इस अवधारणा का संबंध यौन और लिंग में अंतर की जानकारी रखने से संबंधित है और यह पहचानना है कि लिंग भूमिका सांस्कृतिक है जिसे बदला जा सकता है। श्रम का विभाजन स्त्री एवं पुरूषों के लिए स्पष्ट होना चाहिए और महिला और पुरूष उन्हें स्वीकार करना चाहिए। न ही महिला या पुरूष एक दूसरे पर आर्थिक या राजनैतिक रूप से हावी होना चाहिए। लिंग जानकारी का आधारभूत विश्वास समानता है।

1.3.5.4 भागीदारिता:

निर्णय लेने, नीति निर्माण, नियोजन और प्रशासन के सभी स्तरों पर पुरूषों के समान महिलाओं की भागीदारिता के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है। इसका संबंध मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं से है जहाँ परियोजना चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं की भूमिका आावश्यक है।

1.3.5.5 नियंत्रण

महिलाओं की ईमानदारी और एकत्रीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियंत्रण पाने में येागदान दे सकता है, जिससे कि संसाधनों एवं लाभों पर महिला व पुरूष दोनों के बीच नियंत्रण का संतुलन पाया जा सकता है।

1.3.5.6 दक्षता और अतिसंवेदनशीलता फ्रेमवर्क (सवी वी ए)

सीवीए की रूपरेखा का आधार है कि लोगों की वर्तमान शक्तियाँ (चर दक्षताओं) और कमजोरियाँ (या संवेदनशीलता) इस प्रभाव का निर्णय करती है जो जोखिम का उस पर है और साथ ही जोखिम के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का भी है ।

दक्षताएं: इस शब्द का संदर्भ व्यक्तियों और समाजिक समूहों की वर्तमान शक्ति है। वे लोगों की भौतिक संपत्ति, भौतिक संसाधनों और उनके विश्वास व रवैये से संबंधित है। दक्षताएं समय के साथ बढ़ती है और संकटों के साथ निपटने एवं उससे बचने की दक्षता पर निर्भर होती है।

अतिसंवेदनशीलता: इस शब्द का संदर्भ उन दीर्घकालिक कारकों से है जो लोगों की आकस्मिक आने वाली आपदाओं या आपातकाल के समय निर्लिप्तता से जूझने की क्षमता से है। वे लोगों को विपत्ती के समय अति प्रभावित होने वाले बना देती है। अतिसंवेदनशीलता विपदाओं के

पहले से ही होती है, जो उसे तीव्रतर बनाती है और विपदाओं के समय प्रतिक्रिया दिखाने को मुश्किल बनादेती और विपदाओं के खत्म होने के बाद भी रहती है।

अलग अलग लिंग के लिए सी वी ए मैट्रिक्स के आँकड़े

	अतिसंवेदनशीलता		दक्षताएं	
भौतिक / वस्तुगत	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
(क्या क्या उत्पादकता स्रोत, कौशल और आपदाएं विद्यमान है?)				
सामाजिक /संगठनात्मक				
(लोगों के बीच कैसे संबंध है? उनके संगठनात्मक ढाँचे कैसे है?)				
प्रेरणात्मक / अभिवृत्तात्मक				
(समुदाय परिवर्तन लाने की अपनी दक्षता को कैसे देखते है?)				

1.3.7 सामाजिक संबंध फ्रेमवर्क (S R F)

सामाजिक संबंध फ्रेमवर्क का विकास एक शिक्षक नाइला कबीर ने ससेक्स, यू.के. के इन्स्टिटट्यूट ऑफ डेवलपमेंअ स्टडीज़ में किया है। इस फ्रेमवर्क का आधार विकास का लक्ष्य मानव कल्याण की भावना है। असमान सामाजिक आबंटन होता है। असमान सामाजिक संबंधों से ही गरीबी उत्पन्न होने को देखा जा सकता है जिसके आबंटन होता है। लिंग संबंध भी इसी प्रकार एक सामाजिक संबंध है। संस्थान उत्पादन, सामाजिक संबंधों का पुनर्बलन और पुनरूत्पादन का आश्वासन करते है। लिंग असमानता न केवल घरों में होता है परन्तु अन्य कई संस्थानों जैसे बाजार, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में भी होता है।

अत: लिंग विश्लेषण किस प्रकार से संस्थान असमानताओं को सृजित व पुन: निर्मित करते है को देखना है। चार संस्थागत मुख्य बिन्दुओं को देखा जा सकता है यथा - राज्य, बाजार समाज और परिवार/संबंध।

संस्थागत संस्थान	संस्थागत / संरचनात्मक फार्म
राज्य	न्यायिक, मिलटरी, प्रशासनिक संगठन
बाजार	फर्म, वित्तीय कार्पोरेशन, कृषि उद्यम, बहुदेशीय
समुदाय	गाँव न्यायालय, स्वैच्छिक संगठन, औपचारिक नेटवर्क, पोषक ग्राहक संबंध, एन जी ओ
परिवार/संबंध	घर, परिवारों का विस्तार, वंशवृक्ष समूह

संस्थागत सामाजिक संबंधों के उपयुक्त पांच आयाम है:

I. नियम या कार्य कैसे किए जा सकते है? क्या वे करने देंगे या रोकेगें?

II. गतिविधियाँ या कौन क्या करेंगे? किसे क्या मिलेगा और कौन किसका दावा कर सकते है?

III. संसाधन या किसका उपयोग किया गया और किसका उत्पादन किया गया, जिसमें मानवीय (श्रम, शिक्षा), भौतिक (भोजन, संपत्ति, पूँजी) या अस्पष्ट संसाधन (सद्भावना, सूचना, नेटवर्क) समाहित है?

IV. लोग - कौन अंदर है, कौन बाहर है और कौन क्या करता है? लोगों को समाहित करने या छोड़ने, संसाधनों, उत्तरदायित्वों और पद के आबंटन को मिलाकर संस्थान चयनात्मक होते है?

V. शक्ति - कौन निर्णय लेगा और किसकी दिलचस्पी? सामाजिक संबंध फ्रेमवर्क तुरन्त रखा जाना और लिंग विशेषज्ञ?

इस फ्रेमवर्क की शक्ति:

I. गरीबी को भौतिक कमी और सामाजिक उपांतिकीयता।
II. विकासात्मक विचार के लिए जेन्डर को केन्द्र के रूप में अवधारणा बनाता है न कि अधिक वस्तु के रूप में।
III. माइक्रो से मैक्रों को जाड़ता है।
IV. विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बीच संपर्क पर प्रकाश डालता है जैसे - लिंग, वर्ग को जोड़ता है।
V. संस्थानों पर केंद्र का विश्लेषण
VI. निर्धनता और सशक्तीकरण की प्रक्रियाओं के अनावरण का प्रयास करता है।

1.3.8 खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) का एस ई ए जी ए अभिगम

एस ई ए जी ए का पूर्ण सोशियों - इकोनॉमिक एण्ड जेन्डर एनालिसिस है। यह विकास की ओर एफ ए ओ का अभिगम है, जिसका आधार महिला एवं पुरूषों की वरीयताओं का भागीदारी पहचान और समाज - आर्थिक रूपरेखा का विश्लेषण है। यह बहंत हद तक भागीदारी ग्रामीण परीक्षाण (पी आर ए) के समान है। एस ई ए जी ए अभिगम का उद्देश्य जनसमुदाय की आवश्यकताओं और विकास क्या प्रदान करता है के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। कृषि विकास नियोजन में समाज आर्थिक और लिंग विश्लेषण के लिए एफ ए ओ द्वारा उपयोग किए गए पी आर ए विधियाँ है।

एस ई ए जी ए पी आर ए व लिंग विश्लेषण उपकरण का नाम

सामाजिक और संसाधन मौपिंग	- यह रोड, जंगल, जल संसाधन, संस्थानों के व्यापक आबंटन को सूचित करता है।

	- घर उनके संघटन और अन्य समाज आर्थिक लक्षण।
ऋतुओं का कैलेंडर	- ऋतुओं के अनुसार महिला और पुरूषों के कार्यभार का आकलन करता है। - फसल प्रणाली, कृषि व्यवस्थाएं, श्रम का लिंग विभाजन, खाद्य पदार्थों की कमी, वातावरण इत्यादि को समझना
आर्थिक हित का रैंकिंग	- स्थानीय लोगों की संपत्ति का मापदण्ड। - परिवारों व वर्गों के विभिन्न समाज आर्थिक लक्षणों और संबंधित संपत्ति को पहचानता है। - अन्य पी आर ए / जी ए उपकरणों के साथ कार्य करने वाले विशेषसमूहों की तैयारी को सरल बनाता है।
दैनिक गतिविध सारणी	- घंटो के आधार पर लिंग आधारित परिश्रम के अनुसार दैनिक गतिविधि प्रकार को पहचानता है और दिन भर महिला और पुरूष की व्यस्तता को वे कितने घंटे कार्य करते है और उन्हें सामाजिक और विकास कार्यों के लिए खाली समय कब मिलता है इन्हें समझता है।
संसाधन विश्लेषण	- निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक संसाधनों का लिंग द्वारा उपयोग और नियंत्रण को सुचित करता है।
मोबिलिटी मैपिंग	- महिला और पुरूषों का बाहरी विश्व के साथ संपर्क के शर्तों पर लिंग समानता को समझता है। - मोबिलिटी की आवृत्ति, दूरी और उद्देश्य तैयार करना
निर्णायन मैट्रिक्स	- लिंग द्वारा कृषि कर्यों पर निर्णय लेने को समझता है।

वेन्न चित्र	- गाँव और स्थानीय जनता के बीच संबंध स्थापित करने और मुख्य कारकों को पहचानता है।
जोडी अनुसार रैंकिंग	- पुरूष व महिलाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं की पहचान और वरीयता।
लाभ विश्लेषण फ्लो	- लिंग अनुसार विभिन्न संसाधनों और आबंटन के लाभ को समझना
समुदाय कार्य योजना	- जब महिलाओं द्वारा वरीयता दी गयी समस्याओं पर समाधान प्राप्त करने जब पुरूष एवं महिलाएं एक साथ बैठते है तब किस हद तक महिलाओं की बात को इज्जत दी जाती है इसका आकलन करना। - विकास की विकल्पों को समझता है और महिला एवं पुरूषों को एक दूसरे के अनुभवों व ज्ञान से सीखने को अवसर प्रदान करता है।

1.4 लिंग बजटिंग और लेखा परीक्षण

1.4.1 लिंग को मुख्यधारा में लाने का महत्व और लिंग अनुकूलन बजट

बजट की परंपरागत अभिगम आर्थात सार्वजनिक व्यय को अलग रखना, महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बजट, व्यापक लिंग बजटिंग अभ्यास के तहत मुख्य गतिविधि के रूप में जारी रहेगा जिसके साथ सार्वजनिक व्यय के सभी स्तरों पर उचित विधि और उपयोगी उपकरणों वैश्वीकरण पर भविष्य की गतिविधियाँ केन्द्रित होगी।

तथापि, लिंग बजटिंग की अवधारणा के तहत एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। सार्वजनिक व्यय एवं नीति का लिंग दृष्टिकोण अब किसी सामाजिक क्षेत्र या विभाग जैसे

शिक्षा, ग्रामीण विकास इत्यादि तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यय, राजस्व और नीति के सभी क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के लिंग की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

यह पहचानने की आवश्यकता है कि महिलाएं आर्थिक व्यवस्था के मुख्य अंग है चाहे वे कार्यकारियों के रूप में सीधा प्रतिभागी रहे या मुख्य अर्थ व्यवस्था के रूप में अप्रत्यक्ष सदस्य रहे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आबंटन का सविवरण विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है, जो कि परंपरागत रूप से महिला संबंधी माना जाता है।

यह विश्लेषण सार्वजनिक व्यय के प्रत्येक रूपए का होना चाहिए। इसे योजनाओं की अवधारणा कैसे बनाई गई है और क्रियान्वयन और लाभ प्राप्त करने वालों के लक्ष्य से वे कहाँ तक महिला स्नेही है को भी कवर करना चाहिए। इसे वित्तीय नियमों का लिंग संवेदी जैसे मुद्रास्फीती, ब्याज के दर इत्यादि सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार लिंग बजेटिंग विश्लेषण को लिंग मेज़नस्ट्रीमिंग के साथ-साथ चलना होगा।

1.4.2 जेन्डर प्रतिक्रियात्मक बजट

सरकार को नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बजट आबंटन और नीति निर्माण करते समय लिंग और जाति संबंधी विषयों पर विचार करना होगा। लिंग के संबंध में सरकार को आश्वासन कर लेना चाहिए कि नीति और कार्यक्रम उपलब्ध है और बच्चों का पालन सहित महिलाओं व पुरूषों की अलग-अलग जैवी आवाश्यकताओं की पूर्ती करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण किया जाएगा। लिंग के संबंध में, सरकार को भूमिकाओं के प्रकार, उत्तरदायित्व और संबंध एक विजन होने की आवश्यकता है जो वे देश के महिला व पुरूष, लड़का व लड़की व डिजाईन, निधि और नीति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में देखना चाहते है।

लिंग प्रतिक्रियात्मक बजट वह बजट है जो समाम में लिंग स्वरूपों को पहचानता है और अधिक लिंग समानता प्राप्त करेन की ओर आगे बढ़ने के लिए इन स्वरूपों को बदलने

वाले नितियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्त आबंटन करता है। लिंग बजट के प्रारंभिक कार्य के अभ्यास है जो लिंग प्रतिक्रियात्मक बजट की दिशा में देश को अग्रसर करने के लक्ष्य से चलते है।

4.4.3 जेन्डर बजटिंग (जी बी)

लिंग बजटिंग लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए शक्तिशाली उपकरण है जिससे विकास के लाभ जितना पुरूषों को प्राप्त होता है उतना ही महिलाओं को प्राप्त होने का आश्वासन हो। यह कोई लेखांकन का अभ्यास नहीं है परंतु नीति/कार्यक्रम तैयारी, उसका कार्यान्वयन तथा समीक्षा में लिंग दृष्टिकोण रखने की चालू प्रक्रिया है। जी बी सरकारी बजट का विश्लेषण है जो लिंग भिन्नताओं के प्रभावों को स्थापित करता है और लिंग कर्त्तव्य निष्ठाओं को बजट निष्ठाओं के रूप में परिवर्तित करना है।

1.4.4 जेन्डर बजटिंग का उद्देश्य

- महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान करना और पुन: वरीयता देना और/या इन आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए व्यय में वृद्धि करना।
- समिष्ट अर्थव्यवस्था में जेन्डर मेइनस्ट्रीमिंग का समर्थन।
- आर्थिक नीति निर्माण में नागरिकों की प्रतिभागिता को दृढ़ बनाना।
- आर्थिक एवं सामाजिक निति परिणामों के बीच संबंधों को बढ़ाना।
- सार्वजनिक व्यय को लिंग एवं नीति कर्मठता के विकास की ओर मोड़ना: और
- सहस्राबिद विकास लक्ष्य (मिलीनियम डिवलपमेंट गोल्स एमडीजीएस) प्राप्ति के लिए योगदान करना।

जेन्डर बजटिंग द्वारा आर्थिक शासन और वित्तीय प्रबंधन के लिए सहायता प्राप्त होती है। यह सरकार की स्त्री या पुरूष, लड़के और लड़कियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है या नहीं पर फीडबैक प्रदान करता है।

1.4.5 जेन्डर बजटिाग महिलाओं पर ही क्यों केंद्रित है

विश्वभर में, जेन्डर बजटिंग महिलाओं पर केन्द्रित होती है क्योंकि -

- विश्व के अशिक्षित जनता में से लगभग दो तिहाई लोग महिलाएं ही है।
- विकासशील देशों में, प्रजनीय आयु की महिलाओं की मृत्यू का मुख्य कारण माता मर्त्यता ही है।
- सरकारी व व्यापार दोनों क्षेत्रों में मुख्त: वरिष्ठता के स्तर पर निर्णय लेते समय महिलाओं का प्रति निधत्व कम होती है।
- पुरूषों की तुलना में महिलाओं द्वारा अर्थ संबंधी योगदान बहुत अलग होता है। महिलाओं को बहुत कम औपचारिक, निम्न स्तर के कामों में लगाते है और एक ही प्रकार के काम के लिए भी महिलाओं को पुरूषों से कम वेतन दिए जाते है।
- महिलाएं भी वही अवैतनिक काम जैसे गर्भधारण, पालन-पोषण और देखभाल करने के काम ही करते आ रही है।

1.4.6 जेन्डर बजेटिंग के लिए आँकड़ों की आवश्यकता

जेन्डर की बजट अत्यधिक आँकड़ों पर निर्भर करता है, ताकि नीतियों, कार्यक्रमों और बजटों को साक्ष्य आधारित होना चाहिए न कि अन्य धारणाओं पर निर्भर हो।

बजटिंग प्रक्रिया की विभिन्न चरणों पर आावश्यकात होती है।

1. प्रारंभिक स्तर पर आँकड़ों महिला व पुरूषों, लड़कियाँ और लड़कों की परिस्थिति का विवरण देता है।

2. तदनुसार, ऐसे विवरणों की आवश्यकता है जो कार्यक्रमों व परियोजनाओं को प्रतिबिंत कर अर्थात कितने महिला और पुरूषों को प्राप्त हुआ।

3. नीति कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शन के लिए आँकड़ों का आवश्यकता होती है, अर्थात देश की जनता के वर्तमान परिस्थिति में कोई विवरण जेन्डर बजटिंग के लिए आधार है जिसे विभिन्न लिंग विश्लेषण उपकरणों को उपयोग कर संकलित किया जा सकता है।

4.4.7 जेन्डर बजटिंग के लिए प्रवेश बिन्दु

भारतीय संदर्भ में जेन्डर बजटिंग के लिए पाँच चरणों के प्रवेश बिन्दु और उससे जुड़े उपकरणों को अत्यंत उचित माना जाता है, जिस प्रकार महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेन्डर बजटिंग की यह प्रक्रिया, वास्तव में, किसी भी बजटिंग प्रक्रिया का अंतर्गत विषय है, क्योंकि वह बजट वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ती का आश्वासन देता है, और आंबंटित राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु किया जाएगा।

जेन्डर बजटिंग के पाँच चरणों का फ्रेमवर्क

चरण - 1: प्रत्येक क्षेत्र में महिला एवं पुरूष; लड़कियाँ और लड़कों (अन्य उप समूहों में) के लिए परिस्थिति का विश्लेषण

चरण - 2: निश्चित क्षेत्र की नीति प्रथम चरण में विश्लेषित लिंग संबंधी मदों और कमियों को कहाँ तक संबोधित करेगा, विश्लेषण करना। इस चरण में संबंधित कानून, नीति, कार्यक्रम और योजनाओं के आँकलन को समिमलित करना चाहिए। इसमें लिखित नीति के साथ-साथ सरकारी गतिविधियों प्रतिविंबित अंतनिहित नीति का भी विश्लेषण सम्मिलित है। अब इसे यह परीक्षण करना होगा कि यह किस सीमा तक सामाजिक - आर्थिक और अन्य महिला अधिकारों की पूर्ती करता है।

चरण - 3: उपर्यक्त चरण - 2 में पहचाने गए लिंग संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों में पर्याप्त बजट आबंटन हुआ या नहीं का आकलन करना है।

चरण - 4: क्या योजना के अनुसार राशि का उपयोग हुआ या नहीं। क्या डेलीवरी किया गया और किसे हुआ के आश्वासन हेतु परिवीक्षण करना। इसमें वित्तीय निष्पादन और भौतिक रूप से प्रदेय वस्तु दोनों का परीक्षण सम्मिलित है।

चरण - 5: नीति कार्यक्रम/ योजना के प्रभाव का आकलन और चरण - 1 में वर्णित परिस्थिति में कहाँ तक परिवर्तन हुआ जो अधिक लिंग समानता की दिशा में हुआ है।

भारत सरकार को केन्द्र बजट में जेन्डर बजट स्टेटमेंट में प्रस्तुतीकरण के आधार पर दो-वर्गों के फार्मोट का उपयोग करने के लिए सरकारी अधिकारियों की आवाश्यकता है। दो वर्ग निम्न रूप से है: -

- महिला-अनुकूल आबंटन, जहाँ 100 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लिए किया जाता है।
- महिला-अनुकूलन आबंटन, जाहाँ महिलाओं के लिए आबंटन 30 से 99 प्रतिशत है।

विश्वभर में कुछ जेन्डर बजटिंग नवीन कार्य जो पहले वर्ग पर केन्द्रित है, क्योंकि उन्हें पहचानना और अलक्ष्यगत आबंटनों के लिंग प्रतिक्रियात्मक को माना आसान है। यह लक्ष्यगत आबंटन विश्वसनीय कार्यों य सकारात्मक भिन्नता के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, केवल प्रथम बिन्दु पर केन्द्रित करने का अर्थ बजट हिस्सा केवल महिलाओं के लिए विशेष है पर ध्यान केन्द्रित कर बजेट के मुख्य भाग को अनदेखा करना है। दूसरे वर्ग में, यह मानना कि 30 प्रतिशत महिलाओं के अनुकूल है तो यह समस्यात्मक है क्योंकि भारत की जनसंख्या में आधा महिलाएं ही है।

बजट का वासतविक परिणाम माप योग्य निष्पादन के आधार पर सार्वजनिक निधि का आबंटन और संविवरण के साथ प्रभावी लिंकेज स्थापित करने के लिए नीति उपकरण रूप में उसका उपयोग करने पर निर्भर करता है। जेन्डर बजटिंग परिदृश्य से, परिणाम बजट आबंटन और सविवरण के बीच लिंकेज का परीक्षण करने का सुवर्ण अवसर प्रदान करता है जिससे

तुरन्त लाभों और लिंग समान परिणाम व महिलाओं और लड़कियों को सेवाएं प्रदान कर सकते है।

1.4.8 जेन्डर बजटिंग एककों की भूमिका

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च, 2007 को जेन्डर बजट सेल को एक घोषणा पत्र प्रदान किया है, जिसमें जेन्डर बजटिंग एककों को गठन और कतर्तव्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। ये जेन्डर बजट एकक अंतर और अंतर मंत्रालयीन जेन्डर बजटिंग प्रारंभिक कर्यों के संयोजन के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इन एकककों के लिए उल्लिखित भूमिकाएं है -

- सभी जेन्डर बजटिंग नवीन कार्यों के लिए नोडल एजेन्सी के रूप कार्य करना।
- सार्वजनिक व्यय और नीतियों का लिंग संवेदी समीक्षा करने के लिए पाईलट कार्रवाई (व्यय/राजस्व/नीतियों/विधि विधान इत्यादि)
- व्यय, राजस्व बढ़ाने/नीति/कानून के अधीन कवर किए गए लाभार्थियों का लक्ष्यगत समूह के लिए लिंग संबंधी विभिन्न आँकड़ों का संकलन करने के लिए दिशा निर्देश देना।
- विभागों के भीतर और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी फीड्स यूनिटों में लिंग बजेटिंग के प्रारंभिक कार्यों का दिशा निर्देश करना।
- लिंग आधारित प्रभाव विश्लेषण, लाभार्थी आवश्यकता का आकलन और लाभार्थी गिराव का विश्लेषण करना।
- सार्वजनिक व्यय को पुन: वरीयता प्रदान करने के लिए पैमाने को पहचानना।
- कार्यान्वयन में सुधार लाना।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भागीदारी बजटिंग पर उत्तम अभ्यासों को क्रमवार लगाना और प्रोत्साहित करना।

1.5 केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से इसके कार्यान्वयन के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में जेन्डर बजटिंग संबंधी प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुके हैं।

1.5.1 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य ने महिला और शिशु विकास विभाग को नोडल विभाग के साथ वर्ष 2007-08 में जेन्डर बजेटिंग को अपनाया है। वर्ष 2007-08 में जेन्डर बजट स्टेटमेंट को राज्य बजट के भाग के रूप में परिचित करवाया है। वित्त विभाग जेन्डर बजट स्टेटमेंट का परिवीक्षण करता है। राज्य योजना बोर्ड और महिला और शिशु विकास विभाग जेन्डर बजटिंग पर दक्षता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

1.5.2 कर्नाटक

कर्नाटक ने वर्ष 2006-07 से जेन्डर बजटिंग को औपचारिक रूप से अपनाया है। उसने वर्ष 2007 में फिसिकल पॉलसी और एनालिसिस सेल, वित्त विभाग में जेन्डर बजेट सेल को गठित किया है, और वर्ष 2007-08 से राज्य बजेट के भाग के रूप में जेन्डर स्टेटमेंट को प्रारंभ किया है। जेन्डर बजेटिंग के पहले कदम के रूप में, राज्य सरकार में कार्यरत पुरूष एवं महिलाओं की शक्ति को पहचाना गया है। हर वर्ष जेन्डर बजेटिंग पर सूचना प्राप्त करने एक सविवरण परिपत्र जारी किया जाता है। योजना विभाग मासिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कैलेंडर के उपयोग से प्रगति का निरीक्षण करता है। वित्त विभाग, जेन्डर बजेटिंग सेल, महिला एवं शिशु विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, ए आई और एस आई आर डी माइसूर जेन्डर बजटिंग पर दक्षता निर्माण को प्रोत्साहित कर रहे है।

1.5.3 केरल

केरल राज्य ने औपचारिक रूप से जेन्डर बजेटिंग को वर्ष 2008 से जेन्डर बजेटिंग को अपनाया है। राज्य बजट का जेन्डर बजेटिंग अभ्यास भी वर्ष 2008-09 में कराया गया। उसने 2008 में जेन्डर सलाहकारी समिति की स्थापना की। इस पुर्निर्मित समिति को अध्यक्षता सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 2008 में इसने विभिन्न विभागों के साथ

जेन्डर पर दो फ्लैगशिप कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है, दो योजनाओं का जेन्डर लेखापरीक्षण भी करवाया और तदनुसार निधि के आबंटन को भी बढ़ाया है। इस प्रकार महिलाओं के लिए प्रदत्त कुल बजट वर्ष 2008-09 से राज्य बजट में 5.59 से वर्ष 2010-11 में 8.5 प्रतिशत तक बढा।

1.5.4 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने वर्ष 2011-12 से औपचारिक रूप से जेन्डर बजट को अपनाया है। योजना विभाग के तहत एक जेन्डर बजेटिंग सेल भी गठित किया गया है।

1.5.5 नागालैंड

नागालैंड ने औपचारिक रूप से जेन्डर बजेटिंग को वर्ष 2009 में अपनाया है। इसने वर्ष 2009 में एनजेन्डरिंग स्टेट अण्ड डिस्ट्रिक्ट प्लैन के लिए टास्क फोर्स को गठित किया जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव करते है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभग, वित्त, ग्रामीण विश्वविद्यालय के सदस्या और अतिरिक्त निदेशक, महिला विकास सदस्य सचिव होगें। इसने जेन्डर बजेटिंग सेल जेन्डर बजेटिंग टी आई (एडमिनिर्स्टेटिव ट्रेनिंग इन्सिटट्यूट) और एस आई आई के प्रशिक्षण कैलेंडर का विषय है। टास्क फोर्स ने यू एन डी के सहयोग स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जेन्डर बजेटिंग मैन्यूअल का विकास किया है।

1.5.6 राजस्थान

इस राज्य ने वर्ष 2005-06 ये याकसार तौर पर जेन्डर बजेटिंग को अपनाया है। इसने वर्ष 2009-10 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्रधान सचिव, वित्त, योजना एवं महिला व शिशु विकास विभाग इसके सदस्य है; और सचिव, महिला सशक्तीकरण इसके सचिव है। इन्होंने महिला सशक्तीकरण निदेशालय के तहत जेन्डर सेल को भी गठित किया ताकि वह उच्चस्तरीय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर सके और

दक्षता निर्माण के अभ्यास चला सके। जेन्डर मुद्दों पर केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए 42 विभागों में जेन्डर डेस्कों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2012-13 में इस राज्य ने राज्य बजेट के भाग के रूप में जेन्डर बजेट स्टेटमेंट को प्रारंभ किया है। इसने 12 विभागों के बजेटों का लिंग विश्लेषण किया है।

1.5.7 त्रिपुरा

त्रिपुरा ने वर्ष 2005-06 को शासकीय रूप से जेन्उर बजेटिंग को अपनाया है। समाज कल्याण और समाज शिक्षा विभाग नोडल विभाग है। जेन्डर बजेट सेल राज्य के सत्रह विभागों में तैयार किया गया है। इसने वर्ष 2005-06 में राज्य बजट के भाग के रूप में जेन्डर बजट स्टेटमेंट को प्रारंभ किया है।

1.5.8 उत्तराखण्ड

इस राज्य ने वर्ष 2007-08 में जेन्डर बजटिंग को सरकारी तौर पर अपनाया है। इसने वर्ष 2007-08 में रज्य बजट के भाग के रूप में जेन्डर बजट स्टेटमेंट को प्रारंभ किया है। वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान स्टेटमेंट प्रस्तुत करने वाले विभाग 18 से 29 हुए है। निधीयन में भी क्रमश: क.330 करोड़ से रू. 2228 करोड़ बढ़ोत्तरी हुई है। जेन्डर बजटिंग पर दक्षता निर्माण के लिए महिला एवं शिशु विकास विभाग नोडल एजेन्सी है।

1.5.9 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकारी तौर पर जेन्डर बजटिंग को वर्ष 2005-06 में अपनाया है। सचिव वित्त, योज्ना और महिला एवं शिशु विकास के निदेशों के अधीन एक वर्किंग ग्रूप को जेन्डर बजटिंग को बढ़ावा दिया है। प्रारंभ में 24 विभागों को जेन्डर बजिटिग के लिए पहचाना गया है। महिला एवं शिशु विकास विभाग नोडल एजन्सी है।

1.6 योजना के प्रारंभिक कार्य

1.6.1 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

संसाधनों के आबंटन में लिंग अंतर के प्रभाव को स्थापित करने और लिंग संबंधी प्रतिबद्धता को बजट प्रतिबद्धता में बदलने के लिए दसवीं योजना ने जेन्डर बजटिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

1.6.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2012)

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने जेन्डर बजटिंग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि, सभी मंत्रालयों एवं विभागों में नीतियों और योजनाओं में लिंग समानता के पर्याप्त प्रावधान बनाने की आवाश्यकता है। इसने बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए जेन्डर बजटिंग के अनुपालन को अपरिहार्य बनाया है।
- ग्यारहवीं योजना ने पारंपरिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के अलावा "जेन्डर न्यूट्रल" क्षेत्र जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा इत्यादि क्षेत्रों में भी जेन्डर बजटिंग को शामिल करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, योजना अभिलेख राष्ट्रीय स्कूल आर्थिक नीति के महत्व को उजागर करने और अंतर क्षेत्रीय अभिसरण के लिए प्रयास करने पर जोर दिया है।
- विशेष उद्देश्य के लिए संसाधनों के उपयोग के लिए लेखांकन।
- प्रत्याशित परिणामों की सुपुर्दगी में उपयोग किए गए संसाधनों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करना।

1.6.3 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का विजन ढ़ांचेगत और संस्थागत सुधार लाने का आश्वासन दिलाने के साथ-साथ जेन्डर मेड्इनस्ट्रीमिंग को दृढ़ बनाना है।

बारहवीं योजना को "जेन्डर बजटिंग के माध्यम से लिंग को मुख्यधारा में लाना" लिंग समानता को संबोधित करने के लिए मुख्य तत्व का ख्याल रखना है। बारहवीं योजना में जेन्डर बजटिंग

की प्रक्रिया को और दृढ़ बनाना है ताकि यह सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तक पहुँचे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

- जागरूकता उत्पन्न करने के द्वारा महिलाओं के लिए अधिक 'स्वतंत्रता और विकल्प' का सृजन करना और महिलाओं को उनके सशक्तीकरण के लिए हानिकारक प्रचलित "मातृसत्तात्मक" विश्वासों को प्रश्न करने के लिए सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत तंत्र का सृजन करना है।
- मातृ मर्त्यता, शिशु मरण, पौष्ठिकता स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्रवेश और धारण जैसे महिलाओं के शिक्षा सूचकांकों और स्वास्थ्य में सुधार लाना।
- महिलाओं के विरोध में अत्याचारी घटनाओं को कम करना और पीड़ितों को गुणात्मक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।
- महिलाओं को रोजगार, कार्यों में भागीदारिता के दर विशेष रूप से आयोजित क्षेत्रों में सुधार और संपत्तियों पर संसाधनों पर नियंत्रण और संपत्तियों पर स्वामित्व को बढ़ाना है।
- बहु स्तरों पर अभिसरण के तंत्र को सृजित कर दृढ़ बनाना, महिलाओं के लिए भौतिक सुविधाओं का सृजन और महिला संगठनों और समूहों की दक्षता को बढ़ाने के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं और कार्यक्रमों के लिए महिलाओं की पहुँच को बढ़ाना है।
- एकल महिलाओं की विशेष चिन्ताओं और सुविधाहीन महिलाओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन करना

वर्षों से जेन्डर बजटिंग की प्रवृत्ति

क्र.सं.	वर्ष	कुल जेन्डर बजट (प्रतिशत)
1	2007-08	3.3

2	2008-09	5.5
3	2009-10	5.5
4	2010-11	5.5
5	2011-12	5.8
6	2012-13	5.5
7	2013-14	5.4
8	2014-15	4.9
9	2015-16	4.5

स्रोत: वित्त मंत्रालय (20015a) EPW*2

निष्कर्ष

जेन्डर विश्लेषण रूपरेखाएं वे कार्य उपकरण है जो अनुसंधान कर्त्ताओं, शोधकर्त्ताओं और विस्तार कर्मियों को देश के समग्र विकास के लिए लिंग संबंधी समस्याओं और लिंग समानता लाने में सहायक होता है। कोई भी एक उपकरण लिंग परिदृश्य को प्रकाश में नहीं ला सकता। अत: इन उपकरणों का मिश्रित रूप ही यर्थार्थ तथ्यों और आँकड़ों के सृजन के लिए उपयोग किए जाते है। इस प्रकार के उपकरणों से सृजित आँकड़ें बेन्यमार्क के रूप मं नीति निर्धारकों के लिए विभिन्न लिंग संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावशालिता का मूल्यांकन करने में उपयोग किए जाते है।

1.7 सारांश:

- लिंग विश्लेषण महिला एवं पुरूषों की विशेष गतिविधियों, स्थितियों आवश्यकताओं, संसाधनों की पहुँच एवं उनपर नियंत्रण विकास लाभ और निर्णायन को प्राप्त करने का परीक्षण करता है।

- लिंग विश्लेषण में विचार करने योग्य तत्व को प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक सुविधाएं, राजनैतिक, समय और व्यक्तिगत के रूप में विभाजित किए गए है।
- लिंग मदों के संबंध में विचार करना और परियोजनाओं और कर्यक्रमों की सफलता और सततता पर महिलाओं की भागीदारिता का प्रभाव रहता है। विचार योग्य बातों में कृषि में महिला और पुरूषों की विभिनन भूमिकाओं, आवश्यकताओं और विभिन्न भूमिकाएं समाहित है जिसमें महिलाओं द्वारा सामान किए जाने वाले लिंग आधारित कठिनाइयाँ भी सम्मिलित है।
- सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले लिंग विश्लेषण फ्रेमवर्क हैं --------- हारवर्ड का विश्लेषणात्मक फ्रेमर्क, मोजर (तीन भूमिकाएं) फ्रेमवर्क, लेवी (संस्थानीकरण का तंत्र) फ्रेमर्क, लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स (जेन्डर एनालिसिस फ्रेमवर्क), समानता एवं सशक्तीकरण फ्रेमवर्क (लॉंग्वे), दक्षताएं और अतिसंवेदनशाीलताओं को फ्रेमवर्क, समाजिक संबंधों का फ्रेमवर्क, एफ ए ओ का एस ई ए जी ए अभिगम।
- एक लिंग प्रतिक्रियात्मक बजट वह बजट है जो समाज के लिंग प्रतिमानों का स्वीकारता है और अधिक लिंग समान समाज की ओर आगे बढ़ने की दिशा में इन प्रतिमानों से परिवर्तन लाने वाले नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधि का आबंटन करता है।
- लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए जेन्डर बजटिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कि पुरूषों के समान महिलाओं तक विकास के लाभ पहुँचने का आश्वासन हो सके। जेन्डर बजटिग सरकार के बज्ट को विश्लेषण को अपरिहार्य बनाता है ताकि लिंग भिन्नता के प्रभाव को स्थापित करें और लिंग प्रतिबद्धताओं को बजट प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित कर सकें।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) "मेनस्ट्रीमिंग जेन्डर थ्रू जेन्डर बजटिंग" को लिंग समानता लाने के लिए एक मुख्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। जेन्डर बज्टिाग की प्रक्रिया को बारहवीं योजना में और दृढ़ बनाया गया है ताकि उसकी पहुँच सभी मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों तक हो सके।

1.8 अपनी प्रगति जाँचे:

1. 'जेन्डर विश्लेषण' क्या है? उसके आशय को समझाइए?
2. उचित बजटिंग ओर जेन्डर ऑडिटिंग के बीच अंतर ।

सही विकल्प का चयन करें:

1. .... विश्लेषण महिला एवं पुरूषों के विभिन्न गतिविधियों और उत्तरदायित्वों, संसाधनों तक उनकी पहुँच और निर्णय लेने को समझने की प्रक्रिया है।

(a) भूमिका (b) यौन (c) निर्णय (d) लिंग

2. उत्पादकता संसाधनों, सेवाओं, बाजारों और बाजार सुविधाओं तथा व्यापार विकास सेवाओं की .... पहुँच पर महिलाएं कायम है।

(a) उच्च (b) सीमित (c) निम्न (d) इनमें से कोई नहीं

3. ....योजना 'मेनस्ट्रीमिंग जेन्डर थ्रू जेन्डर बजटिंग को लिंग समानता को प्राप्त करने का मुख्य कारक के रूप में माना जाता है।

(a) बारहवीं (b) दसवीं (c) पाँचवीं (d) प्रथम

4. लेवी फ्रेमवर्क में, समूह .... रंग का उपयोग दृढ़ लिंग आयामों को सूचित करते है, हरा रंग मध्यवर्ती और लाल कमजोर के लिए उपयोग किया जाता है।

(a) लाल (b) नीला (c) सफेद (d) इनमें से कोई नहीं

5. .... मुख्य कारकों को पहचानता है और गाँव व स्थानीय लोगों के बीच संबंध को स्थापित करता है।

(a) जोड़ी अनुसार श्रेणीकरण (b) लाभ विश्लेषण (c) वेन्न चित्र (d) सामुदायिक कार्य योजना

1.9 अन्य अध्ययन

1. Hilary Sims Feldstein and Janice Jiggins (1994). Tools for the Field: Methodologies Handbook for Gender Analysis in Agriculture; Kumarian Press.
2. Hans. A, Patel. A.M and Agnihotri, S.B (2008). The Need of a Framework for Combined Disability and Gender Budgeting. Indian Journal of Gender Studies, 15(2), 233-260.
3. Geethakutty. P.S, D.Alexander, Prasad, R.M and Radha.T (2007).Women in Agriculture Program Implemented by the State Dept of Agriculture, Kerala.Evaluation Report CGSAFED, Kerala Agricultural University Pp125.
4. Annu (2014). An Analysis Gender Budgeting in Haryana; Scholars World.

यूनिट 2: व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के खतरे और कठिन परिश्रम

मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य

- व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के खतरे का अर्थ
- कृषि क्षेत्र में व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के खतरों के प्रकार
- कृषि दुर्घटनाओं के स्रोत
- कृषि खतरों का कारण
- व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने की विधियाँ
- कठिन परिश्रम का अर्थ
- कठिन परिश्रम का कारण
- कृषि में कठिन परिश्रम
- लिग स्नेही कठिन परिश्रम को कम करने वाले उपकरण
- निष्कर्ष
- सारांश
- अन्य अध्ययन

2.0 उद्देश्य

- कृषि में स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रकार, स्रोत, कारण और तीव्रता और
- इन्हें कम करने की रणनीतियों पर जागरूकता उत्पन्न करना।

2.1 परिचय

स्वास्थ्य ही संपत्ति है एक समान्य कथन है। हर व्यक्ति को स्वयं के भौतिक व मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए। कार्यनिष्पादन के समय जो गतिविधि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण बनती है उसे व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा कहा जाता है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि में, कभी कभी व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचिकित्सीय रोग का कारण बनता है।

2.1.1 व्यावसायिक स्वस्थ्य खतरों का अर्थ:

व्यवसायिक खतरे वें है जो कार्यरत व्यक्ति को हानि पहुँचाता है, जो चोट या अस्वस्यता, परिसंपत्ति की हानि, कार्य स्थल का माहौल या दोनों का संयोग होता है। भारत में कृषि में महिलाएं किसानों, कृषि श्रमिकों और उद्यमियों के रूप में अपना योगदान देती है। 2012 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं का भाग 55 प्रतिशत सा जो कि वर्ष 2025 तक 65 प्रतिशत प्रस्तावित है। वे कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है फिर भी वे अत्यंत अरक्षित समूहों में से एक समूह हे। हालाँकी आज-कल कई कारणों से यात्रिकीकरण को अधिक महत्व मिल रहा है, परंतु यह अभी तक यह महिलाओं तक नहीं पहुँचा जिन्हें अभी तक किसानों के रूप में पहचान नहीं मिला और यंत्रों की रूपरेखा पुरूषों के अनुकूल ही बनायी जा रही है। रोपण, कटाई, फसलोपरान्त प्रबंधन और पैकेजिंग जैसे कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका जो श्रमसाध्य है, बढ़ती जा रही है। इन तथ्यों को ध्यान रखते हुए, उपकरण की रूपरेखा तैयार करने वालों को कृषि उपकरण एवं साधन तैयार करते समय महिलाओं की कठन परिश्रम पर विचार करना होगा।

2.2 कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक स्वस्थ्य खतरों के प्रकार :

2.2.1 यंत्र संबंधी खतरे: कृषि मशीनरी की रूपरेखा ठीक तरह से तैयार नहीं करना दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। उपकरणों द्वारा कटाई करना चोट होने का एक और मुख्य खतरा है।

2.2.2 मानसिक-सामाजिक खतरे: कम मजदूरी, लैंगिक और अन्य उत्पीड़न, नौकरी की असुरक्षा, निम्न पदोन्नति तंत्र वेतन भुगतान में विलंब।

2.2.3 कार्य संगठन के खतरे: खराब कार्य घंटे एवं शिफ्ट, अतिरिक्त समय, अकेले कार्य करना, कार्य पर नियंत्रण नहीं रहना।

2.2.4 आर्थिक खतरे: यह खतरे मशीनों की बुरी रूपरेखा, अधिक समय तक एक ही कार्य स्थिति में रहने, कार्य की बारंबारता, श्रमिकों द्वारा अनुपयुक्त उपकरणों का उपयोग, खराब सीटिंग की वजह से स्थाई रूप से होते है।

2.2.5 जैवी: पशु उतपादों के साथ कार्य कर रहे श्रमिकों को जैवी खतरों एवं संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है।

2.2.6 रसायनिक: विषैले पदार्थ का श्वासन और अंतरग्रहण के कारण मानव शरीर को खतरा हो सकता है।

2.3 कृषि दुर्घटनाओं के श्रोत

2.3.1 ट्रेक्टर: बिना उपयुक्त तकनीकी कौशल के जब इनका उपयोग किया जाता है तब किसानों को दुर्घटनाओं जैसे उलटने और लुढ़क जाने का सामना करना पड़ता करना पड़ता है।

2.3.2 कृषि ढ़ाचे से गिरजाना: कृषि उपकरणों, अनाज के डिब्बों, निसेनी, कृषि मिर्माण और कोई वस्तु के गिरने से कई किसानों को गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

2.3.3 घुटन: कभी-कभी किसान गोदामों में फंस जाते है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या खाद के गैसों से भरा रहता है जिसकी वजह से उन्हें घुटन होता है।

2.3.4 मशीनरी: मशीनों में खराबी के कारण, सुरक्षा मशीनों की कमी, उपयुक्त कौशलों की कमी और टूटे या खराब उपकरण है।

2.3.5 अन्य: मशीन चलाते समय नियंत्रण खो जाना, हाथों से चलाने वाले उपकरण, वस्तुओं का हाथ फिसलन, लुढ़कना और गिरना, टूटना, रासायनिक तत्व का गिर जाना, बिजली की कमी, पुशुओं से निपटना और मोसम की स्थिति।

2.4 कृषि खतरों के कारण

- अकुशल चालक

- तकनीकी ज्ञान की कमी
- तेज रफ्तार के कारण अस्थिरता
- अनुचित ढ़ंग से टैलर कृषि उपकरण को झटकाना
- सामानों के परिवहन के समय अधिक लदान
- ट्रैक्टर के द्वारा व्यक्तियों का परिवहन
- ढ़लानों पर इंजिन बंद करना
- बिना सुरक्षा आवरण के पूर्जों का अवर्तन
- उचित प्रशिक्षण/ पूर्वज्ञान की कमी
- श्रमिकों का अनुचित पहनावा
- सुरक्षा पहनावे को नहीं पहनना
- धूलि घूसरित परिसर

2.5 व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने की रणनीतियाँ

2.5.1 खतरनाक सामग्री को निकाल देना : व्यावसायिक खतरों को नियंत्रित करने के लिए कृषि कर्मों के समय श्रमिकों को संकटजनक सामग्री से बचना चाहिए।

2.5.2 खतरनाक सामग्री का प्रतिस्थापना : रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक/जैवी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जो रसायनों द्वारा होने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करते है और पर्यावरण प्रदूषण को भी वाले रोकते है।

2.5.3 खतरों का इंजिनीयरिंग नियंत्रण: श्रमिक अपने भौतिक कार्य क्षेत्र को खतरों से बचने के लिए बदल सकते है। उदाहरण स्वरूप: आवर्तित पूर्जों को सुरक्षा गारद के साथ ढकना, इन्टरलॉकिंश के साथ खतरे से दूर/रहना मशीन गारद, वेल्डिंग कर्टेन और अन्य आय, एक्जॉस्ट वेन्टिलेशन के साथ खतरे को दूर करना और कार्य स्थल को कार्य दक्षता संबंधी चोट से बचने

के लिए रिडिजाईन करना। कृषक महिलाओं के लिए विभिन्न कृषि परिचालनों के लिए विकसित साधनों की उपयुक्ता के संबंध में ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

2.5.4 खतरों का प्रशासनिक नियंत्रण : स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में प्रशासनिक नियंत्रण भी मुख्य भूमिका निभा सकती है। उदाहरणार्थ: उच्च वाइब्रेशन शोर या धूलि साथ सीमित समय के लिए एक्सपोजर, लिखित परिचालक प्रक्रियाएं; कर्मचारियों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नियम, अलार्म साईन चेतावनी; प्रतिभागी व्यवस्था और ऑपरेटरों के लिए चेतावनी की घंटियाँ।

2.5.5 खतरों से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा साधन : कर्मिक एफ्रॉन, गॉग्गुल्स, मास्क, जूते, हेलमेट/टोपी इत्यादि का उपयोग कर सकते है जो खतरों से बचने के व्यकित्गत सुरक्षा साधनों के रूप में जाने जाते है।

सुझाव: कृषक महिलाओं के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

- कृषि उपकरणों को सुधारने/बदलने/विकसित करने के लिए मानवमितीय आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है।
- महिलाओं के लिए उपयुक्त हाथ से चलाए जाने वाले कृषि उपकरणों एवं साधनों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
- कृषक महिलाओं द्वारा बिजीली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग के लि दक्षता संबंधी कारकों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

2.6 कठिन परिश्रम का अर्थ

कठिन परिश्रम का संबंध कठिन, बुद्धि से परे।

2.6.1 परिश्रम के कारण

कठिन परिश्रम के कारण है:

- अपर्याप्त एक्सपोजरी, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और गरीबी
- जानकारी की कमी
- समाजिक-सांस्कृतिक अड़चनें
- अस्वस्थता
- बेरोजगारी
- तकनीकी ज्ञान और कौशलों की कमी
- अधिक घंटों के लिए कार्य की मांग
- कार्य के समय शारीरिक मुद्रा
- कार्मिकों को उनकी दक्षता के ऊपर शारीरिक परिश्रम में लगाना
- मांसपेशियों कंकाल संबंधी गड़बड़ी
- आवर्तित परिचालन

2.6.2 कृषि में कठिन परिश्रम:

कृषि के क्षेत्र में अधिकांश दुर्घटनाएं फार्म मशीनरी और उपकरणों की उपयोगिता के कारण होत हैं। कुछ अन्य वजह भी है जिसके कारण कृषि परिचालन को अब भी समाज में अत्यंत जोखिम भरा उद्योग माना जा रहा है वे है:

- कठिन परिश्रम को कम करने के उपकरण एवं साधन
- कृषि श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जानकारी न होना
- तकनीकी ज्ञान के बिना यांत्रिकीकरण में बढ़ोत्तरी
- समय लेने वाला और परिश्रम युक्त पारंपरिक कार्य विधियाँ
- सीजन के अनुसार कृषि गतिविधियाँ

- कीटनाशक व कृषि रासायनों का उपयोग

2.6.3 कठिन परिश्रम को हटाने के सुझाव:

- साधनों का अच्छा रख-रखाव किया जाना चाहिए।
- साधनों या प्रक्रियाओं में परिवर्तन के सयम कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल का अद्यतन करना चाहिए।
- गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के परिवीक्षण के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलान चाहिए।
- आपातकालीन उपयोग हेतु कार्य स्थल पर चिकित्सा सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए।

2.7 लिंग स्नेही कठिन परिश्रम को कम करने वाले फार्म उपकरण

क्र.सं.	तकनीक का नाम	तकनी का विवरण
1.	सरल कुर्पी	कृषक महिलाओं की परिश्रम को कम करने तथा कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरल कुर्पी का विकास किय गया। कुर्पी का वजन बहुत कम होने के कारण हथेलियों के तनाव को कम करती है। हृदय की गति को, शक्ति के घटाव और कृषक महिलाओं की परिश्रम को 5-10 प्रतिशत तक कम करती है।
2.	दांतेदार दरांती	परंपरागत दरांती भारी और कटाई के समय पकड़ने परिश्रम को कम करने और कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, कटाई के समय सुविधा को

		बढ़ाने के लिए दांतेदार दरांती का विकास महिला स्तेही तकनीकियों में से एक के रूप में विकसित किया गया है। इसे परीक्षण किया गया और पाया गया है कि सुधारे गए दुरांती का वजन बहुत कम और परिचालन के लिए सुविधायुक्त है। लंबी दांतेदार बोड तुरंत कटाई के लिए सुविधायुक्त है। सुधारी गई दुरांती का हैंडलि पकड़ने के लिए सुविधायुक्त है और हथेली पर तनाव को कम करता है और भुजाओं और हाथों की सुरक्षा का आश्वास देता है।
3.	खाद ट्रॉली 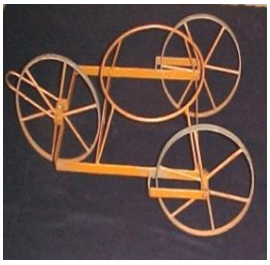	खाद का छिड़काव परंपरागत तरीके में खाद को कपड़े में बांधकर और हाथों से छिड़काव करते हुए किय जाता है। इस विधि के द्वारा महिलाओं को मांसपेशियों कंकालीय समस्याओं और त्वचा में जलन हो सकते है। ऊपर की ओर एक गोलाकार सैंड है जो खाद की बुट्टी को पकड़ता है। इस आसानी से चैन/रस्सी के द्वारा खींचकर फील्ड में उपयोग किया जा सकता है। यह महिलाओं के रीढ़ की हड्डी पर सर्वैइकल क्षेत्र पर और पीठ के निचे के हिस्से में तनाव को कम करता है।

4.	मूँगफल्ली का छिलका निकालने वाला मशीन (डेकॉटिकेटर) 	हाथों से मूँगफल्ली का छिलका निकालने में बहुत समय शक्ति और श्रम लगता है। इस विधि से महिलाओं को पांसपेशियों कंकालीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शारीरिक स्वास्थ्य खतरों का भी सामना करना पड़ता है। अत: महिलाओं के श्रम को कम करने के लिए और उनके कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए ग्राउंनट डेकार्टिकेटर का विकास कर परीक्षण किय गया। इसमें फ्रेम, हैंडिल और डोलायमान पिंड और कास्ट आइरन/नाइलॉन शूस भी होते है जो शारिरिक एवं मांसपेशियों के प्रयासों को और कम समय में अधिक आऊटपुट के साथ करने में सहायता करते है।
5.	खड़े होकर मूँगफल्ली का छिलका निकालने वाला मशीन (डेकॉर्टिकेटर) 	हाथों से छिलका निकालने से मस्क्युलो-स्केलिटेल समस्याएं और शारिरिक स्वास्थ्य खतरे,र मूंगफली का डेकार्टिकेटर को खेड़े होकर भी चला सकते है। यह कृषक महिलाओं की शारिरिक एवं मांसपेशियों के प्रयास को कम करता है और कम समय में अधिक काम कर सकती है।

6.	ग्राउन्डनट स्ट्रिप्पर्स 	हाथों से मूँगफल्ली का छिलका निकालने से कृषक महिलाओं में मांसपेशियों - कंकालीय और शारिरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और उनकी कार्य दक्षता कम हो जाएगी। परंतु सुधारी गयी ग्राउन्डनट स्ट्रिप्पर के उपयोग से, महिलाएं एक दिन में लगभग 100-120 किलो ग्राम मूँगफल्ली का छिलका निकाल सकती है। इस उपकरण का उपयोग एक ही समय में चार लोगों के द्वारा किय जा सकता है।
7.	दो पहियों वाला हो वीडर 	काली मिट्टी के क्षेत्रों में ऊँची पंक्ति फसलों में निराई और अंतर फसल के लिए यह हाथ से चलाने वाला मशीन है। इसमें द्विपहियां, फ्रेम और - बलेड होता है। खरपतवार की कटाई और निराई को धकेलने और खीचने के द्वारा किया जाता है। यह हलका, चलाने में आसान होता है और काम करने की मुद्रा में सुधार लाता है और महिला कार्मिकों के परिश्रम को घटाता है।

8.	ज्वार की कटाई के लिए टूयर्ड कटर	ज्वार और बाजरे की कटाई महिलाओं द्वारा हाथों से की जाती है। उन्हें फसल के एक गड्डे से दूसरे गड्डे की ओर जाना पड़ता है जो सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए फील्ड में रखा जाता है। पर जब इयर्ड कटर का उपयोग किय गया तब परिणाम परंपरागत अभ्यासों से चार गुना अधिक पाया (प्रत्येक श्रमिक को) गया। मुद्रा संबंधी परिवर्तन और सर्वाइकल स्थान का झुकाव कोण भी कम होगा।
9.	गोपाल खौर	गोबर को महिलाएं ही झुकर या बैठकर ही एकत्रित करती हे जो कि शरीर की अप्राकृतिक और असंतुलित मुद्रा हे। अत: इस मुद्रा में सुधार और इस काम में परिश्रम को कम करने के लिए गोपाल खैरे को लंबे हैंडिल के साथ तैयार किया गया है।
10.	खाद कैरियर (सुलभ बैग)	खाद डालना कृषि कर्मों में एक और श्रम पूर्ण काम है जो हाथ से किया जाता है। खाद छिड़काव को समय कृषि श्रमिक शरिरिक और रासायनिक खतरों को सामना करते है। अत: विशेष समस्याओं पर विचार करते हुए, एक बैग की रूपरेरखा बनायी गयी, विकसित किया गया और

		एर्गोनॉमिकल्ली बीज ड्रिल का परीक्षण किया गया और रिंग विधि के लिए व्यापक बनाया गया। यह बैग हाथों से खाद डालने में एर्गोनॉमिकल्ली और इकोनॉमिकल्ली उपयोगी उपकरण है।
11.	त्रिशूल वीडर	त्रिशुल वीडर का लॉग हैंडल दोनों हाथों के बीच दबाव को बांटते हुए निराई को सरल बनाता है और यह मुद्रा संबंधी एन्गिल डीवियेशन के तनाव को निकालती है। त्रिशुल वीडर आम क्षेत्र से दुगना क्षेत्र कवर करता है। क्योंकि उसके बलेड्स दोनों तरफ एि गए है। इसे हाथों से निराई एवं फल तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता हे। यह श्रमिकें के कार्य करने की मुद्रा को सुधारता है चाहे बैठने या खड़े होने की हो और साँप और बिच्छू के काटने से भी सुरक्षा देता है।
12.	क्लॉड ब्रेकर	क्लॉड ब्रेकर काम करने वाले के लंबाई अनुसार समायोज्य है और इसके दानों तरु के किनारों नुकीले होते है जो दोनों तरु क्लॉड को खोदने में सहायक है। यह हाथों के मुड़ने और भुजाओं में दर्द को कम करता है।
13.	पोटैटो पिकर	सुधारा गया पोटैटो पिकर ने एक बार में अधिक मात्रा में आलू निकालने की कार्मिकों की दक्षता

		को बढ़ाया है। परिणामों से पता चला है कि कैलिक्युलेटेड कार्डियाक स्ट्रैन इन्डेक्स (CSI) पर परंपरागत विधि (25 धड़कन) को सुधारे गए उपकरण पर (13.33 धड़कन) तक कम किया है।
14.	कॉटन पिकिंग मशीन	कपास निकालने वाले मशीन में, कपास को खींचने के लिए दबाव का उपयोग किया जाता है। इसमें सील्ड लेड एसिड बैटरी - 12V का होता है और इस बैटरी को नियमित रूप से चार्ज करना पड़ता है। इस मशीन की दक्षता एक घंटे में 6-7 किलो ग्राम घंटा कपास को निकाल सकता है जबकि हाथ से केवल 1-2 किलो ग्राम घंटा मात्र निकाला जाता है।
15.	कॉटन स्टैक पुल्लर	स्टैक पुल्लर वह उपकरण है जो विशेष रूप से लंबे व कठिन डंठल को मिट्टी से निकालने के लिए विकसित किया गया है। स्टैक पुल्लर में दो लोहे से बने फ्लैट फुड्स होते है, इसे ऐसा तैयार

		किया गया है कि डंठल इन दोनों फुट्स के बीच पकड़कर खींचाा जा सकता है। एक किनारे पर फुट को दायें पाँव द्वारा दबाया जाता है और लॉग हैण्डिल को स्ट्रेच करने के द्वारा स्टैक को खींचा जात है। वह कठिन परिश्रम को कम करता है, लेग को छोड़ता है, कमर ओर भुजाओं के दर्द को कम करता है, समय एवं ऊर्जा को बचाता है तथा कोई शारीरिक खतरे नहीं होंगे।
16.	कोम्ब स्ट्रिप्पर फर ग्राउन्डनट्स	यह उपकरण लोहे के शीट से बनाया जाता है इसका डिजाईन कोम्ब जैसी होती है इसका वजन केवल 200 ग्राम है। यह हैण्डी, पोर्टबुल, सुविधायुक्त और उपयोग हेतु आसान होता है। इससे कटे हुए पौधों से मूँगफल्ली के गठियों को निकाला आसान है। इस कोम्ब के दांत गठियों को पकड़ कर पौधे के जड़ से निकालता है। इससे समय की बचत, नखुनों में चोट, ऊंगलियों और हथेली में चोट को कम करता है। कमर, कुहनी, कलाई और गर्दन के दर्द से आराम मिलता है।
17.	सब्जी उखाड़ने वाला मशीन	यह अँगूठी जैसी उपकरण है जो लोहे से बनता है जिसके एक तरु ब्लेड होता है। इसे तर्जनी में अँगूठी की तरह पहना जाता है और तोड़ना और

		चुनना आसानी से किया जा सकता है। यह बहुत आसान, नरम, सुविधा पूर्ण और समय की बचत करता है।
18.	मोटराईजड पैडी थ्रेशर	इस मशीान को औरतें कम शक्ति लगाकर चला सकती है। औसतन एक घंटे में 180 किलो ग्राम धान को मोटाराईजड पैडी थ्रेशर के साथ ताड़ा जा सकता है । जिसकी तुलना में परंपरागत उपकरणों से एक घंटे में केवल 36 किलो ग्राम धान को ताड़ा जा सकता है। मोटाराईज्ड धान थ्रेशर से परंपरागत ढंग से पाँच गुना अधिक धान ताड़ा जा सकता है।
19.	डंग कलक्टर	गोशाला की सफाई करना बहुत मेहनत का काम है क्योंकि यह काम दुष्कर मुद्दा में बैठकर किया जाता है। व्यावसायिक स्वास्थय खतरों के लंबाई में बनाई गई है ताकि महिलाएं गोबर को खड़े होने की स्थिति में एकत्रित करने को आसान बनाती है।

20.	लॉग हैण्डिुल फोर्क	इस फोर्क को पहारी क्षेत्रों के कृषक महिलाओं की कद मानवमितीय नाप से बनाया गया है। हैडिल का सुविधापूर्ण लंबाई महिलाओं के काम करने की मुद्रा को सुधारता है। फोर्क का हल्कापन उससे काम करने को आसान बनाता है।
21.	फेचिंकग ट्रॉली	तीन पहियों के साथ दबाव के साथ चलने वाले एक ट्रॉली को तैयार किया गया है। परिश्रम को हटाता है। यह किसी भी व्यक्ति को वजन सर पर लादकर ले जाने की लाद कर ले जाने मस्क्युलों स्केलिटेड असुविध से बचाती है।
22.	सुधारा गया सिकिल	स्थानीय दराँती से परिश्रम और बढ़ाता है क्योंकि कटाई के समय उसे सान ध्रना पड़ता है फिर भी ब्लेड का धार उतना तेज नही होता जिससे काम आसानी से हो सके। इससे और अधिक थकान महसूस होती है और कार्य आऊटपुट कम होता है। सुधाने गये सिकिल का वजन 217 किलो ग्राम है जिसका ब्लेड सेर्रेहेड हाई कार्बन ब्लेड है। इसका वजन कम होने के कारण बहुत उपयोगी है और इसके ब्लेड को जंग नहीं लगता और हाई कार्बन सेल्फ शार्पेनिंग ब्लेड है।

23.	एम डी वी चूल्हा	एम डी वी चूल्हा के दो दीवारों होती है और नीचे अंगीठी होती है और ऊपर छेदों वाला प्लेट होता है जो आग को बनाए रखता है। इससे ईंधन की बचत के साथ उष्णता की दक्षता भी बढ़ेगी। धुँआ भी नहीं निकलता है जिससे खाना बताने समय महिलाओं के धुँए के खतरे से छूट मिलता है, साथ ही खाना पकाने का समय और ईंधन की खपत को कम करता है।
24.	बृील हैण्ड हो	तैयार किया गया व्हील हैण्ड ही को चलाने वाले को थकान कम होती है क्योंकि इसकी रूपरेखा एग्रोनामिक है (कम वजन, छोटा और हैंडिल की उपयुक्त लंबाई) जो विभिन्न फसलों गुड़ाई और निराई के लिए आसान है।
25.	हेड लोड कैरियर (हेय एल सी)	इस हेय एल सी को उपयोगकर्त्ता के शरीर से बेलट की सहायता से बांधा जाता है। हैंडिल्स को भुजाओं के समान्तर रखा जाता है। वजन को उतारते समय सीधे जमीन पर डाल सकते है। उपयोग करने के लिए बहुत आसान है। वजन भी सर एवं भुजाओं पर समान रूप से बंढ जाता है

		और मस्क्युलों स्केलिटल बीमारियों को कम करता है।
26.	फेरोमॉन ट्रैप	इसका लक्ष्य कीटों की संख्या को घटाते हुए कीट प्रबंधन करना है। कीट/पतंगे इस ट्रैप में गिर कर मर जाते है, अत: उनका प्रजनन नहीं होता और उनके हमले कम हो जाएंगे। फेरोमोन फ्यूचर एक चारा है जिसे विशेष कीट की ओर मोड़कर रखा जाता है, यह मादा कीट जैसे गंध को उत्पादित करता है जिसकी ओर नर कीट आकर्षित होकर जाल में फंस जाते है। इसमें कोई रासायन नहीं होने के कारण कृषिक महिलाओं के लिए उपयुक्त है। एक एकड़ क्षेत्र के लिए चुग्गे के साथ चार से छ: फेरोमॉन ट्रैप लग सकते है, इस कीटों की संख्या को कम करने में बहुत सहायक होता है।
27.	पीला चिपचिपा	इसका लक्ष्य कीटों की संख्या को कम करने का द्वारा कीटों का प्रबंधन करना है, कीट इस ट्रेप को चिपककर मर जाते है अत: उनका प्रजनन नहीं होता। इसका पीला रंग कीटों को आकर्षित करता है। जब कीट इस ट्रैप के पास जाते है तो शीट के ऊपर लगे गम को चिपक जाते है। यह गौर जहरीला होने के कारण कृषक महिलाओं को

		इसे वापस घर ले जाने में कोई खतररा नहीं होता। एक एकड़ क्षेत्र के लिए चार से छः चिपचिपे ट्रैप लगाए जा सकते है, जिससे कीट/पंतगों की आबादी को विशेष रूप से एफिड और जैसिड को कम करता है।
28.	को-को ट्रैप	यह नारियल के पौधरोपण में जाल में फंसाकर मारने के द्वारा कीटों की आबादी का प्रबंधन करने में सहायता देता है। यह चुग्गे के रूप में फेरोमॉन ल्यूर का उपयोग करता है जो नर कीटों को आकर्षित करने के लिए एक मादा कीट की ओर निर्देशित किया जाता है। नर कीट उससे आकर्षित होकर जाल में फस जाता है। कीटों की आबादी को कम करने के लिए एक एकड़ भूमि में चार से छः कोकोपीट ट्राप का उपयोग किया जाता है।
29.	प्रो ट्रे	टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोबी, बैंगन इत्यादि के एफ 1 हाईब्रीड अंकुरों के उत्पादन के लिए प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम के रूप में

		उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। कोयर उद्यम का एक उप-उत्पादन कोकोपीट है और यह गीलेपन को बहुत देर तक रख सकता हे परंतु पोष्टिकताएं कम होती है। परंतु प्रो ट्रे का उपयोग करने से महिलाएं अंकुरों को अपने घर में ही बढ़ा सकती है।
30.	सुखाने वाला रैंक	इस तथ्य से सभी वाकिफ है कि सूखे मछिलियों को तैयार करते समय उत्पादक उसकी स्वस्थ्यता की और बहुत कम ध्यान देते है। स्वस्थ्य वातावरण में मछलियों को सुखाने का प्रसंस्करण और अच्छी पैकेजिंग उत्पादन लागत को बढ़ाता है। परंतु स्वस्थ उत्पादन और बाजार लिंकेज के साथ तकनीकी अंतरण कोस्टल फिशरमैन के लिए सततत आजीविका में परिणामित हो सकता है। स्वस्थ्य सूखे मछिलियों के उतपादन के लिए कम लागत का मछलियों को सूखानेवाला रैंक तैयार किया गया है। इसका उपयोग मछलीपालन महिलाओं द्वारा अपनाया गया क्योंकि इसमें कम परिश्रम और सुखाने के लिए कम समय लगता है।

31.	मक्कई का भूसा निकालने वाला हाथ चालक मशीन (हैण्ड ऑपरेटेड मैस डिहस्कर रोलर) 	हाथ से चलाने मैईज वाला डिहस्कर रोलर का विकास कृषक महिलाओं के परिश्रम के मामलों को दूर करने तथा महिलाओं की कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस मशीन की रूपरेखा इर्गोनॉमिक और मशीनी विचारों को ध्यान में रखकर सूखे मक्कई के डिहस्किंग और रोलिंग किया गया था। मशीन दो व्यक्तियों द्वारा चलती है, इसमें से एक कॉब में धान डालते है और दूसरा हैण्ड क्रॉन्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन का डिजाईन इस प्रकार तैयार किया गया है कि 0.5hp, का एक फेज वाला इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लग सकता है।
32.	हैंड रिजर 	फावड़ा द्वारा रोपी गयी फसलों के बीच खुरदरा क्यारी बनाना परिश्रम युक्त गतिविधि है। इसमे अधिक समय भी लगता है। इसलिए, आसानी से उभाड़ बनाने के लिए हाथ से चलाने वाला हैंड रिजर विकसित किया गया था । इसमे टी-आकार के हैंडल के साथ एक रिजर और एक खीचने वाला बीम होता है। खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि उपकरणों की सहायता से उभाड़ बनाई जा सके। यह उपकरण दो महिलाओ द्वारा संचालित होता है, एक खीचने के लिए और दूसरा धक्का और मार्गदर्शन करने के लिए। यह वजन में बहुत हल्का है और चलाते

		समय झुकने की आवश्यकता नहीं है।
33.	हैंगिंग टाइप क्लीनर	इस उपकरण का डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि छलनी में आगे की ओर जाने से अनाज को साफ करने वाला एक कंपन सी गतिविधि उत्पन्न होगी । इसमे एक मुख्य फ्रेम, दो ग्रेडिंग स्क्रीन ड्राइपर राड, हैंडल पर रबर ग्रिप , शटर, आदि होते है । चार रस्सियाँ मुख्य फ्रेम में लगे हुक पर बांध दी जाती है और छत से जुड़े ऊंचे सिरे या हुक पर लटका ली जाती है । यह दोलन मोड़ में संचालित होता है । जमीन से क्लीनर के हैंडल की उचाई ऑपरेटर के कमर की उचाई पर होनी चाहिए । अनाज के आकार के आधार पर स्क्रीन का चयन किया जा सकता है। स्क्रीन के शीर्ष पर अनाज डालने के बाद क्लीनर बॉक्स से धीरे धीरे नीचे चले जाए, जबकि स्क्रीन के शीर्ष पर खूँटी / भूसा बच जाता है । स्क्रीन के ऊपर से खूँटी को इकट्ठा करने के बाद, क्लीनर को धीरे धीरे अनाज में मौजूद गंदगी, खूँटी के टुकड़ो और भूसे को हटाने के लिए क्लीनर को हल्के से हटाया जाता है। इसके बाद, शटर के क्लीनर को खोलकर लटकन से लटकाए गए बैग में इसे निकाल लिया जाता है। यहाँ झुकने की मुद्रा में काम करने की आवश्यकता नहीं है।
34.	उर्वरक ब्रॉडकास्टर	इसमे एजिटेटर के साथ एक हॉपर , फैलाने वाला डिस्क, गेयर, हैंडल के साथ क्रैंक, रियर कुशनिंग पैड (पीछे गद्दीदार पैड) और कंधे पर डालने के

		लिए पट्टियों सहित शेलडर पैड होते हैं । ब्रॉडकास्टर को क्रॉस - माउटे होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक पेट पर चढ़ाने वाला उपकरण है । कृषक महिला को प्रसारण शुरू करने हेतु खेत के बांध से 2.5 मीटर की दूरी और चलाते समय वहाँ से गुजरने के लिए 5 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा । हापर में उर्वरकों की मात्र को इसके पारदर्शी ढक्कन से जाँचा जा सकता है। प्रसारक उपयोग के बाद पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। कृषक महिलाएं आसानी से परिष्कृत प्रसारक को ऊपर चढ़ा और उतार सकती है।
35.	सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल	एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके कृषक महिलाओं के लिए सीड ड्रिल को सुधारा गया है। इसमे हैंडल होता है, बीज और उर्वरक के लिए होपर, खूंटी टाइप ग्राउंड व्हील सेल के साथ रोलर और हुक ड्रिल को खींचने के लिए हुक है। मैटरिंग रोलर सीधे ग्राउंड व्हील शाफ़्ट पर चढ़ाया जाता है। बीज ड्रिल अच्छी तरह से तैयार क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए । इसका संचालन दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है अर्थात एक खींचकर दूसरा धकेलने तथा मार्गदर्शन करने के लिए । रस्सी को खीचने के लिए सीडड्रिल के सामने दिए गए हुक से बांध दिया जाता है। इसका वजन केवल 11 किलोग्राम होता है और इसकी रूपरेख झुकने की मुद्रा से बचने के लिए और सुविधापूर्ण होने के लिए तैयार किया गया

		है।
36.	वीडर • फ्लैट टाइप • नौच टाइप 	महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वीडर का आकार बहुत छोटा होता है , जिन का कोई उचित हैंडिल / संभाल नहीं होता या बहुत बड़ा और भारी होता है। नया वीडर लंबे हैंडल के साथ डिज़ाइन किया गया है और यह बहुत हल्का होता है। नए वीडर का उपयोग महिलाओं की कार्यमुद्रा में सुधार लाता है और उनकी दक्षता में वृद्धि करता है।
37.	वादी मेकर 	"वाडी" भारत के अधिकांश भागो में, विभिन्न दालों का पीसा हुआ गीले आटे से बनाया और सूखाया गया प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है। महिलाएं घरों में इन्हें बनाती है लेकिन यह व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध है। प्रत्येक वाडी को हाथ से लगाना कठिन भी है और इसमें समय भी लगता है। वाडी मेकड़ अल्युमिनियम से बनी एक समतल ट्रे है जिसमे छेद , रबर पांज / स्टैंड होगें 2'' जो वाडी लगाते समय ट्रे को जमीन से थोड़ा ऊचाई रखती है। छेद के व्यास में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह समय व ऊर्जा को बचाता है और वाडी के समान आकार

		को बनाए रखता है । इसे उपयोग करना आसान और सुविधाजनक है।

निष्कर्ष:

किसी भी देश के विकास का आकलन करते समय लिंग समानता एक महत्वपूर्ण संघटक है। कई क्षेत्रों के महिला एवं पुरूषों के बीच समानता लाने के लिए कई संकल्प लिए गए। महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु आज कई मशीन महिलाओं के लिए सुविधापूर्ण है। परंतु आज कई मशीन महिलाओं के लिए सुविधापूर्ण नहीं है। अत: कृषि अनुसंधान व विकास के कार्य महिलाओं के परिश्रम को कम करने एवं उनकी इर्गोनॉमिक परिस्थितियों के आधार पर कृषक महिलाओं के विभिन्न उपयोगी कृषि उपकरण व साधनों पर केन्द्रित होना चाहिए। वैज्ञानिकों को वर्तमान उपकरणों एवं साधनों में सुधार नवोन्मेशनों का सृजन करना चाहिए। महिलाओं को इन मशीनों को चलाने के लिए नए कौशलों को प्राप्त करेन के अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

2.8 सारांश:

- कार्य करते समय यदि कोई गतिविधि किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उतपन्न करती है तो उसे व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा कहा जाता है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे वे खतरे है जिसमें कार्यरत व्यकित को नुकसान पहुँचाता है वह चोट या अस्वस्थता, संपत्ति की हानि, कार्य स्थल का वातावरण या इनका मिला जुला रूप हो सकता है।

- कृषि के क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को यांत्रिक खतरे, मानसिक-सामाजिक खतरे, कार्यरत संगठन के खतरे, आर्थिक खतरे, जैविक खतरे और रासायनिक खतरे के रूप में विभाजित किया जा सकता है।
- कृषि दुर्घटनाओं के श्रोत है ट्रैक्टर, कृषि ढ़ांचों का गिरना, घुटन, मशीनें आदि।
- कृषि खतरों के कारण है - अकुशल चा ालक, तकनीकी ज्ञान की कमी, गति की तीव्रता जो उन्हें असंयम बनाती है, ट्रेलर/फार्म मशीनों का अनुचित रूप से धक्का देना, सामानों के परिवहन के समय अतिभार डालना, ट्रैक्टर पर अधिक लोगों का परिरवहन, ढलानों पर इंजन को बंद कर देना, बिना सुरक्षा कवर/गार्ड के आवर्तित पुर्जों को छोड देना, कार्मिकों का अनुपयुक्त पहनावा, सुरक्षा कपड़ों को नहीं पहनना और धूलि धूसरित वातावरण।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने की रणनीतियाँ: खतरा पूर्ण सामान को निकाल देना, ,खतरा जनक सामग्री का प्रतिस्थापन, खतरों का इंजिनीयरी नियंत्रण, खतरों का प्रशासनिक नियंत्रण और वैयक्तिक सूरक्षा साधन।
- कठिन परिश्रम का अर्थ कठिन, गैर दिमागी, मकरतोड़ कार्य है। इसे भौतिक एवं मानसिक तनाव, एक ही प्रकार और इनसानों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयाँ है।
- कृषि में कठिन परिश्रम है: परिश्रम को कम करने वाले उपकरणों व साधनों का उपयोग न करना, नकनीकी ज्ञान के बगैर यांत्रिकरण में बढ़ोत्तरी, समय लगने वाला और श्रम पूर्ण परंपरागत कार्य विधियाँ, ऋतु आधारित कृषि गतिविधियाँ और रसायनों व कृषि- रसायनों का उपयोग।

- कृषि में कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कई लिंग स्नेही उपकरणों व साधनों का विकास किया गया है।
- साधनों के उचित रखरखाव, कर्मचारियों के ज्ञान कौशलों का अपडेशन, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के परिवीक्षण हेतु व्यवसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा को कार्यस्थल पर प्रदान करने के द्वारा परिश्रम को कम किया जा सकता है।
- कृषि अनुसंधान और विकास के प्रयासों को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों के आधार पर उनके परिश्रम को कम करने के लिए उनके इर्गोनॉमिक परिस्थितियों के आधार पर महिला अनुकूल फार्म टूल और साधान विकसित करना चाहिए।

2.9 अपनी प्रगति जाँचे:

1. कृषक महिलाओं के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों के विभिन्न प्रकारों को बताइए।
2. कठिन परिश्रम की परिभाषा बातइए कृषि में महिलाओं की कठिन परिश्रम पर प्राकश डालें।
3. कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कृषि में उपयोग किए जाने वाले महिला अनुकूल उपकरण और साधनों की सूची बताएं।

सही उत्तर का चयन करें:

1. कम वेतन, लैंगिक व अन्य उत्पीड़न, नौकरी की असुरक्षा, पदोन्नति तन्त्र की कमी, वेतन भुगतान में देरी .... खतरों के उदाहरण है। (   )

   (a) यांत्रिक (b) मानसिक-सामाजिक (c) जैविक (d) रासायनिक

2. मशीनों का अनुचित डिजाईन, एक ही मुद्रा में बहुत देर तक काम करना, कार्य की बारंबारता, कर्मियों द्वारा अनुपयुक्त उपकरणों का उपयोग, बैठने की अनुचित मुद्रा से .... खतरे स्थायी रूप से होते है। ( )

   (a) यांत्रिक (b) मानसिक-सामाजिक (c) जैविक (d) एर्गोनॉमिक

3. जनगना 2012 के अनुसार, महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत जिसे वर्ष 2015 तक .... प्रतिशत प्रस्तावित है। ( )

   (a) 50 (b) 30 (c) 65 (d) 80

4. किसी भी देश के विकास का आकलन करने के लिए लिंग .... अनिवार्य संघटक है। ( )

   (a) समानता (b) विश्लेषण (c) मुख्यधारा में लाना (d) इनमें से कोई नहीं

5. कठिन परिश्रम .... रूप में हो सकता है ( )

   (a) भौतिक (b) सामाजिक (c) मानसिक (d) दोनों a और b

2.10 अन्य अध्ययन:

1. R. S. Bridger (2018), 'Introduction to Human Factors and Ergonomics', CRC Press, Taylor and Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW-Suite.

2. Badodiya, S.K., Tiwari, A. and Daipuria, O.P. (2013), 'Health Hazards among Tribal Farm Women in Agricultural Operations', Indian Research Journal of Extension Education, Vol.13, No. 3, September, 2013.
3. Goswami, H. (2011), Health Demography of the Tea Gardens Labor Population of Assam, A Report on Reproductive Health of Tea Garden Labor Community of Assam submitted to UGC, New Delhi.

4. International Labor Office (2014), Safety and Health in Agriculture, A Program on Safety, Health and the Environment, Labor Protection Department, ILO, Geneva, Switzerland, retrieved from www.ilo.org/wcmsp5/...protect/---.../---safework/.../wcms_110193.pdf, in 24/06/14.

5. Pillsbury, B., Tucker, G. M. & Nguyen, F. (2014), Women's Empowerment & Reproductive Health, A report of Interactive Population Center, Pacific Institute for

Women's Health, Los Angeles, USA, retrieved from www.unfpa.org/intercenter/cycle/index.htm, in 2/5/2014.

6. Soundari (2012), Indian Women and Reproductive Health, retrieved from www.studymode. com/essays/Indian-women-And-Health-968496.html, in 02/05/2014.
7. Scott, M. (2009), Pesticides and Reproductive Health, www.smarttrain.com.au/- data/ assets/pdf_file/0009/351864/pesticides-and-reproductive health.pdf, 25/06/14.

यूनिट III: लिंग संबंधी विभिन्न डाटा (आंकड़े) (GDD)

इस यूनिट की मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य
- परिचय
- शबदावली
- लिंग संबंधी विभिन्न डाटा का महत्व
- सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा हेतु दिशानिर्देश
- लिंग संबंधी डाटा के स्रोत
- लिंग संबंधी विभिन्न डाटा के प्रकार
- डाटा संग्रह की प्रणालियां
- निष्कर्ष
- सारांश
- अन्य अध्ययन

3.0 उद्देश्य

1. लिंग संबंधी डाटा के प्रति अवधारणात्मक समझ को विकसित करना।
2. लिंग संबंधी डाटा के व्यवहारिक व हैंड्स ऑन संग्रह की जानकारी प्रदान करना

3.1 परिचय

सेक्स-संबंधी आंकड़ों (डाटा) का संग्रह, कृषि क्षेत्र में पोषणा एवं स्वास्थ्य के एकीकरण हेतु प्रयुक्त, सबसे आम दृष्टिकोण है। सेक्स संबंधी आंकड़े वे आंकड़े होते है स्त्रियों महिलाओं द्वारा अलग-अलग रूप में संग्रहित एक विश्लेषित किया जाता है।

कुछ लोगों की यह गलत धारण होती है कि सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा के संग्रह एवं लैंगिक विश्लेषण का लक्ष्य महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना मात्र ही होता है। लेकिन चूँकि स्त्री व पुरूष दोनों की कृषि उत्पादन में प्रतिभागी होते है, अत: उनकी भूमिकाओं और दायित्वों को समझना आावश्यक होता है, और नई नीतियों, बाजारों व तकनीकों के संदर्भ में इनमें होने वाले बदलावों को भी जानना आवश्यक होता है। सेक्स संबंधी आंकड़ों के संग्रह का प्रयोजन, कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविकाओं की संपूर्ण समझ हासिल करना होता है ताकि, बेहतर स्थितियों व कार्यक्रमों का विकास किया जा सके।

इस यूनिट का विषय शिक्षार्थियों/विद्यार्थियों को लिंग संबंधी विभन्न आंकड़ों, उनके व्यवहारिक संकेतों (टिप्स), के संग्रह तथा डाटा संग्रह के दौरान क्या करना अथवा न करने संबंधी अंतदृष्टि प्रदान करेगा।

3.2 पारिभाषिक शब्दावली:

3.2.1 लिंग संबंधी विभिन्न ऑकड़े:

यह ऐसे स्त्रियों ओर पुरूषों दोनों की प्रतिभागिता वाले ऐसे सैंपल ग्रूप से सूचना का संग्रह है, जिनके अनुभव, आवश्यकताएं, रूचियों, और अवसरों संसाधनों तक अलग-अलग अभिगम्यता हो ताकि स्थानीय संदर्भ की सही चित्र दर्शाया जा सके।

3.2.2 सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा:

सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा को, उत्तरदाता के स्त्री अथवा पुरूष होने के आधार पर निर्भर डाटा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके तहत डाटा को लिंग के आधार पर नहीं बल्कि सेक्स के आधार पर अलग किया जाता है क्योंकि, इसके वृहत, व्यक्ति के जैविक अंतर को सेक्स अभिलेखित किया जाता है। विश्लेषण के समय सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा में, स्त्री और पुरूषों की स्थिति के बीच के अंतर को उजागर करने की क्षमता होती है।

इसके अंतर्गत प्रास्पिक तौर पर कृषि संबंधी पारिवारिक सर्वेक्षण में "कोन" (Who) प्रश्न भी समाहित होते हैं। श्रमिकों को कौन प्रदान करता है, निर्णय कौन लेता है, भूमि पर किसका स्वामित्व और नियंत्रण होता है तथा ये संसाधनों को कौन नियंत्रण करता है आदि। इससे स्त्रियों और पुरूषों से उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में पूछा जा सकता है।

3.2.3 डाटा:- यह "असंसाधित" जानकारी होती है जिसे परिमाणित किया जा सकता है।

3.2.4 साख्यिकी:- यह एक **"**प्रसंस्कृत" सैंपल डाटा है, यह " कितना" (How much) कितने सारे (How many) आदि प्रयासों की संख्यात्मक जानकारी है जिन्हें आम तौर पर टेक्नों और ग्राफो में समेकित संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है।

3.2.5 संकेतक:- संकेतक एक सूचक होता है। यह एक मापन, एक संख्या, एक तथ्य, एक अमित्व अथवा विशिष्ट दशा अथवा स्थिति की ओर अंगित करने वाला पूर्वानुमान हो सकता है जो कालांतर में उस दशा अथवा स्थिति में परिवर्तित होने वाले आकलन भी कर सकते है संकेतक, परिवर्तनों को मूल्यांकन करने वाले मापदंड अथवा उपाय होते है।

3.2.6 लिंग संबंधी सकेतक :-

लिंग संबंधी संकेतक, प्रत्येक लिंग समूह द्वारा लाभार्जन करने वाले विकास कार्यों को इंगित करते हैं जो कि विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के रूप में हो सकते है उदाहरणार्थ; साक्षरता में वृद्धि, भौतिक मृत्यू दर में कमी, भू-स्वामित्व आदि। प्रत्येक लिंग संबंधी समूह की अपनी चुनौतियां होती हैं।

भारत में लिंग-संबंधी सामान्य संकेतक;

- शिक्षा का स्तर
- स्वास्थ्य की स्थिति
- स्वच्छ पेय जल, खाद्य सुरक्षा तक पहुँच
- रोजगार में प्रतिनिधित्व
- आय एवं संपत्ति
- निर्णकारिता में प्रतिभागिता
- महिलाओं के विरूध अपराधों की दर

लिंग संबंधी संकेतकों की विशेषताएं;

- वास्तविक
- सार्थक
- मात्रात्मक
- गुणवत्तापूर्ण
- समय-वद्ध
- इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट की प्रभावोत्माकता का वर्णन

3.2.6 लिंग संवेदी सकेतक :- लिंग-संवेदी संकेतक, समाज में गत काफी समय से हो रहा लिंग संबंधी परिवर्तनों को इंगित करने का विशेष कार्य करते हैं। "इन्हें प्रगति या उपलब्धियों का मापन करने को अन्य संकेतकों के समानांतर विकसित किया जाना चाहिए।

लिंग-संवेदी संकेतक लैगिक पक्षपात और असंसाधनों का समाधान करते हैं जिनकों निवारण करना आवश्यक होता है। स्त्री व पुरूष निष्पादन मापकों ने नियोजन में, उनके कार्यान्वयन में और निष्कर्षों संबंधी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

संकेतकों के उदाहरण

मात्रात्मक संकेतक	गुणवनात्मक संकेतक
स्त्रीव व पुरूषों दोनों के द्वारा निर्मंत्रित फसलों हेतु कृषि संबंधी गतिविधियों से प्रसारित आय का स्तर।	परियोजना संसाधनों के प्रति उत्तरदायित्वों का दृष्टिकोण, सेक्स संबंध विभिन्नताओं द्वारा।
सामाजिक ग्रुपिंग द्वारा श्रम, टूल आदि के संबंध में स्त्रियों ओर पुरूषों के दूसरों का स्तर	परियोजना कार्यान्वयन में प्रतिभागिता की कोटी से स्त्री व पुरूषों की संतुष्टि।
सामाजिक-आर्थिक ग्रुपिंग द्वारा मख्य निभिकारिता स्थितियों में स्त्री व पुरूषों की संख्या (अथवा%)	परियोजना की शुरूआत के साथा समुदाय में, लैंगिक समानता में परिवर्तन की अनुभूति।
महिलाओं/पुरूषों की प्रधानता वाले परिवारों में शिक्षा/स्वास्थ्य पर होने वाला औसत व्यय।	प्रशिक्षण सत्रों और लिंग संबंधी प्रशिक्षण सामग्री की उपयोगिता के संबंध में फीडबैक।

3.3 लिंग-संबंधी विभिन्न डाटा का महतव:

महिलाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवरोधों का सामना किया जाता है, जिससे, संसाधनों, सेवाओं और कायक्रमों तक उनकी पहुँच की योग्यता प्रभावित होती है। सेक्स संबंधी विभन्न आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण प्रत्येक लिंग संबंधी विश्लेषण का महत्वपूर्ण भाग होता है। सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा, स्त्रियों और पुरूषों तथा लड़के लड़कियों के बीच के मात्रात्मक अंतर को पहचानने का एक सशक्त टूल होता है। इसे नीति नियोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाना आवश्यक है ताकि, लिंग संबंधी

मुद्दों का समाधान हो सके। सेक्स संबंधी विभिन्न डाटा के बिना, लड़के और लड़कियों के तथा स्त्री पुरूषों के बीच के, बीच के मौजूदा फर्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। योजनाओं और कार्यान्वयन के दौरान, उनकी विशेष जरूरतों को प्राय: नजरअंदाज कर दिया जाता है।

3.4 लिंग-संबंधी विभिन्न डाटा की आवश्यकता:

i. वास्तविक आवश्यकताओं योगदानों, लाभों को अभिग्रहित करता है।

ii. लैंगिक गतिशीलता को परिलक्षित करने के लिए, विधि परिवर्तनों (आयु, प्रजाति आदि) से संबोधित अलग-अलग आँकड़े जी.डी.डी. के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है।

iii. परियोजना/कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और दीर्घ कालिकता को बढ़ाने के लिए (अधिक प्रतिक्रियात्मक हो जाते है)। स्त्रियों और पुरूषों पर उसके नीति संबंधी उपायों के प्रभावों के मूल्यांकन हेतु यह आवश्यक होता है।

iv. बेहतर जानकारी से बेहतर निष्पादन संभव होता है (उदाहरण; मत्स्य पालन, आय आदि)।

v. स्त्री व पुरूष दोनों ही उससे लाभान्वित होते हैं।

vi. न केवल स्त्री और पुरूष की कार्यवृत्ति बल्कि उनकी विशेषताओं का भी यह मूल्यांकन करता है। स्त्री और पुरूषों के आपसी संबंधों और स्थानीय व वैश्विक और धार्मिक स्तर पर उनके लिए विभिन्न अवसर व अवरोधों को सृजित करने वाले कारकों व्यय की यह परीक्षण करता है।

vii. विभिन्न अंतरों, प्रभावों, असुरक्षाओं और अवसरों को समझने के लिए डाटा की आवश्यकता होती है। लैंगिक संबंधों में परिवर्तनों, लैंगिक समानता की रणानीतियों की प्रभावकारिता, प्रतिभागिता, लाभों आदि को मॉनिटर करने हेतु लिंग संवेदी संकेतनों का विकास करता है।

viii. मॉनिटरींग और मूल्यांकन के लिए यह डाटा आवश्यक होता है। कार्यान्वयन के दौरान, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन लिंग संबंधी विश्लेषण द्वारा पुरूषों और स्त्रियों के प्रतिभागिता, लाभों और प्रभावों तथा लैंगिक समानता और परस्पर संबंधों के प्रति प्रगति आदि के मूल्यांकन में सहायता प्राप्त होती है। लिंग संबंधी विश्लेषण, का प्रयोग, लैंगिक संवेदी योजनाओं और कार्यक्रमों के साझेदार संगठनों में प्रोग्रामिंक हेतु क्षमता एवं समर्पण निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके द्वारा लैंगिक समानता के मुद्दों को राष्ट्र अनुभागीय और सैद्धांतिक स्तर पर सुलझाने में भी मदद मिलती है।

ix. कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम स्त्रियों और पुरूषों की फसल की उपज तथा उनके द्वार अपनाई जा रही तकनीकों एंव उनके द्वार प्रयुक्त इनपुटों के बारे में जानना चाहते हैं।

x. महिलाओं की गणना किसानों के रूप में की जाती है या गृहणी के रूप में विकास क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उनके विशेष योगदान मूल्यांकन के लिए भी डाटा बहुत आवश्यक होता है जो महिलाओं को "मैजर ग्रुप" के रूप में समाज में सिद्ध करने में सहायक होता है।

xi. निर्णायक प्राथमिकताएं; महिलाओं/लड़कियों तथा पुरूषों/लड़कों की विभिन्न आवाश्यकताओं, प्राथमिकताओं और ताकतों को समझता है।

xii. संसाधन आवंटन का प्राथमिकी करण।

xiii. लिंग संवेदी कार्यक्रमों और योजनाओं की अभिकल्पना/परियोजना/कार्यक्रम के दौरान उपर्युक्त जानकारी और विश्लेषण का अनुप्रयोग/कार्यक्रम और परियोजना अभिकल्प के दौरान, किसी विकासशील गतिविधि के महिलाओं और पुरूषों पर पड़ने वाले प्रभाव और लैंगिक संबंधों के मूल्यांकन की प्रक्रिया लिंग संबंधी विश्लेषण द्वारा संपादित की जाती है (पुरूषों और महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध, जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित और सुदृढ़ किये जाते है) । इसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जा सकता है कि,

पुरूष और महिलाएं विकासशील गतिविधियों से वंचित नहीं है, गतिविधियों की प्रभावकारित और पुरूषों के बीच समानत को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई हेतु प्राथमिक क्षेत्रों के संज्ञान हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

3.5 सेक्स-संबंधी विभिन्ता डाटा-विश्लेषण के लिए दिशानिर्देश:

- पुरूषों और महिलाओं दोनों के बारे में, सूचना का संग्रह करना इसके लिए यह जरूरी नहीं कि एक ही परिवार के पुरूषों और महिलाओं का इंटरव्यू लिया जाए। जिन अध्ययनों के अंतर्गत पुरूषों और महिलाओं उत्तरदाताओं को शामिल नहीं किया जता वे प्राय: पक्षपातपूर्ण होते है, पक्षपात की सीमा उत्तरदायों की जानकारी और अनुभूति पर निर्भर करती है।
- डाटा-संग्रह की समस्त प्रणालियां संदर्भ- आधारित होने चाहिए। प्रश्नावली/प्रश्न संदर्भ के अनुकूल हों। डाटा संग्रह व विश्लेषण करने वालों को लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक गतिशीलता की जानकारी/ समझ होनी चाहिए। यह जानकारी इंटरव्यू के विन्यास और फोन्स ग्रुप की चर्चाओं का मार्गदर्शन भी करेगी।
- शोध प्रश्न एवं कार्यप्रणाली को परिभाषित करने की प्रक्रिया की शुरूआत में, लिंग संबंधी मामलों के विशेषज्ञ के साथ कार्य करें।
- मानवीय विषयों से डाटा संग्रह करने वाले शोधर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि, प्रतिभागियों ने, गोपनीयता और सहमति को अनुबंध पूरा किया हो। जबकि ये आवश्यकताएं/औपचारिकताएं सभी शोधों के लिए महत्वपूर्ण है और अस्तिव के स्वामित्व और घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील से जुड़े मामलों के लैंगिक विश्लेषण के लिए भी आवश्यक होती हैं।
- प्रक्रियाओं अथवा मेकॉनिज्म की अपेक्षा परिणामों (आउटकम) का मापन करें। परिणाम ही सदैव होते हें क्योकि, प्रक्रियाएं और मेकॉनिज्म प्राय: एक विशेष दुनिया/क्षेत्रों से जुड़े होते

हैं और वे महिलाओं और लड़कियों के जीवन की वास्तविक प्रगति से हमें अवगत नहीं करवाते।

- महिलाओं की इच्छाओं के विस्तार और आधुनिक सेवाओं व संसाधनों तक उनकी पहुँच के बीच के लैगिंक पक्षपात को कम करने हेतु उनकी प्रगति को प्राथमिकता दें (बजाय, महिलाओं की, निर्विवाद, पारंपरिक परिवारिक भूमिकाओं को प्रलेखित करने के)
- सेक्स के आधार पर प्राप्त किया गया डाटा, कोई गारंटी नहीं देता उदाहरण के लिए, डाटा उत्पादन के लिए प्रयुक्त, अवधारणाएं, परिभाषाओं को प्रणालियों जिन्हें लैगिंक भूमिकाओं को, संबंधों और असमानताओं को परिलक्षित करने वाला डाटा; लैगिक आंकड़ो की एकाध विशेष लाभों को ही प्रतिनिधितव करता है।

3.6 लिंग-संबंधी डाटा के स्रोत

- व्यक्तिगत (व्यक्तिओं की पसंद प्राथमिककताओं या निर्माण को समझना)
- परिवार: (व्यक्तिओं की पसंद प्राथमिककताओं या निर्णयों को समझना)
- अंतर-पारिवारिक: (इसके अंतर्गत परिवारों को एकल यूनिट नहीं माना जाता बल्कि, यह समझने का प्रयास किय जाात है कि, परिवार के विभिन्न सदस्य आपस में कैसे व्यवहार करते हैं और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं)।
- समुदाय: (समुदाय भी नीतियों अथवा नवोन्मेषों का केन्द्र हो सकते हैं)
- क्षेत्रीय (देशांतर तुलनाओं व्यापार या नीतियों, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय विश्लेषण पर्याप्त तौर पर होता है।
- औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण (सहकारी-संस्थाएं, विस्तार सेवा प्रदाता, बैंक, जल उपयोग को उपयोग भोक्ताओं के ग्रुप, माइक्रो वित्तीय ग्रुप, स्वयं सेवा संस्थों आदि।

6.7 लिंग संबंधी विभिन्न डाटा के प्रकार

गुण-संबंधी डाटा गुण-संबंधी आँकड़ो को, किसी विषय के बारे में लोगों के निर्णयों और अनुभूतियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में किसानों व महिला मिसले का अभिमत; अत: गुण-संबंधी संकेतक प्रतिभागी पूर्ण संकेत प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होते है क्योंकि वे, "वस्तुओं" या "अंकों" को नहीं मापते अपितु के दृष्टिकोणों का अवलोकन करते हैं।

गुण-संबंधी संकेतकों को और भी परिनित किया जा सकता है। एक सर्वेक्षण में पूछा जा सकता है "आपकी आर.के.वी.वाई (RKVY) की संबंधी संतुष्टि के स्वर की श्रेणी क्या है। जिसके अंतर में अलग-अलग थ्योरियों को उल्लेख होगा। फिर भी उनका प्रयोग, एक विशेष परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है (महिलाओं की प्रतिभागिता से उनका सशक्तीकरण हुआ है) कैसे और क्यों?

उदाहरण : गहन साक्षात्कार, सर्वेक्षण और संरचित साक्षात्कार, फोक्स ग्रुप - चर्चा; वर्णनात्मक, केसस्टडीज जीवन गाथाएं आदि।

मात्रात्मक - डाटा

मात्रात्मक डाटा संग्रह, परिवर्तन का संख्यात्मक मापन है। जब सूचना के संग्रह के लिए, सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो परिर्वतन की मात्रात्मकता को, गुण संबंधी आयामों में बदलने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।

3.8 डाटा-संग्रह की पद्धतियाँ:

लिंग संबंधी विभिन्न विश्लेषणों के लिए आम तौर पर (8) आठ प्रणालियों का प्रयोग किया जाता हैं।

1. द्विवीयक समीक्षा
2. दैनिक गतिविधि कैलेंडर
3. प्रश्नावलियां और सर्वेक्षण
4. गहन साक्षत्कार
5. मुख्य सूचक के साक्षत्कार
6. फोक्स-ग्रुप चर्चाएं
7. स्थानीय इतिहास, टाइमलाइन और जीवन वृत्त का अनुसरण।
8. प्रतिभागी ग्रामीण अप्रेसल (PRA) प्रगति के चरण (SOP)

3.8.1 द्वितीय समीक्षा: पुरावेसी डाटा ओर प्रलेखों की समीक्षा, रिपोर्टों तथा प्रकाशनों, अभिलेखों का संग्रह को विश्लेषण (महिलाओं और पुरूषों द्वारा अनुरक्षित कृषि रिकॉर्डों; कृषक समूहों के उपस्थिति व नेतृत्व रिकॉड आदि) तथा इन सबका द्वितीयक समीक्षकों के संख्यकों के रूप में प्रयोग।

3.8.2 दैनिक गतिविधि कैलेंडर: दैनिक गतिविधि कैलेंडर (DAC) का प्रयोग, लक्षित स्थान पर महिलाओं और पुरूषों की गतिविधियों के बीच की विविधता को समझने के लिए किया जाता है। यह कैलेंडर, महिलाओं और उनकी व्यस्ताओं को समझने तथा प्रतिदिन की उनकी व्यस्ताओं को समझने का एक सशक्त टूल बनाकर उभारा है।

3.8.3 प्रश्नावलियाँ और इन्वेंटरी सर्वेक्षण :

- रेस्पांस दर की उच्चतर दरों के लिए प्रश्नावलियों को लागू करना।
- खुले एवं सीमित अवधि वाले प्रश्नों के बीच संतुलन बनाए रखना।
- गहन डाटा प्राप्त करने हेतु, प्रश्नावली को अन्य प्रणाली से संयोजित करना।

3.8.4 गहन इंटरव्यू : इस प्रकार के साक्षात्कारों में प्रश्न उत्तरदाता के व्यक्तिगत अनुभवों को लक्षित करते है। गहन साक्षात्कार काफी महत्वपूर्ण होते है क्योंकि ये, महत्पूर्ण लैंगिक और

शक्ति संबंधी मुद्दों के बारे में बेहतर समझ प्रदान करते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में परिवार के कई सदस्यों के साथ, इंटरव्यू किया जाता है। जहाँ तक लैंगिकता का सवाल है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि, महिलाओं की आवाज सुनी जाती है। इस लिए महिलाओं का इंटरव्यू यथा संभव पुरूषों से अलग तौर पर ही लेना ही बेहतर होता है। इसे हासिल करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि, एक ही परिवार की महिला और पुरुष सदस्य का इंटरव्यू एक साथ किया जाए। यदि महिला व पुरूष का इंटरव्यू एक साथ किया जाएगा तो, परंपरानुसार महिलाएं बोलने में संकोच नहीं करेंगी। .... महसूस करना महत्पूर्ण है कि, परिवार भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कुछ परिवारों में, पुरूषों की तो कुछ में महिलाओं की प्रधान होती है, दिलचस्प बात यह है कि, कुछ परिवार में बच्चों का प्रायान्य होता है। महिला प्रधान परिवारों में, ऊर्जा, निर्धनता, आवश्यकताओं अभिमानों आदि को अलग ही स्वर हो सकता है। यही बात, धनी, और निर्धन, शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं पर पर भी लागु होती है। स्थिति के बेहतर अवलोकन के लिए (इंटरव्यू की गुणवत्ता को समान के लिए), जनसंख्या के प्रतिनिधि सैंपल का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए, जिसे परियोजना में संबोधित किया जाना है। सैंपल का आकार स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन जनसंख्या के प्रत्येक उप-समूह में से कम से कम दो या तीन लोगों को साक्षात्कार लिया जाना आवाश्यक है।

लाभ:

- गहन एवं उप संरचित साक्षात्कार, डाटा प्राप्त करने की, संरचित साक्षात्कारों की तुलना में, काम कठोर होती है।

- उत्तरदाताओं को, सुदीर्घ रूप से उत्तर देना अनुभव होता हैं, कभी-कभी तो, शुरूआत में दी गई जानकारी, साक्षात्कार द्वारा मांगी भी नहीं जाती।
- अधिकतर प्रश्न खुले होते हैं, जबकि सीमित अवधि (Cloze ended) प्रश्नों को भी जोड़ा जा सकता है।
- यदि विशल सैंपल का सामान्यी करण किया जाना हो, और यदि शोध किसी विशिष्ट और छोटे लिक्षित समूह पर फोकस न हो तो, रैंडम सैंपलिंग प्रणाली का भी प्रयोग किया जा सकता है। (संभावित सैंपलिंग)।

3.8.5 मुख्य सूचक साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग :

सामान्यत: किसी प्राताक्षित परियोजना के लिए सूचना (एकत्र करने के लिए किया जाता है। सांख्यिक आँकड़े की तुलना में, साक्षात्कार अकसर अविक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साक्षात्कार सूचना संग्रह का एक अच्छा टूल है। साक्षात्कार कुछ पूर्व परिभाषित पूछने से कही अधिक होता है। साक्षात्कार से पूर्व, उसके दौरान और उसके पश्चात कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। किसी भी इंन्टरव्यू में खुले प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तरदाता से विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। आम तौर पर ऐसे प्रश्नों को उपयोग, किसी विषय की गहराई तक जाने और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

एक सीमा तक, मुख्य सूचकों के साक्षात्कारों में भी सीमित समाधान वाले प्रश्नों का उपयोग किया जाता है जिसके लिए उत्तरदाता से छोटे और आसान उत्तर की अपेक्षा होती है। ये प्रश्न विशिष्ट सूचना अथवा पूर्वानुमानों की एटिट अथवा डाटा प्राप्त करने में उपयोगी होते हैं।

3.8.6 फोक्स-ग्रुप चर्चा (FGDs):

इस प्रणाली का प्रयोग समुदायों को प्रभावित करने वाले लैंगिक मुद्दों पर, गहन डाटा और सामूहिक सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बेहतर सफलता के लिए उचरणों वाला मॉडल (केवल महिलाएं, केवल पुरूष, मिश्रित लैंगिक समूह) एक बेहतर अप्रोच है।

सामूहिक चर्चा में, शोधार्थी, समुदाय के सदस्य को निर्दिष्ट विषय पर चर्चा करते हुए, उनका अथवा करता है। शोधार्थी का उद्देश्य द्विपक्षीय होना चाहिए पहला, शोधार्थी किसी मुद्दे के बारे में सूचना संग्रहित करने हेतु फोक्स ग्रुप की मदद ले सकता है जैसे - किसी निर्दिष्ट मुद्दे पर सहमति अथवा सहमति का अभाव; दूसरे शोधार्थी किस फोक्स ग्रुप की निर्णयकारी संरचनाओं के अंतर्गत एक अंतदृष्टि हासिल कर सकता है; निर्णय करने का अधिकार किसे होता है? सीधे प्रश्न पूछने पर कौन उसे ध्यान पूर्वक सुनता है और उत्तर देता है? फोक्स ग्रुप विशेषकर महिलाओं ओर पुरूषों के मिश्रित समूहों में आयोजित की जाती हैं तो वे लैंगिक संबंधों के बारे में गहरी अंतदृष्टि प्रदान करती हैं। किन मुद्दों पर महिलाओं को निर्णय लेने की अनुमति होती है; पुरूषों को यह निर्णय लेने की अनुमति है और विभिन्न मुद्दों को महिलाएं पुरूष, किस प्रकार समझते हैं)

लाभ:

- एक लक्षित ग्रुप के नजरिये और व्यवहार को समझने की अच्छी नकनीक।
- प्रश्न आम तौर पर खुले होते हैं।
- उत्तर, प्रश्न के आशों को विस्तृत करते है, किसी सर्वेक्षण में, संग्रहित डाटा को समझने के लिए नहीं और हाँ क्यों उपयोगी हैं?
- यदि किसी ग्रुप द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार अथवा दृष्टिकोण प्रकट किया गया हो तो उसे समझने में आसानी होगी।

- तथापि, किसी भी सामान्य अथवा अन्य जनसंख्या के समक्ष डाटा का वहिर्वेशन नहीं किया जा सकता। (प्रतिनिधि नहीं हो सकता)।
- साक्षात्कार द्वारा दिये गए व्यक्तिगत अकिमत से पतियों के प्रभावित होने का जोखिम रहता है।

3.8.7 स्थानीय इतिहास टाइमलाइन और जीवन वृक्ष के निकट:

डाटा संग्रह की इस प्रणाली का उद्देश्य एक विशिष्ट व्यालावधि में, समुदाय में, होने वाले जीवन संबंधी परिवर्तनों का मूल्यांकन करना होता है। याद रखें कि, ग्रामीण जनता, संभवत: कैलेंडर वर्षों का संदर्भ नहीं लेती (उदा: 1950) इसके बजाय ग्रामीण जन किसी विशिष्ट घटना (उदा: स्वतंत्रता के बाद, अथवा उस अकाल के समय का जब लगातार तीन मौसमों तक फसल नहीं हुई) का संदर्भ लेते हैं। डाटा संग्रह की इस प्रणाली का प्रयोग एक सदस्य अथवा कई लोगों के साथ अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने का लाभ यह होता है कि, घटनाओं आयोजकों की संख्या सीमित हो जाती है और कब और क्या हुआ इस पर आज सहमति बनती है। डाटा संग्रह की यह प्रणाली, एक आइसब्रेकर के रूप में तथा उपयोगी होती है और साथ ही संसाधनों और इंफ्रास्ट्रचर में हो रहे परिवर्तनों के संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करती है (उदाहरण - किसी जंगल के क्षेत्र में, लकड़ी बीनने पर रोक लगाते हुए बंद कर दिया गया, गाँव के 5 कि.मी. के इलाके के अंतर्गत विधुत लाईन भी पड़ती है) घटनाओं के घटित होने की स्थिति में टाइम लाइन की मदद ली जा सकती है और जीवन कृत द्वारा यह पता लगाया जा सकता है, घटना घटित होने के कारण क्या था। यह प्रणाली, गतिशीलता और परिवर्तन के संचालकों का प्रकटन कने में सहायक होती है और वे संचालक क्यों लागू हुए इसका सपष्टीकरण भी खोजती है।

लाभ:

- दूसरों के अनुभावों, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रति एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है।
- सामाजिक मूल्यों और लाभों को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बेहतर रूप से समझने में हमारी मदद करती है।
- शोध विषय से घनिष्ठ होने का अवसर प्रदान करती है, जिससे साक्षात्कार को ऐसी जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलती है जो, अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती।

हानियाँ:

- मानिटरिंग और मूल्यांकन में इसका न्यून उपयोग किया जाता है।
- चूँकि प्रत्येक जीवन में विभिन्नता होती है यह सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इसे दोबारा जांचा जा सकता है। अथवा डाटा संग्रह के अन्य रूपों के साथ इसे जिस प्रकार बनाया जाता है।

3.8.8 प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) और प्रगति के कारण (SOP) :

इस प्रणाली के अंतर्गत, समुदाय के सदस्यों से यह पूछा जाता है कि, कुछ परिवार गरीबी में ही क्यों छाँटते गए उस संघर्ष की भी जानकारी हासिल की जाती हे, जिसका सामना करने कुछ परिवार सृद्धि की ओर अग्रसर होते गए।

- ऐसी व्यवसाय के लिए अनुभवी कार्मिकों कारवेक करना जरूरी होता है, विशेषकर उनका जो, अध्ययन और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगामी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षत शोध-सहायकों का एक डाटा-बैंक जिला या राष्ट्रीय स्तर पर अनुरक्षित किया जाना चाहिए।
- शोध-सहायकों के प्रशिक्षण के लिए, अधिक समय अवांटित किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि, समूची प्रक्रिया को वे भलीभांती समझ सकें और उससे जुड़ जाएँ।

- समस्त प्राप्त जानकारी के वैधता करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा, संग्रहित जानकारी स्रोत द्वारा प्राप्त हुई हेतु इसके लिए, जिला स्तर पर रिपोर्ट लेखन समय आबंटित करना जरूरी है।
- लक्षित समुदायों, में जागरूकता बढ़ाने हेतु, समूचे-अभ्यास का अधिकाधिक प्रचार किया जाना चाहिए। ताकि, अधिकतम सहयोग खासकर शहरी क्षेत्रों से हासिल हो सके। संभवत: यह कार्य भी मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है।
- इस प्रकार के दक्षता पूर्ण अभ्यास के लिए अनुसंधान सहायकों को भलीभंती प्रशिक्षित होना चाहिए। लिंग संबंधी विभिन्न डाटा, विशेषकर गुणतापूर्ण प्रणालियों द्वारा संग्रहित डाटा के लिए, लैंगिक जागरूक डाटा संग्रह टूल, अभिकल्पक और संग्राहक की आवश्यकता होती है।

पुरूषों और महिलाओं के विभिन्न अभवों भूमिकाओं और लाभों द्वारा अभिकल्पित डाटा संग्रह टूल:

क्य हम गैर नकदी फसल, अवैतनिक श्रमिक के बारे में पूछ सकते है?

क्या हम गैर प्राथमिक आय के बारे में जानते है?

क्या हम महिलाओं और पुरूषों के अवरोधों के बारे में जानते हैं?

क्य घरेलू हिंसा, अथवा आने जाने पर पाबंदी सम्मिलित होते है?

क्या पुरूषों द्वारा महिलाओं से डाटा का संग्रह किया जाना चाहिए (कुछ स्थानों पर यह हो सकता है, कुछ पर नहीं इसका डंलरा भी किया जा सकता है)

क्या वे चांसों को प्रभावित करते हें? (क्या उन्हें धमकाया जाता है?)

क्या वे उत्तरदाताओं/साक्षात्कार कार्त्ताओं का विश्वास हासिल कर उनसे घनिस्ठता बढ़ा सकते है?

गण संबंधी डाटा की स्थिति में क्या वे चर्चा को प्रोत्साहित और संचालित कर सकते हैं?

सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने संवेदनशील हैं?

छोड़ दिये जाने वाले मुद्दे	शामिल किये जाने वाले मुद्दें
ऐसे प्रश्न जो लिंग संबंधी विभिन्न डाटा का प्राप्त नहीं करते (पारिवारिक अथवा उत्तरदाता की आय)	
ऐसे प्रश्न जो मात्र वेतन पाने वाले श्रमिकों अथवा नकदी फसल को कवर करते हों (चूँकि ये पुरूष प्रधान होते हैं)	विभिन्न टास्कों को कवर करने हेतु डिजाईन किये गए
यह अनुमान लगाना कि, उत्तरदाता परिवा के अन्य सदस्यों से बेहतर जानकारी रखता है (प्रशिक्षण, संसाधकों, निर्णयकारिता तक पहुँच)। निर्णयकारिता (अथवा घरेलू हिंसा के प्रति, पति और पत्नी का नजरिया अलग-अलग हो सकता है।	आपके परिवार में जल संग्रह/पानी कोन भरता है; (अथवा ईंधन की लक्कड़ी चारा, खाद्यान्न कौन संग्रहित करता है)
	फसल के विभिन्न चक्र
	जुताई, बुआई, चुनना, ग्राइंडिंग आदि .... जो महिलाएं और पुरूषों की गतिविधियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं।
	अंतर पारिवारिक गतिशीलता की जानकारी वाले प्रश्न।

	समय की उपयोगिता वाले प्रश्न (जो विशेष प्रश्नों में नहीं पूछा जाता)
	श्रमिक गतिविधि के बारे में पूछते समय, औपचारिक कार्यों की जानकारी।

लिंग-संबंधी डाटा-संग्रह की अच्छी और बुरी प्रणालियों के उदाहरण:

खराब	**अच्छी प्रणाली**
पारिवारिक सर्वेक्षण में, (एच.एच.) का उतरदाताओं के रूप में प्रयोग (अधिकांश एच. एच. पुरूष होते हैं, रेस्पांस उनके दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं)	उत्तदाताओं को W और M के बीच के बीच बारी बारी से अथवा W और M एम दोनों (पिता/माता), पति/पत्नी) को चुना जाता है।
महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार पुरूष साक्षत्कार व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हैं (संदर्भानुसार कुछ मामलों में संभव है, सभी में नहीं)	महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार महिला साक्षात्कार महिलाओं द्वारा लिये जाते हैं (कुछ मामलों में इसका विपरीत भी किया जा सकता है, पुरूषों का इंटरव्यू शुरू पुरूषों द्वारा लिया जाना चाहिए।
संदर्भ के आधार पर मिश्रित फोकस ग्रुप चर्चाएं जिनमें पुरूष ही बोलते रहते है और महिलाएं	पुरूषों और महिलाओं क समान संख्या में चयन अथवा कुछ संदर्भ में अलग प्रणाली

चुप रहती हैं (अथवा पुरूष बीच में बैठते और महिलाएं बाहर)	(श्रम के विभाजन को ध्यान में रखा जा सकता है) पुरूष एवं महिला केवल एफ.जी.डी.। परंतु, जब भी संभावों, मिश्रित एफ जी डी परस्पर विरोधी अथवा सामान्य दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने में बहुत उपयोगी हो सकता है।

लिंग संवेदी अवस्थित:

साक्षात्कार/सर्वेक्षणों का आयोजन, ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ उत्तरदाता, सुरक्षित, आराम दायक स्वतंत्र महसूस करें; निम्नलिखित का ध्यान रखा जाए : -

- **लोकेशन:** यदि हम सही और संपूर्ण रेस्पांस हासिल करना चाहते हैं तो, हमें इंटरव्यू और सर्वेक्षण ऐस स्थान पर करना चाहिए जहाँ उत्तरदाता स्वयं को सुरक्षित आरम दायक और खुला महसूस करे। संवेदनशील प्रश्न (घरेलू हिंसा, यौन संबंधी मामलों आदि) के लिए, निजता और विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित साक्षात्कार कर्त्ताओं की आवश्यकता होती है।
- **समय-सीमा:** समय का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक होता है, क्योकि, महिलाएं हर समय उपलब्ध नहीं हो सकती वे अन्यत्र कार्यों में व्यस्त रहती है।
- दूरी-दूरी और पैसा भी उत्तरदाताओं के हतोत्साहित होने के कारक हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

लिंग संबंधी विभिन्न डाटा, विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पादन और परिणामों के मूल्यांकन के लिए तथा, लैंगिक असामनता के समाधान हेतु महत्वपूर्ण बैंचमार्क का काम करता है। लिंग संबंधी भेदभावों को पाटने के लिए, सभी विभागों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर, सरकार द्वारा अपने जटिल-कार्यक्रमों व महिला नीति के माध्यम से, कृषि क्षेत्र तथा उसके संबंधित क्षेत्रों में भी लैंगिक समानता लाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी, हमारे समाज में लैंगिक विभाजन हेतु और भी गहन और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

3.9 सारांश

3.10 अपनी प्रगति जाँचे:

1. लिंग-संबंधी ऑकड़ों (डाटा को परिभाषित करें। इसका क्य महत्व है?
2. लिंग-संबंधी विभिन्न डाटा विभिन्न प्रतिभागी टूलों को संक्षिप्त वर्णन के साथ सूचीवद्ध करें।
3. लिंग-संबंधी विभिन्न डाटा के विभन्न प्रकार और स्रोत क्या हैं? समझाइये।

सही उत्तर को चुनिये:

1. सेक्स-संबंधी विभिन्न डाटा-संग्रह सबसे सामान्य दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग कृषि, पोषण और स्वास्थ्य में .... को एकीकृत करने हेतु किया जाता है।

   (a) पुरूष (b) महिला (c) लिंग (d) इनमें से कोई नहीं

2. मात्रात्मक डाटा-संग्रह परिवर्तन के .... मापक होते हैं।

(a) सांख्यिक (b) शाब्दिक (c) गुण-संबंधी (d) इनमें से कोई नहीं

3. .... संकेतनों को, लोगों के किसी विषय के बारे में निर्णयों और अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(a) मात्रात्मक (b) सांख्यिक (c) गुण-संबंधी (d) इनमें से कोई नहीं

4. .... प्रणाली का उपयोग गहन डाटा के संग्रह तथा समुदायों को प्रभावित करने वाले लिंग संबंधी मुद्दों के बारे में, सामूहिक सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(a) गुण-संबंधी (b) मुख्य सूचक का इंटव्यू (c) मात्रात्मक (d) फोकस-ग्रुप-चर्चाएं

3.11 अन्य अध्ययन

1. FAO (2003) Gender Disaggregated Data For Agriculture and Rural Development: Guide For Facilitators

ब्लॉक IV – कृषि कार्यक्रम / महिलाओं हेतु नीतियाँ और कल्याणकारी कार्यक्रम

यूनिट - VII: कृषि कार्यक्रम / महिलाओं हेतु नीतियाँ और कल्याणकारी कार्यक्रम

मुख्य विशेषताएं

- उद्देश्य
- परिचय
- कृषि-कार्यक्रम / महिला-किसानों हेतु नीतियाँ
- राष्ट्रीय कृषि लैंगिक संसाधन केन्द्र (NGRCA)

- लिंग बजटिग योजना (GBS)
- कृषि विस्तार को जन संचार का सहयोग
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)
- राष्ट्रीय महिला कोश
- महिला ई-हाट
- महिला प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (STEP)
- सारांश
- अन्य अध्ययन

1.0 उद्देश्य

1. महिला किसानों संबंधी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों / योजनाओं, नीतियों से, विद्यार्थियों को, अवगत करवाना।
2. महिला-किसानों को, विस्तार आपूर्ति मेकॉनिज्म के माध्यम से, इन योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना

1.1 परिचय

कृषि संबंधी सभी प्रचालनों में बुआई से लेकर फसल की कटाई तथा कटाई के उपरांत होने वाली सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 के तहत, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की पहचान और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा कृषि विकास के एजेंडा के अंतर्गत "लैंगिक मुद्दों" को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है।

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तदनुसार कृषि क्षेत्र में लैंगिकता को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयास किये

जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ 'महिला समर्थी पहलों' को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/मिशनों में सम्मिलित किया जा रहा है इसके अलावा समस्त लाभोन्मुख हस्तक्षेपों के तहत, कम से कम 30 प्रतिशत लाभों और संसाधनों को महिलाओं हेतु आवंटित किया जा रहा है।

1.2 कृषि-कार्यक्रम / महिला-किसानों हेतु नीतियाँ:

विशेष प्रावधानों और सहायता का विस्तृत पैकेज जिसका दावा महिलाएं विभिन्न चालू मिशनों / उप मिशनों / योजनाओं के तहत कर सकती है जिनका संचालन डी.ए.सी. एवं एफ डब्ल्यू, कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण, भारत सरकार के तहत किया जा रहा है - वे निम्नलिखित है;

1.2.1 विभिन्न योजनाओं / मिशनों के तहत, महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान;

क्र.सं.		योजना / मिशन एवं संघटक	प्रावधान
A.	**राष्ट्रीय कृषि संघटक विस्तार एवं तकनीकी (NMAET) - कृषि - विस्तार उप मिशन (SMAE)**		
1)	कृषि - तकनीक प्रबंधन एजेंसी (ATMA)		
a)	विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)		
	i)	महिला खाद्य-सुरक्षा ग्रुपों को सहयोग (FSGs)	✓ किसानों द्वारा अलग से आत्मा (ATMA) के तहत स्थापित कैफेटेरिया @ रु. 0.10 लाख प्रति ग्रुप/ वर्ष की दर पर अनिवार्य गतिविधि के रुप में जिला /पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से स्थापित। किचन गार्डन की शुरुआत द्वारा, सूअर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि गैर-कृषि गतिविधियों के प्रभाव के जैसे ✓ न्यूनतम 2 एफ.एस.जी / ब्लॉकों को सहयोग।

	ii)	लिंग समन्वयक को सहयोग	✓ आत्मा (ATMA) के तहत, समर्पित विस्तार कर्मियों की टीम में लिंग समन्वयक : राज्य होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि, प्रशिक्षण / निर्माण और विस्तार सहयोग आदि के लिए निधियों / लाभ उनके सदस्यों में आनुपातिक रुप से प्रदान की जाएँ।
	iii)	निर्णयकारी निकायों में, महिला किसानों का प्रतिनिधित्व	✓ महिला किसानों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित प्रावधान - ✓ राज्य, जिला, ब्लॉक, किसान - सलाहकारी समितियाँ ✓ आत्मा (ATMA) नियांत्रित एवं आत्मा प्रबंधन समिति जिला स्तर पर ।
	iv)	लाभार्थी के रुप में	✓ योजना के कुल लाभार्थियों में से कम संकाय 30% महिलाएं होनी चाहिए और ✓ कार्यक्रमों और गतिविधियों के कुल संसाधनों में से न्यूनतम 30% भाग महिला किसानों, तथा महिला विस्तार क्रर्मिकों को आवांटित किया जाना चाहिए।
b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को, पुरूषों से अिधक समकक्ष लाभ दिये जाते है।)		
	v)	बीज-धन/रिवॉल्विग निधि का प्रावाधान	✓ 0.10 लाख रु. प्रति ग्रुप (पुरुषों एवं महिलाएं) (प्रतियोगी आधार पर विकासशील ग्रुपों को)
	vi)	क्षमता - निर्माण, कौशल विकास और सहयोगी सेवाएं	✓ 0.05 लाख रु. प्रति ग्रुप / प्रति वर्ष (पुरुषों एवं महिलाओं) (हरेक ब्लॉक में 20 ग्रुप)
	vii)	किसान मित्र @ 1 प्रति 2 गाँव	✓ 6000 रु. प्रति वर्ष / किसान मित्र ✓ महिलाओं को 'किसान मित्रों' के रूप में पसंद किया जाएगा।
2)	✓ **एग्रि - क्लीनिक & एग्रि - बिजिनेस सेंटर (ACABC)**		
a)	**प्रावधान (जिनमें महिलाओं को पुरुषों से अधिक या समकक्ष लाभ मिलते हों)**		
	i)	बैक एंड समग्र राहत	✓ पुरूषों के 36% की तुलना में, परियोजना लागत का

		(सब्सीडी)	**44%** की बैंक एंडेड समग्र छूट।
3)	✓ **कृषि विस्तार को जन-संचार का समर्थन**		
a)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को, पुरूषों से अधिक या समकक्ष लाभ मिलते हों)		
	i)	महिलाओं को आउटरीच	✓ महिला-किसानों की विशुध सक्षमताओं को कवर करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों एक दिन विशेष रूप से आवंटित किया गया है।
B.	**बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन (MIDH)**		
	a)	**प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए**	
	i)	✓ लाभार्थी	✓ कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों हेतु, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं लाभार्थियों को विशेष कवरेज। ✓ बागवानी मेकॉनिज्म को सहायता, उत्पादक असोसिएशन/किसान ग्रुप/स्व-सहायता / महिला किसान ग्रुप जिनमें कम से कम 10 सदस्य हों जो बागवानाी फसलों की खेती से जुड़े हों उनके मशीनों की शेष 60% लागत का वहन ऐसे ग्रुपों द्वारा किया जाता है। मशीनों और टूल्स की देखभाल और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एस.एच.एम. ऐसे असोसिएशन / ग्रुपों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट होने जा रहा है।
	b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को, पुरूषों से अधिक या समकक्ष लाभ मिलते हों)	
	1.	मशीनरी और कृषि उपकरणों का प्रापण (सब्सिडी पैटर्न)	
	1.1	ट्रैक्टर	
	i)	ट्रैक्टर (20 PTO HP तक)	✓ अधिकतम 1.00 लाख रु. की लगत की **35%**

		(लगात नियम 3.00 लाख रु. / प्रति यूनिट)	लागत प्रति यूनिट महिलाओं के लिए आवंटित जबकि पुरूषों को अधिकतम 0.75 लाख प्रति यूनिट पर 25**%** लागत की जाती है।
	ii)	पावर टिलर	
		पॉवर टिलर (8 BHP से कम) (लागत 1.00 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों 0.40 लाख प्रति यूनिट के मुकाबले महिलाओं हेतु अधिकतम **0.50** लाख/प्रति यूनिट।
		पॉवर टिलर (8 BHP से अधिक) (लागत 1.50 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.60 के मुकाबले महिलाओं हेतु **0.75** लाख /यूनिट
	iii)	ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 BHP से कम) चालित उपकरण	
		भूमि विकास, टिलेज एवं बीज बेड निर्माण का उपकरण (लागत - नियम 0.30 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम **0.15** लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकतम 0.12 लाख/यूनिट
		बुवाई, रोपण और खुदाई उपकरण (लागत - नियम 0.30 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.12 लाख/यूनिट के मुकाबले महिलाओं के अधिकतम **0.15** लाख/यूनिट। ✓
		प्लास्टिक की गीलीघास (मल्च) बिछाने वाली मशीन (लागत - नियम 0.70 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.28 के मुकाबले महिलाओं के अधिकतम **0.35** रु.
		स्व-चालित बागवानी मशीनरी	✓ पुरूषों के अधिकतम 1.**00** लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकतम **1.25** लाख/यूनिट

		(लागत - नियम 2.50 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓
		वनस्पति संरक्षण मैनुअल स्प्रेअर मैपसेक पैरों द्वा ा प्रचालित स्प्रयेर (लागत - नियम 0.012 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.005 लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकत0.006 लाख/ प्रति यूनिट
		बिजली चालित नैपसॅक स्प्रेयर/बिजली चालित ताइवान स्प्रेअर, (क्षमता 8-12 लीटर) (लागत - नियम 0.062 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.031 लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकत **0.025** लाख/यूनिट
		बिजली चालित नैपसॅक स्प्रेयर/बिजली चालित ताइवान स्प्रेअर, (क्षमता 12-16 लीटर से अधिक) (लागत - नियम 0.076 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.03 लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकत **0.038** लाख/यूनिट
		बिजली चालित नैपसॅक स्प्रेयर/बिजली चालित ताइवान स्प्रेअर, (क्षमता 16 लीटर से अधिक) (लागत - नियम 0.20 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.08 लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकत **0.10** लाख/यूनिट
		ट्रैक्टर माउंटेड / ऑपरेटेड	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.08 लाख/यूनिट की तुलना में

		स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) (लागत - नियम 0.20 लाख रु. प्रति यूनिट)	महिलाओं के लिए अधिकत **0.10** लाख/यूनिट
		ट्रैक्टर माउंटेड / ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) इलेन्ट्रॉनिक्स स्प्रेयर (लागत - नियम 1.26 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ **50% of the cost, subject to a maximum of Rs. 0.63 lakh per unit for women** as compared to 40% of the cost, subject to a maximum of Rs. 0.50 lakh/unit for men ✓
		पर्यावरण के अनुकूल हल्का ट्रैप (लागत - नियम 0.086 लाख रु. प्रति यूनिट)	✓ पुरूषों के अधिकतम 0.12 लाख/यूनिट की तुलना में महिलाओं के लिए अधिकत **0.014** लाख/यूनिट
	2.	बांस मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विस्तारण (MIDH)	
		वन क्षेत्र / सार्वजनिक भूमि (JFMC पंचयती राज के संस्थाओं/ एसएचजी, महिला ग्रुप आदि के माध्यम से।	✓ 100% का 3 किस्तों में लागत (50:25:25) (अधिकतम प्रति यूनिट क्षेत्र में सब्सिडी 42,000/ha) महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए।
	3.	**Coconut Development Board (CDB) under MIDH**	
		प्रौद्योगिकियों को अपनाना (बैक-एंड क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी)	✓ पुरूषों के 25% लागत की तुलना में महिलाओं को कुल लगात का **33.3%** परियोजना लगात।
C) राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़को तेल मिशन (NMOOP)			
	a)	प्रावधन (केवल महिलाओं के लिए)	

	i)	महिला दलों का प्रोन्नयन	✓ एस.एच.जी./एफ.आई.पीओ.महिला दलों कोऑपरेटिव आदि को प्रामाणिक बीजों के वीवरण हेतु राज्यों द्वारा शामिल किया जाना है। ✓ राज्य सरकरों द्वारा संयुक्त उद्यम का शुभारंभ/ किसानों के स्व सहायक ग्रुपों आई.पी/महिला ग्रुपों सहकारी सोसायटियों/एफ.आई.जी को बीज बगान लीज पद देना। ✓ असोसिएशन/एस.एच.जी./ ग्रुप/कोऑपरेटिव/फेडरेशन आदि पूर्व संरक्षण, प्रसंस्करण तेल, उपकरणों/साधनों के निर्धारित टी.बी. मिशन के अधीन संस्थान के हकदार होंगे। ✓ कोऑपरेटिव सोसायटियों, स्वयं सहायता/महिला ग्रुपों /एफ. आई. जी./एफ.पी.ओ. आदि को मिशन के कार्यान्वयन में सम्मिलित करने का प्रावधान मिशन के तहत उपलब्ध है।
	b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को पुरूषों से अध्किा या उनके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हैं) अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी	
	ii)	मैनुअल स्प्रेअरों के लिए: नैपसॅक/पैरों द्वारा प्रचालित स्प्रेअर पर्यावरण अनुकूल हल्का ट्रैप (NCIPM)	✓ पुरूषों के 600/- रु. प्रति यूनिट की तुलना में महिलाओं को 800/- रु. प्रति यूनिट।
	iii)	नैपसॅक और ताइवान बिजली चालित स्प्रअ सी (वीटर से कम क्षमता) @ प्रापण लागत की 50% दर पर।	✓ पुरूषों के 3000/- रु. प्रति यूनिट की तुलना में महिलाओं को 3800/- रु. प्रति यूनिट।
	iv)	नैपसॅक और ताइवान बिजली के स्प्रअरों (क्षमता 16 लिटर	✓ पुरूषों के **10000/-** रु. प्रति यूनिट की तुलना में महिलाओं को 3800/- रु. प्रति यूनिट।

		से अधिक) प्रापण लागत पर 40% की दर पर।	**(10% अतिरिक्त सहायता)**
	v)	मैनुअल/बैलों द्वारा चालित उपकरण और चिसलर @ लगात 40% की दर पर।	✓ पुरूषों के **8000/-** रु. प्रति यूनिट की तुलना में महिलाओं को 10000/- रु. प्रति यूनिट। ✓ **(10% अतिरिक्त सहायता)**
	vi)	ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण जैसे रोटेवेयर सीड/ड्रिल/ जीरो टिल सीड ड्रिल/मल्टी-क्रॉप प्लॉटर/रीज फ्युरों प्लॉनटर/पावर वीडर/मूँगफली डिगर और विभिन्न फसल थ्रेसर	✓ पुरूषों के 50000**/-** रु. प्रति यूनिट की तुलना में महिलाओं को **63000**/- रु. प्रति यूनिट। ✓ **(10% अतिरिक्त सहायता)**
	vii)	ट्रॉली वाल छोटा ट्रैक्टर (प्रापण लागत का 25%)	✓ पुरूषों के प्रति यूनिट 0.75 लाख के मुकाबले महिलाओं को **1.00** लाख / यूनिट। ✓ **(अतिरिक्त 10% की छूट)**
	viii)	किसान संगठनों/एफ.पी.ओ./एफ.आई.जी./एस.एच.जी./ महिला ग्रुपों, कॉऑपरेटिव/ फेडरेशन।	✓ बैंक एंडेड ऋण संबंधी राहत **(30% सब्सिडी, 50% ऋण, 20%** अपना शेयर**)** परियोजना लागत का 30% भाग प्रतिबंधित और 6.50 लाख रु. की सीलिंग एक यूनिट / परियोजना/ प्रतिसंगठन/ व्यक्ति स्टे करने हेतु।
	ix)	बीज बागानों का संस्थापक कृषि / बागवानी (75:25) सेट अप/ संयुक्त उच्च/ बीज बागानों को किसानों को पट्टे/ एस.एच.जी./एफ.पी.ओ./महिला ग्रुप/कोऑपरेटिव सोसायटियों/ एफ पी ओ को	✓ ताड़ के वेब के किसानों के संगठन/कोऑपरेटिव आदि के 15 हैक्टेअर में नये बीज बागान लगाने हेतु अधिकतम **10.00** लाख रू. की वन टाईम सहायता राज्य सरकार के माध्यम से। ✓ बीज बागान, प्रत्येक 15 हैक्टेयर के क्षेत्र में रिवॉल्विंग निधि योजना द्वारा 30.000 लाख रु. की सहायता तथा 10 लाख (प्रथम वर्ष) तथा 2

		पट्टे पर देना।	लाख दूसरे, तीसरे, चौथे, पॉचवे, और छठे वर्ष के ब्रेक अप के साथ विकसित किये जा सकते हैं। सातवें वर्ष में अनुदान प्रदान किया जाएगा। आठवें वर्ष से योजना के स्वयं सहायक होने की संभावना होती है।

D)	कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना **(ISAM)**		
	i)	भंडार इंफ्रास्ट्रक्चर पंजीकृत एफ पी ओ, पंचायती, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभार्थियों अथवा उनके कोऑपरेटिव/स्वयं सहायता ग्रुपों के लिए, कृषि विपणन इंफ्राट्रक्चर (AMI) की परियोजनाओं द्वारा।	✓ **33.33 % (**पूँजीगत लागत पर**)** की राहत महिलाओं को पुरूषों के 25% मुकाबले। ✓ सब्सिडी सीलिंग (1000 एम टी तक 1166.55 रु. तक), More than 1000 एम टी से अधिक और 30000 एम टी तक इंफ्रास्ट्रक्चर 1000.00 रू., 300.00 लाख तक अधिकतम सीलिंग) महिलाओं के लिए और सब्सिडी लिंग (750.00 रु. का एम टी में 30,000 तक की सब्सिडी 1000 एम टी से अधिक) पुरूषों के लिए अधिकतम सीलिंग (225.00 लाख).
	ii)	इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु: भंडारण के अलावा पंजीकृत एफ पी ओ, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) /अनुसूचित जन जाति (ST) के लाभार्थियों अथवा कोऑपरेटिवों को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाना करना।	✓ **33.33%** की सब्सिडी दर महिलाओं को पुरूषों की 25% दर की तुलना में। ✓ पुरूषों के 400.00 लाख के मुकाबले महिलाओं को 500.00 लाख की अधिकतम सब्सिडी सीलिंग ।
E)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन **(NFSM)**		
	a)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	i)	लाभार्थी के रूप में	✓ महिला किसानों को कम से कम 30% निधिया का आबटन।
	b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को पुरूषों से अधिक या उनके बराबर लाभ प्रदान किये जाते है)	
	ii)	किसानों और उत्पादक संगठनों को प्रोन्नयन (FPOs) और मूल्य श्रृंखला एकीकरणर को मार्केटिंग की	✓ 15 किसानों के प्रत्येक ग्रुप को 2.00 लाख (केवल वन टाइम सहायता)

		सहायता (गैर-पंजीकृत किसान समूहों, महिलाओं एवं अन्य स्वयं सहायता ग्रुपों आदि दलों और मोटे अनाज (मिलेट) की स्थानीय मार्केटिंग हेतु सहायता।	
F)	राष्ट्रीय दीर्घकालिक कृषि मिशन **(NMSA)**		
	a)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
		मिट्टी एवं जल संरक्षण जल उपयोग कुशलता: मिट्टी को स्वास्थ्य प्रबंधन और वर्षाधारित क्षेत्र का विकास।	✓ कुल आवंटन का कम से कम 50% भाग छोटे औसत किसानों आवांटित किया जाता हे जिसमें से न्यूतनतम **30%** महिला लाभार्थी किसानों को।
G)	कृषि यात्रिकीकरण उप मिशन **(SMAM)**		
	a)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
	i)	प्रशिक्षण कार्यक्रम	✓ महिला किसानों हेतु लैंगिक अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना है।
	ii)	लाभार्थियों के सपने	✓ कम से कम 30% का आवंटन महिला किसानों को किया जाता है।
	b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को पुरूषों से अधिक अथवा अधिक लाभ मितले है) अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी	
	iii)	ट्रैक्टर	
		✓ ट्रैक्टर (08-20 PTO HP)	✓ पुरूषों के 0.75 लाख के मुकाबले महिलाओं 1.00 लाख रू.।
		✓ ट्रैक्टर (20- 70 PTO HP से अधिक)	✓ पुरूषों के 1.00 लाख के मुकाबले महिलाओं 1.25 लाख रू.।
	iv)	पॉवर टिलर्स	
		पॉवर टिलर्स (8 BHP से	✓ पुरूषों के 0.40 लाख के मुकाबले महिलाओं 0.50

		कम)	लाख रू.।
		पॉवर टिलर्स (8 BHP & से अधिक)	✓ पुरूषों के 0.60 लाख के मुकाबले महिलाओं 0.75 लाख रू.।
	v)	चावल ट्रांस्प्लांटर	
		स्वचालित चावल ट्रांस्प्लांटर (4 कतारों वाला)	✓ पुरूषों के 0.75 लाख के मुकाबले महिलाओं **0.94** लाख रू.।
		स्वचालित चावल ट्रांस्प्लांटर (i) 4-8 कतारों से अधिक (ii) 8-16 कतारों से अधिक	✓ महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए 2.0 लाख।
		स्वचालित मशीनरी रीपर और बाइंडर	✓ पुरूषों के 1.00 लाख के मुकाबले महिलाओं **1.25** लाख रू.।
	vi)	विशेषीकृत स्वचालित मशीनरी	
		रीपर/पोस्टडिंगर डिगर/ऑगर/न्सूमॅरिक/अन्य प्लांटर	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं **0.63** लाख रू.।
	vii)	स्वचालित बागवानी मशीनरी	
		फलपकर्स/पेड़ो को छॉटने वाले/फल उत्पादक / फल ग्रेडर/ ट्रैक ट्रॉली/ नर्सरी मीडिया फिलंगस मशीन/ बहुउपयोगी हाईर्डोलिक प्रभावी / छॅटाई और बडिंग के लिए स्व प्रचालित बागवानी टूल आदि।	✓ पुरूषों के 1.00 लाख के मुकाबले महिलाओं 1.25 लाख रू.।
	viii)	भूमि विकास, टिलेज और बीज बेड बनाने के उपकरण	

		एम बी प्लो/डिस्क प्लो कल्टिवेटर/ हॅरो/ लेवलर बलेड/ केज व्हील/ वीड /फ्यूरो ओपनर/रिडगर/ वीड स्लॅहर/ लेजर लैंड लेवलर/ रीवर्सेबल यांत्रिक हल।	✓ पुरूषों के 0.12 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.15** लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.15 लाख रु. (20-35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.19** लाख रु.।
		✓ रोटावेटर/रोटोपुडलर/ रीवर्सेबल हाइड्रॉलिक ।	✓ पुरूषों के 0.28 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.35** लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.35 लाख रु. (20-35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.44** लाख रु.।
		✓ चिसल हल	✓ पुरूषों के 0.06 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं 0.08 लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.10 लाख रु. (20-35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं 0.10 लाख रु.।
	ix)	✓ बुआई, रोपाई कटाई और खुदाई उपकरण	
		पोस्ट होल डिगर/ आलू प्लांटर/ आलू डिगर/ मूँगफली डिगर/ स्ट्री ट्रिल डिगर/ ट्रैक्टर चालित रीपर/ प्याज उत्पादक / चावल स्ट्रॉ/ चॉपर/ टिल सीड व	✓ पुरूषों के 0.12 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.15** लाख रु.। ✓ पुरूषों के **0.15** लाख रु. (20-35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.19** लाख रु.।

		उर्वरक ड्रिल/ उन्नत बेड प्लोटर/ गन्ना कटर/ स्ट्रिपर प्लांटर/ सीड ड्रिल / विभिन्न फसल प्लांटर/ जीरो टिल मल्टी प्लांटर/ रिज फ्यूरो प्लांटर।	
		टर्बो सीडर/ न्यूमॅरिक प्लांटर/ न्यूमॉटिक वनस्पति ट्रांस प्लांटर/ न्यूमॉटिक वनस्पति सीडर/ हॅप्पी सीडर/ प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन।	✓ पुरूषों के 0.28 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.35** लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.35 लाख रु. (20 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.44** लाख रु.।
	x)	अंतर कृषि उपकरण	
		ग्रास वीड स्लॅशर / धान सट्रॉ चॉपर/ बिजली वीडर (इंजन परिचालित 2 बी.एच.पी. से कम)	✓ पुरूषों के 0.12 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.15** लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.15 लाख रु. (20 से 35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.19** लाख रु.।
	xi)	अवशिष्ट प्रबंधन/सूचीव्याख्या और चारा उपकरण	
		गन्ना थ्रैशर कटर/ नारियल प्लांट चॉपर/ रेक/ बेलर्स/ स्ट्रॉ रीपर	✓ पुरूषों के 0.12 लाख रु. (20 BHP चालित से कम) की तुलना में महिलाओं **0.15** लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.15 लाख रु. (20 से 35 BHP चालित से अधिक) की तुलना में महिलाओं **0.19** लाख रु.।
	xii)	कटाई व थ्रेशिंग उपकरण	
		मूँगफली पॉड स्ट्रिपर/ थ्रेशर/ कल्टी क्रॉप थ्रेशर/ धान	पुरूषों के 0.16 लाख रू. (इंजन प्रचालित) इलेक्ट्रिक मोटर 3 HP से कम और पॉवर रिल व ट्रैक्टर 20

		थ्रेशर/ ब्रश कटर	BHP से कम) के मुकाबले महिलाओं को 0.2 लाख रु.। पुरूषों के 0.02 लाख रू. के मुकाबले (इंजन / इलेक्ट्रिक मोटर 3-5 HP और पावर टिलर व 35 HP से कम ट्रैक्टर) के मुकाबले महिलाओं को 0.25 लाख रु.।
		शॅफ कटर (इंजन/3 एच पी से कम मोटर और पॉवर टिलर व 20 बी एच पी ट्रक्टर द्वारा प्रचालित)	पुरूषों के 0.16 लाख रू. (इंजन प्रचालित) इलेक्ट्रिक मोटर 3 HP से कम और पॉवर रिल व ट्रैक्टर 20 BHP से कम) के मुकाबले महिलाओं को 0.2 लाख रु.। ✓ पुरूषों के 0.02 लाख रू. के मुकाबले (इंजन / इलेक्ट्रिक मोटर 3-5 HP और पावर टिलर व 35 HP से कम ट्रैक्टर) के मुकाबले महिलाओं को 0.25 लाख रु.।
		टैक्टर **(35 BHP** चालित उपकरण से अधिक)	
	xiii)	भूमि विकास, टिलेज और बीज वेड निर्माण उपकरण:	
		एम बी प्लो/ डिस्क प्लो / कलटिवेटर/ हरो /लेवलर ब्लेड/ केज व्हील/ फ्युरो ओपनेर/ रिडर / रिवर्सेबल मैकेनिकल हल खरपतवार नाशक / लेजर लेवलर / रोटावेटर / रोटो-पुडलर / रिवर्सेबल हाइड्रोलिक प्लव / सब - सॉइलर / ट्रेंच मेकर (पीटीओ चालित) बैकहो लोडर डोजर (ट्रैक्टर संचालित)	✓ पुरूषों के 0.35 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.44** लाख रू.।

			✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।
	xiv)	बुआई, प्लांटिंग, रीपिंग और खुदाई उपकरण	
		जीरो टिल बीज व उर्वरक ड्रिल/उन्नत बेंड प्लांटर/ बीज ड्रिल/ आलू डिगर/ ट्रैक्टर चालित परीपर/ ऑनियन हार्वेस्टर।	✓ पुरूषों के 0.35 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.44** लाख रू.।
		पोस्ट होल डिगर / पोटैटो प्लांटर / मूँगफली डिगर / स्ट्रिप ड्रिल / राइस स्ट्रॉ चॉपर, गन्ना कटर / स्ट्रिपर / प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / जीरो -टी मल्टी मल्टी प्लानर / रिज फरबोर / टर्बो सीडर / न्यूमेटिक प्लांटर / वायवीय सब्जी ट्रांस प्लांटर / वायवीय वनस्पति बीजक / हैप्पी सीडर / कसावा प्लांटर / खाद स्प्रेडर / उर्वरक स्प्रेडर-पीटीओ संचालित / प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन / स्वचालित चावल नर्सरी बुवाई मशीनरी	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।
	xv)	अंतर कृषि उपकरण	
		घास / वीड स्लेसर / राइस स्ट्रॉ चॉपर / वीडर (PTO प्रचालित)	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।

	xvi)	कटाई और थ्रेसिंग उपकरण (इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर 5 hp और 35 BHP ट्रैक्टर द्वारा चालित)	
		मूँगफली पॉड स्ट्रिपर/ थ्रेशर/ मल्टी क्रॉप थ्रेशर/ धान थ्शर/ शॉफ कटर/ चारा/ हारवेस्टर/ वर्डस् स्केर	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।

	xvii)	अवशिष्ट प्रबंधन / सूखीघास और फोरेज उपकरण	
		गन्ना थ्रेश कटर / नारियल फ्रॉन्ड चॉपर / हेय रेक / बेलर्स (राउंड) / बेलर (चौकोर) वूड चिपर्स / गन्ने रेटॅन प्रबंधन / कॉटन स्टॉक उपकरण / स्ट्रॉ रीपर	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।
		समस्त मैन्डअल/पशु चालित उपकरण/ साधना / टूल्स	
	xviii)	भूमि विकास टिलेज और बीज वेड निर्माण उपकरण	
		एम बी प्लो / डिस्क प्लो / कल्टीवेटर / हैरो / लेवलर ब्लेड / ब्लेड फ्यूरो ओपनर / रिडर / पॉडलर	✓ पुरूषों के 0.08 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.10** लाख रू.।
	xix)	बुआइ, एव रोपण उपकरण	
		धान प्लांटर / बीज व उर्वरक ड्रिल / उन्नत बेड प्लांट / प्लांटर / प्लांटर / डिबलर /धान नर्सरी के निर्माण हेतु उपकरण।	✓ पुरूषों के 0.08 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.10** लाख रू.।
		ड्रम सीडर (चार कतार से कम)	✓ पुरूषों के 0.012 लाख के मुकाबले महिलाओं को 0.015 लाख रू.।
		ड्रम सीडर (चार कतार से अधिक)	✓ पुरूषों के 0.015 लाख के मुकाबले महिलाओं को 0.019 लाख रू.।
		कटाई और थ्रेशिंग उपकरण	
		मूँगफली पॉड स्ट्रिपर / थ्रेशिग / विन्जनिंग फैन /	✓ पुरूषों के 0.08 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.10** लाख रू.।

		ट्री क्लाइंबर / हॉर्टिकल्चर हैंड टूल्स चैफ कटर (3 फीट तक)	✓ पुरूषों के 0.04 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.05** लाख रू.।
		शॉफ कटर (3 फीट से अधिक)	✓ पुरूषों के 0.05 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.063** लाख रू.।
	xx)	इटर कल्चर उपकरण	
		ग्रास वीड स्लेशर / वीडर / कोनो वीडर / गार्डन हैंड टूल्स	✓ पुरूषों के 0.005 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.0063** लाख रू.।
	xxi)	पौधा सरक्षण उपकरण	
		मैनुअल स्प्रेयर: नैकपैक / पैर द्वार प्रचालित स्प्रेयर	✓ पुरूषों के 0.005 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.006** लाख रू.।
		बिजली चालित नैकपैक स्प्रेयर / बिजली चालित ताइवान स्प्रेयर (क्षमता 8-12 लीटर)	✓ पुरूषों के 0.025 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.031** लाख रू.।
		बिजली चालित नैकपैक स्प्रेयर / पावर संचालित है ताइवान स्प्रेयर (क्षमता) 12-16 लीटर से ऊपर)	✓ पुरूषों के 0.03 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.038** लाख रू.।
		बिजली चालित नैकपैक स्प्रेयर / पावर संचालित है ताइवान स्प्रेयर (क्षमता) 16 लीटर से ऊपर)	✓ पुरूषों के 0.08 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.10** लाख रू.।
		ट्रैक्टर माउंटेड / प्रचालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम)	✓ पुरूषों के 0.08 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.10** लाख रू.।
		ट्रैक्टर माउंटेड / प्रचालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से कम)	✓ पुरूषों के 0.10 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.13** लाख रू.।

		पर्यावरण अनुकूल स्लट ट्रैप	✓ पुरूषों के 0.012 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.014** लाख रू.।
		ट्रैक्टर माउंटेड / प्रचालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक)	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।
		इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर	✓ पुरूषों के 0.50 लाख के मुकाबले महिलाओं को **0.63** लाख रू.।
	xxii)	कटाइ उपरात तकनीक (PHT)	
		पी एच टी यूनिटों की संस्थापना तकनीकी के हस्तांतरण के लिए, मूल्य वृद्धि, न्यून दर वाले वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग दबाईयाँ और तकनीक	✓ पुरूषों के **1.25** लाख के मुकाबले महिलाओं को **1.50** लाख रू.।
H)	कृषि बीमाकरण **Agricultural Insurance**		
	a)	प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए)	
			✓ अनुसूचित जाति SC /जनजाति ST / महिला किसानों को अधिकतम बजट आवंटन सुनिश्चित करते हुए, इन वर्गों के किसानों को संबंधित राज्यों में अनुपातिक रूप से उपयोग करना।
	b)	प्रावधान (जिनमें महिलाओं को, पुरूषों से अधिक या समकक्ष लाभ मिलते हों)	
	1.	संशोधित राष्ट्रीय (MNAIS) कृषि बीमा योजना	

		अधिसूचित खाद्य फसलों तिलहने, और वार्षिक बागवानी/कमर्शियल फसलों को बीमा संरक्षण	✓ क्रमश: रबी और खरीफ मौसम के साथ 9% तिलहन की फसलों को 11% के अधिकतम प्रीमियम की दशा में अधिसूचित फलों को बीमांकित प्रक्रिया दर । ✓ वार्षिक, कमर्शियल/ बागवानी फसलों के लिए 13% निर्धारित किया गया है। ✓ प्रीमियम की सीम के आधार पर सभी प्रकार के किसानों को प्रीमियम की 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। a. 2% तक - शून्य, b. 2-5% से अधिक : 40% न्यूनतम कुल 2% प्रीमियम की दशा में। c. 5-10% से अधिक : 50% यदि न्यूनतम कुल प्रीमियम 3% हो। d. 10-15% से अधिक : 60% यदि न्यूनतम कुल प्रीमियम 5% हो तो। e. 15%-75% से अधिक: न्यूनतम तक कुल प्रीमियम 6% हो तो।
			✓ खराब मोसम/ जलवायु परिरवर्तन की बजह से बुआई न होने पर बीमित राशि का 25% बुआई से वंचित रहने हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। ✓ जब फसल की उपज अधिसूचित फसलों की निर्धारित उपज से कम होती है तो, अधिकांश क्षेत्रों में सभी बीमित किसानों को कम उपज के बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। ✓ तथापि, अग्रिम भुगतान के मामले में 25% तक के

			संभावित दावों को तत्काल राहत के तौर पर अधिसूचित क्षेत्रों में दिया जाता है जहाँ उपज की क्षति थ्रेशोल्ड फसल का कम से कम 50% हुआ है। (TY). ✓ कटाई उपरांत (2 सप्ताह) के साथ-साथ तूफानों से होने वाली हानियां की भरपाई भी की जाती है। ✓ ओलावृष्टि और भूस्खलन के स्थानीय जोखिम को व्यक्तिगत आधार पर मूल्यांकित किया जाता है और प्रभावित बीमित किसानों को तदनुसार भुगतान किया जाता है।
	2.	मौसम आधारित फसल बीमा करण योजना: (WBCIS)	✓ अधिसूचित खाद्य फसलों तिलहन और बागवानी/ कमर्शियल फसलें को बीमा संरक्षण। ✓ अधिसूचित फसलस हेतु बीमांकित 10 % & 8 % की अधिकतम प्रीमियम दर क्रमश: खरीफ और रबी की फसलों और तिलहन और वार्षिक कमर्शियल बागवानी फसलों के 12 % होने पर इसे 12% निर्धारित किया गया है। a. 2% तक - शून्य सब्सिडी, b. 2 से 5 % - 25% से अधिक न्सूनतम प्रीमियम 2% की स्थिति में। c. 5 to 8% - 40% सब्सिडी न्यूनतम प्रीमियम 3.75 % की स्थिति में। d. 8% -50 % सब्सिडी न्यूनतम प्रीमियम 4.8% और अधिकतम प्रीमियम 6% किसानों द्वारा देय होने पर। ✓ जब मौसम प्रतिकूल हो (वर्ष/तापमान/उमस/आंधी आदि) या (न्यून/अधिक निर्धारित फसलों के डेवेन्डेशन एवं भिन्नता होने पर उपज की कमी की प्रतिपूर्ति सभी बीमित किसानों को सभी अधिसूचित फसलों व क्षेत्रों में की भुगतान के रूप में की जाती है।

	3.	नारियल पाम बीमा योजना (CPIS)	✓ प्रति पाम (palm) की प्रीमियम दर 9.00 रु. (4 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में)14.00 रु. (16 से 60 वर्षों के आयु वर्ग में) होती है। ✓ 50-75 % प्रीमियम सब्सिडी सभी प्रकार के किसानों को प्रदान की जाती हे।
			✓ ताड़ के पेड़ों की क्षति हाने पर, बीमित राशि के बराबर क्षतिपूर्ति भुगता ान सूचित क्षेत्रों के बीमित किसानों को दिया जाता है।

स्रोत: *कृषि महिला अनुकूल हैंड बुक: महिला किसानों के लिए हैंडबुक (2018) राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।*

1.2.2 कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA)

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW), कृषि एवं किसान कल्याण के तहत 2005-06 के दौरान एक राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA) की स्थापना की गई थी। विस्तार सदन, पुणे नई दिल्ली; राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र (NGRCA) का फोक्स निम्नलिखित है -

- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के आंतरिक, बाह्य एवं कृषि व एसके संबंधित क्षेत्रों से जुड़े समसत गतिविधियों और मुद्दों का अभिसरण
- कृषि संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में लिंग संबंधी आयामों को शामिल करना।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों विधिक/सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- प्रशिक्षण, अनुसंधान, और पक्ष समर्थन को समर्थन करते हुए कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि में लिंग संबंधी मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़ना ताकि कृषि क्षेत्र के सभी प्रशिक्षणों व कार्यक्रमों को समग्र तौर पर लिंग अभिभाव बनाया जा सके ताकि वे महिला सशक्तीकरण के प्रति सहयोग प्रतिवद्धता को परिलक्षित करें।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताओं हेतु लिंग संवेदी मॉड्यूलों का विकास।
- महिला विशिष्ट महिला समर्थी कार्यक्रम में विस्तार कमियों के एक्सपोजर दौरों का आयोजन और
- केन्द्र के लिए एक अलग पोर्टल विकसित करना।

एन जी आर ए द्वार डी ए सी के लिंग बजटिंग सेल का संचालन किया जा रहा है। इस सेल ने प्रत्येक प्रभाग में, डी ए सी में विषय वस्तु में लैंगिक समन्वयकों की पहचान हेतु संवेदीकृत किया है।

1.2.3 लैगिक बजटिंग योजना (GBS)

लैगिक बजटिंग योजन; यह योजना कोई लेखाकरण अभ्यास नहीं अपुतु विकास के लाभों को महिलाओं तक पहुँचाने के लिए एक चालू प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक चरण पर लैंगिक संबंधी परिप्रेक्ष्य को कायम रखना शामिल है जैसे कार्यक्रम/नितियों के निरूपण, लक्षित गुणों की आवश्यकताओं को मूल्यांकन, वर्तमान नीतियों व दिशा निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों का आवंटन, कायर्कक्रमों कार्यान्वयन, प्रभाव मूल्याकनों संसाधनों का पून:प्राथमिकीकरण आदि। एक लिंग आधारित (रेस्पांसेव) बजट इस प्रक्रिया की परिणति है।

भारत में लैगिंक बजटिंग के संस्थाकरण के लिए वर्ष 2004-05 में, वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों में लैगिक बजटिंग कक्ष (GBC) की स्थापना अनिवार्य कर दी गई 2004-05 में महिला एवं बाल विकास द्वारा लैंगिक समानता हेतु बजटिंग की शुरूआत की गई। एक मिशन कथन के रूप में की गई जेंडर बजटिंग की नोडल एजेंसी के रूप में मत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आगे बढ़ाते हेतु अनेक पहलें की जा रही है। देश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा एक तीन-सूत्रीय रणनीति का अध्ययन कर रहा है।

1. सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों में, जेंडर संरचनाओं / मेकॉनिज्म स्थापित करने हेतु जोर दिया जाता है।
2. नीतियों/ योजनाओं / कार्यक्रमों और को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तथा बह्य एवं आंतरिक क्षमताओं के सशक्तीकरण तथा विशेषज्ञता निर्माण हेतु प्रयास करना और
3. मौजूदा कार्यक्रमों की लैंगिक लेखा परीक्षा की कवायद की शुरुआत जो सेवा डिलीवरी को सशक्त बनाने तथा संबंधित मुद्दों के समाधान में सहायता मिलती है।

1.2.4 कृषि विस्तार को दूरसंचार का समर्थन:

"केंद्रीय सेम्टोरल योजना" कृषि विस्तार को, मास मीडिया का समर्थन के अंतर्गत, दूरदर्शन और आकाशवानी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग शामिल है जिनके माध्यम से विभिन्न कार्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विषयों के व्यापक वर्णकवर वर्णक्रम को कवर उनका प्रसार किया जा सकता है और कृषक सामुदायकी कृषि संबंधी लार्भाजन जानकारी की जा सकती है। किसानों / महिला किसानों आदि। आकाशवाणी के एफ.एम ट्रासमीटर्स का प्रयोग, सप्ताह के छह दिन सोमवार से शनिवार को 96 एफ एम ग्रामीण क्षेत्रों में आधे घंटे के किसान वाणी कार्यक्रम के दैनिक प्रसारण किया जा रहा है। ये एफ एम स्टेशन महिला प्रतिभागिता के क्षेत्रों में, सूचना और तकनीकी के हस्तातरण के लिए भी विशेष कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं।

1.2.5 महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उनके सशक्तीकरण के अवसरों में वृद्धि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने महिला किसान सशक्तीकरण का शुभारंभ किया (MKSP)। यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के एक उप संघटक के रुप में 2010-11 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में, कृषि क्षेत्र में स्थित निवेशों द्वारा का सशक्तीकरण और उनकी इस क्षेत्र में भागीदारी और उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविकायों का सृजन शामिल है।

यह कार्यक्रम एन.आर.एल.एम. और राज्य स्तर के विभागों / सी.एस.ओ. की साझेदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। एम.के.एस.पी. में केन्द्र से राज्य स्तर के पोषण का अनुपात 75:25 है।

1.2.6 राष्ट्रीय महिला कोश (RMK)

राष्ट्रीय महिला कोश (RMK) की स्थापना, 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में की गई थी यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो स्वायत रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग की महिलाओं को छोटा-मोटा व्यापार शुरू करने हेतु ऋण दिलवाना है।

वर्तमान समय में आर एम के द्वारा अपनाया जाने वाला परिचालन मॉडल एक सुगम्य एजेंसी है जिसके तहत, आर एम के एन जी ओ एम एफ आई को ऋण उपलब्ध करवाता है जिसका नाम मध्यस्थ संगठन है (IMO)

आर.एम. के द्वारा अनौपचारिक वर्ग की महिलाओं को ग्राहम अनुकूल तरीके से माइक्रो ऋण दिया जाता है ताकि उस वर्ग की महिलाएं आय प्रसार हेतु कुछ कार्य आरंभ कर सकें। आर एम के द्वारा माइक्रो वित्तीय की अवधारणा को प्रचारित करने हेतु कई प्रोत्साहकारी अपनाए गए है इसके अलावा उद्यम विकास थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट, महिला स्वयं सहायता केंद्र का गठन एवं सशक्तीकरण मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से भी जारी है।

1.2.7 महिला ई-हाट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में एक द्विभाषी पोर्टल की शुआत की गई जिसका नाम है ई हाट।-यह एक अलग प्रकार की प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) मार्केटिंग प्लैटफार्म तकनीक है जो महिला उद्यमियों/ एन एच जी / एम बी ओ द्वारा निर्मित /उत्पादित, उत्पादों और सेवाओं को उस पोर्टल पर दर्शाती है। यह महिलाओं की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु की गई एक पहल है। इसकी शुरूआत इस बात को मद्देनजर रखकर की गई थी कि तकनीक ही व्यापार कौशल का एक महत्वपूर्ण संघटक है इसके माध्यम से देश भर के अधिकतम महिला उद्यमियों/ एस एच जी /ए जी ओ के सहयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

यह देश का अपने प्रकार का पहला पोर्टल है जो, महिलाओं को एक विशेष फोकस विपणन प्लेटफार्म प्रदान करता है । द्विभाषी होने के नाते यह वित्तीय समावेश और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी केंद्रित है। यह विलक्षण ई प्लेटफॉर्म उत्पादों और सेवाओं को दर्शाता है।

1.2.8 महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को समर्थन (STEP)

महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को समर्थन योजना (STEP) का शुभारंभ एक केंद्रिय सेक्टर-योजना 1986-87 में किया गया था इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण या विशेष रूप से एस सी/ एस टी तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की निर्धन महिलाओं को राजगार कमाने हेतु कौशलों का प्रान्नयन करना है। इसकी प्रभाव गतिविधियों में, कौशल

विकास हेतु प्रशिक्षण, महिलाओं का व्यवहार्य ग्रुपों में संचालन, मार्केटों से संपर्क तथा ऋणों की अभिगम्यता की व्यवस्था आदि शामिल है। यह योजना, स्वास्थ की जाँच, बच्चों की देखभाल, कानूनी एवं स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रारंभ शिक्षा और लैंगिक संवेदीकरण के रूप में भी समर्थन सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक परियोजना को न्यूनतम सरकारी समर्थन से आत्म स्थायी तौर पर तैयार करने की परिकल्पना की नई है। यह योजना रोजगार के 10 क्षेत्रों को कवर करती है जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यापार, मत्स्यपालन है। हैण्डलूम्स, हस्तकला, खादी और ग्रामोद्योग, पुष्प खेती, भूमि विकास और सामाजिक वानिकी आदि के कवरेज के स्थानीय क्षेत्रों के साथ जोड़कर इसे अच्छा रूप प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी आज भी अधिकांश महिलाओं को नहीं है। सरकार के विशेष महिला समर्थी पहलें जो महिलाओं को कृषि व अन्य संबंधित क्षेत्रों की मुख्यधारा से जोड़ने की गई थी उनके बारे में भी महिला किसान अनभिख हैं। अत: यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी जानकारी उन्हें व्यापक तौर पर, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्तरों पर विस्तार डिलीवरी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए।

1.2.9 सारांश

- सभी प्रकार के कृषि संबंधी प्रचालनों में, महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती है बुआई से लेकर कटाई और फिर कटाई उपरांत प्रचालनों में।
- राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 के तहत, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को पहचान और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने पर उच्चतम प्राथमिक्ता प्रदान की गई है इसके अलावा कृषि विकास के एजेंडा में लिंग संबंधी मुद्दों को शामिल करने पर बल दिया गया है।
- लैंगिक बजटिंग कोई लेखाकरण कवायद नहीं अपितु महिलाओं को पुरूषों के बराबर विकास की अभिगम्यता सुनिश्चित करने की एक रिंतर जारी प्रक्रिया है। यह प्रत्येक चरण पर लैंगिक परिप्रेक्ष्य को कायम रखने पर जोर देता हे जैसे कार्यक्रम / नीति निस्पण, लक्षित ग्रुपों की जरूरतों का मूल्यांकन, मौजूदा नीतियों का पुनरीक्षण संसाधनों का आबंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, प्रभाव मूल्यांकन, संसाधनों का एक प्राथीकीकरण आदि।

- 2004-05 में, महिला और विकास मंत्रालय द्वारा "लैंगिक समानता के लिए जेंडर बजटिंग" को मिशन के तौर पर अपनाया गया। नोडल एजेंसी के तौर पर मंत्रालय द्वार इस नियम को राष्ट्र और राज्य स्तर पर आगे बढ़ाने हेतु कई पहलें की जा रही हैं।
- सरकार द्वारा चालाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रावधानों की जानकारी आज भी अधिकांश महिलाओं को नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी सूचनाएं, विस्तार डिलिवरी प्रणाली के जरिये विभिन्न अवसरों पर, महिलाओं तक पहुँचाई जानी है।

1.2.10 अपनी प्रगति जाँचे

1. कृषि क्षेत्र में महिला किसानों के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध है?
2. एन जी आर सी ए से क्या तात्पर्य है**?** लैगिकता को मुख्यधारा से जोड़ने में उसकी क्या भूमिका है?
3. सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले महिला विकास कार्यक्रमों का वर्णन करें**?**

सही उत्तर को चुने:

1. राष्ट्रीय महिला कोश (RMK), की स्थापना निम्नलिखित ________, वर्ष में निम्नलिखित रूप में हुई थी**?** ( )

   a. 1993 **b.** 2001 **c.** 2011 **d.** 2003

2. महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक द्विभाषी पोर्टल "महिला ई-हाट" की स्थापना __________ वर्ष में की गई थी। ( )

   a. 2000 b. 2010 **c.** 2016 **d.** 2018

3. महिला हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम योजना **(STEP) रोजगार के**______ क्षेत्रों को कवर करती है। ( )

   a. 20 b. 10 **c.** 16 **d.** 5

4. एम के एस पी को वित्तीय पोषण देने में केन्द्र और राज्य का अनुपात __________है। ( )

   a. 60:40 **b.** 20:70 **c.** 50:50 **d.** 75:25

5. 2004-05 में, 'महिला एवं बाल विकास' मंत्रालय द्वारा लैगिंक__________हेतु जेंडर बजटिंग" मिशन वाक्य अपनाया गया। ( )

a. समानता **b.** विश्लेषण **c.** मुख्यधारा **d.** असमानता

अन्य अध्ययन :

1. Farm Women Friendly Hand Book: A Handbook for Women Farmers (2018). National Gender Resource Centre in Agriculture Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Government of India.
2. https://www.india.gov.in/my-government/documents/e-books